Friday, 15 November, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

Preservation Unit
17-7-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

[खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol.XXI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5-शुक्रवार, 15 नवम्बर, 1968/24 कार्तिक, 1890 (शक)

No. 5—Friday, November 15, 1968/Kartika 24, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
121	सितम्बर, 1968 में इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली में पुलिस की कथित ज्यादतियों की न्यायिक जांच	Judicial Inquiry into Alleged Police Excesses at Indraprastha Bhavan, New Delhi in September, 1968	689-690
126	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही	Police Action against Government Employees in Delhi	691
140	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान बल प्रयोग	Use of Force during Central Government Employees' Strike	691-707

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. सं./S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
122	हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार और उनकी हत्या	Ill treatment and Murder of Harijan	708-709
123	कापासद (उत्तर प्रदेश) के हरिजनों की याचिका	Petition from Harijans of Kapasad (U.P.) ...	709
124	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली	Safdarjung Airport, New Delhi ...	710
125	राजस्थान में नर बलि	Human Sacrifice in Rajasthan	710-711

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्रश्न संख्या/ S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
127 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप हुई हानि	Police Action against Government Employees in Delhi	711–712
128समाचारपत्रों द्वारा साम्प्रदायिकता का प्रचार	Communal Propaganda by News Papers ...	712
129 शिक्षा के प्रयोजनार्थ उपग्रह संचार व्यवस्था	Satellite Communication System for Educational Purroses	712–713
130 विदेशी दूतावासों से सरकारी अधिकारियों को निमंत्रण	Invitations to Government Officials from Foreign Missions	713–714
131 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् सम्बन्धी समिति	Committee on National Council of Educational Research and Training	714
132 काश्मीर सम्मेलन	Kashmir Convention	715
133 केरल द्वारा अध्यादेश का उल्लंघन	Kerala's Defiance of Ordinance	715–716
134 विदर्भ राज्य की मांग	Demand for Vidarbha State	716–717
135 बलात धर्म परिवर्तन	Forced Conversions ... –	717
136 अश्लील साहित्य	Obscene Literature	717–718
137 आदिम जाति धर्म	Tribal Religion	718
138 कर्मचारियों के कार्मिक संघों की मान्यता वापिस लेना	Withdrawal of Recognition of Employees' Organisation	718–719
139 दिल्ली में राष्ट्रीय संग्राहलय में चोरी	Theft in National Museum, Delhi	719–720
141 सरकारी कर्मचारियों के लिये आवश्यकता पर आधारित वेतन	Use of Force during Central Government Employees Strike	720–721
142 संघ राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	A.R.C. Report on Union Territories ...	721

ता. प्र. संख्या/S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
143 पतन तथा गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Port and Dock Workers	722–723
144 मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grants to Universities in Madhya Pradesh ...	723
145 परादीप पत्तन में डुबाव की स्थिति	Draft position of Paradeep Port	724
146 प्राचीन वस्तुओं के तस्कर व्यापारी	Smugglers of Antiquities	724–725
147 अन्तर्देशीय नौवहन सेवाओं के विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ	U.N Expert for Development of Inland Water Transport	725–726
148 पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक हत्याएं	Political Murders in West Bengal	726
149 हिन्दी में विधेयक प्रस्तुत करना	Introduction of Bills in Hindi	727
150 वर्ष 1968 के मैक्सिको ओलम्पिक में भारतीय हाकी टीम की हार	Defeat of the Indian Hockey Team in Mexico Olympics (1968)	727
अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.		
760 अमृतसर में काजी नूरुद्दीन की हत्या	Murder of Kazi Nooruddin at Amritsar ...	728
761 चुराये गये यात्री चैकों की बरामदगी	Recovery of Stolen Traveller Cheques.. ...	728–729
762 इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों में विलम्ब तथा रद्द किया जाना	I.A.C. Flights Delayed and Cancelled.. ..	729–730
763 अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कर्मचारी	Employees in Andaman Nicobar Islands ..	730

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
764 अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सरकारी पद	Government Posts in Andaman and Nicobar Islands	730–731
765 अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के छात्रों के लिये शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें	Educational Facilities for Students of Andaman and Nicobar Island	731
766 मन्त्रियों तथा संसदीय प्रतिनिधिमण्डलों के विदेशों के दौरे	Visits Abroad by Ministers and Parliamentary Delegation	731
767 कौशल्यापुरी फार्म, इटावा (उत्तर प्रदेश) के धन का गबन	Embezzlement of Funds of Kaushalyapuri Farm, Etawah (U P.) ...	732
768 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बुनियादी मांगें	Basic Demands of Central Government Employees ...	732–734
769 पाकिस्तानी जासूस	Pak. Spies	734
770 पाकिस्तानी मुजाहिदों की सहायता करने के कारण बाड़मेर जिले में लोगों पर अभियोग चलाये जाना	Prosecutions launched against persons in Barmer District for helping Pakistani Mujahids	734
771 केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Central Government Employees Strike ...	735–736
772 पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध ज्ञापन	Memorandum against former Chief Minister of Punjab	736–737
773 शेख अब्दुल्ला की गतिविधियां	Sheikh Abdullah's Activities	737
774 उर्दू समाचार पत्रों द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-India Propaganda by Urdu Papers ...	737
775 पाकिस्तान के प्रेजीडेन्ट को शेख अब्दुल्ला का पत्र	Sheikh Abdullah's Letter to Pak. President ...	738

776 दल-बदल सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Defections	738
777 कुकी और मिजो विद्रोहियों के साथ मुठभेड़	Clash with Kuki and Mizo Hostiles	739
778 भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम	National Research Development Corporation of India	739-740
779 आसाम पुनर्गठन योजना	Assam Reorganisation Plan	740–741
780 पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Report of Wage Board for Port and Dock Workers — ..	741
781 हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के वेतनक्रम	Pay Scales of Teachers of Himachal Pradesh	741–742
782 उत्तरी भारत में पर्यटन	Tourism in Northern India	742
783 ग्राम्य सड़कों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Rural Roads Committee — ...	742–743
784 दिल्ली के शिक्षकों के वेतन क्रम	Pay Scales of Delhi Teachers	743–744
785 पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री की जापान यात्रा	Visit of Minister of Tourism and Civil Aviation to Japan — ...	744
786 राष्ट्रीय दक्षता दल	National Fitness Corps	744–745
787 प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अध्यापक	Primary and Higher Secondary Teachers ..	746
788 आम चुनावों में विदेशी धन के प्रयोग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन	C.B.I. Report on Use of Foreign Money in General Elections	746
789 एयर इण्डिया के कर्मचारियों का अनुपात	Staff Radio of Air India	747

790	मुगल लाइन लिमिटेड	Mogul Line Ltd.	747–748
791	आसाम राज्य क्षेत्र में अतिक्रमण	Enroachments on Assam Territory	748–749
792	पोप द्वारा उपहार में दिये गये ट्रक	Trucks gifted by Pope	749
793	पारादीप पत्तन	Pradeep Port	750–751
794	समाज - विरोधी कृत्यों के कारण पकड़े गये हिप्पी लोग	Hippies held for Anti Social Activities	751–752
795	हवाई अड्डों का विकास	Development of Airports	752
796	"कास्टेशिया" सम्मेलन	Castasia Conference	753
797	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल की सूचना	Notice for Strike on 19th September, 1968	753–754
798	मैक्सिकों ओलम्पिक खेल कूद प्रतियोगिता	Mexico Olympics	754
799	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा कैरावेल विमानों के स्थान पर अन्य विमानों का चलाया जाना	Replacement of Caravelles by Indian Airlines Corporation	755
800	इटावा में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना	Police Firing in Etawah	755–756
801	सरकारी कर्मचारियों की विदेशी पत्नियां	Foreign Wives of Government Employees	756
802	विक्रम विश्वविद्यालय के लिये इमारत निर्माण	Construction of Building for Vikram University	756
803	धर्म प्रचारकों द्वारा अपने धर्म का प्रचार	Missionaries propagating their Religion	756–757
804	साम्यवादी नेता की गिरफ्तारी	Arrest of Communist Leader	757

805	उड़ीसा में छोटे पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports in Orissa ...	757-758
806	इन्द्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्ली में पुलिस की ज्यादतियों के बारे में जांच	Enquiry into Police Excesses at Indraprastha Estate, New Delhi	758
807	पौलैण्ड यूगोस्लाविया तथा बुलगारिया से जहाजों की खरीद	Purchase of Ships from Poland Yugoslavia and Bulgaria	758–759
808	पुलिस आवास योजना के लिये उड़ीसा सरकार को सहायता	Assistance to Orissa Government for Police Housing Scheme	759–760
809	राष्ट्रपति शासन लागू हो के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध	Crimes in U.P. after President's Rule... ...	760
810	चण्डीगढ़ और भाखड़ा नंगल बांध के बारे में विवाद का निपटारा	Settlement of Dispute on Chandigarh and Bhakra Nangal Dam	760–761
811	आसाम का पुनर्गठन	Reorganisation of Assam	761
812	विद्रोही कुकी तथा मिजो लोगों के साथ मुठभेड़	Clash with Kuki and Mizo Hostiles	761–762
813	असैनिक उड्डयन में विमान चालकों तथा दिक्चालन निर्देशिका की सेवा की शर्तें	Condition of Service of Pilots and Navigators in Civil Aviation	762–763
814	ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा खम्पा आदिम जातियों का जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन	Forcible conversion of Khampa Tribes by Christian Missionaries	763
815	जमियत उल उलेमा	Jamait Ul Ulema	764
816	पादरी फेरर	Father Ferrer	764–765

817	केरल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करना	Deploment of Central Reserve Police in Kerala	765-766
818	हज़ारी बाग में गुब्बारों का उतारा जाना	Baloon Landing at Hazaribagh	766
819	अमरीका में सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी की तोड़फोड़ की गतिविधियों के बारे में जांच	Investigation into Subversive activities of C.I.A.	766
820	गुजरात में पर्यटन केन्द्र	Places of Tourists interest in Gujarat ..	767
821	गुजरात में आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pakistani Nationals visiting Gujarat ..	767
822	कच्छ में तटवर्ती सड़क	Coastal Road in Kutch	767-768
823	गुजरात में खम्भात तथा अन्य पत्तनों का विकास	Development of Cambay and other ports in Gujarat	768
824	गुजरात में विमान सेवायें	Air Services in Gujarat	769
825	बिहार में इंजीनियर	Bihar Engineers	769-770
826	विकेन्द्रित सेवाओं में परिवर्तन	Changes in Decentralised Services	770
827	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में भर्ती	Recruitment in Commission for Scientific and Technical Terminology ...	770
828	खोसला आयोग का प्रतिवेदन	Khosla Commission Report	770-771
829	मिनिकाय द्वीप समूह में पुलिस की ज्यादतियां	Police Excesses in Minicoy Islands	771
830	अनिवार्य सेवायें संधारण अध्यादेश	Essential Service Maintenance Ordinance ..	771-772
831	केन्द्रीय सेवाओं के लिये नई भर्ती	Fresh Recruitment to Central Service... ...	772
832	परादीप बन्दरगाह	Paradeep Port ...	772-773
833	'लिंक' तथा 'पैट्रियट' समाचार पत्रों को विदेशी सहायता के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट	C.B.I. Report on Foreign Assistance to Link and Patriot	773

अता.प्र.संख्या / U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.	
834	राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Central Government Employees in Rajasthan	774
835	दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सुधार	Reforms in Delhi University Examinations ...	774
836	बिहार में अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of Teachers in Bihar	774–775
837	बिहार के अध्यापकों द्वारा हड़ताल	Strike by Bihar Teachers ...	775
838	बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों को आश्वासन	Assurances to Non-Gazetted Employees of Bihar	775
839	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की जांच करने के लिये आयोग	Commission to enquire into Indiscipline among students	776
840	छोटा नागपुर और संथाल परगनों में सड़क परिवहन का विकास	Development of Road Transport in Chota Nagpur and Santhal Parganas	776
841	बिहार सिविल सेवा में गैर-आदिम जातियों के व्यक्तियों का अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के रूप में प्रवेश	Entry of Non-Tribal persons in Bihar Civil Services as Scheduled Tribes	776–777
842	राष्ट्रीय पुस्तकालयों को प्रकाशनों का सम्भरण	Supply of publications to National Libraries	777
843	उत्तर प्रदेश में गोंडा में और अन्य स्थानों में पुलिस की ज्यादतियां	Police Excesses in Gonda and elsewhere in Uttar Pradesh	778
844	सरदार पटेल स्मारक निधि से धन का दुरुपयोग	Misuse of Money from Sardar Patel Memorial Fund	778
845	राजस्थान में पब्लिक स्कूल के पाठयक्रम से एक पाठय पुस्तक को हटाना	Exclusion of a Text Book from the Syllabus of Public School in Rajasthan	778–779

846 सम्बलपुर (उड़ीसा) में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्थापित किया जाना	Setting up of a Central University in Samabalpur (Orissa)	779
847 अर्जुनसिंह की मृत्यु	Death of Arjun Singh	779-780
848 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल	Central Government Employees Token Strike	780
849 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल	Central Government Employees Token Strike	780-781
850 द्वितीय पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति	Appointment of Second State Reorganistation Commission	781
851 पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला	Darjeeling District of W. Bengal ...	781-782
852 भारतीय सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल	Indian Cultural Delegation	782
853 दिल्ली का कूतुब मीनार	Qutab Minar, Delhi ..	782-783
854 दिल्ली में अध्यापकों को आवास तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधायें	Housing and C.H.S. Benefits for Teachers in Delhi	783
855 बनारस विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थियों का निकाला जाना	Explusion of two Students of Banaras University	783
856 अन्तर्देशीय जलपरिवहन प्रणाली सम्बन्धी समिति	Committee on Inalnd Water Transport System	783-785
857 जलियांवाला बाग काण्ड के सम्बन्ध में मिला दस्तावेज	Document found on Jallianwala Bagh Tragedy	785-787
858 केन्द्र और राज्यों के बीच के सम्बन्धों के बारे में केरल का सिद्धान्त	Kerala's Theory on Central State Relations ...	787

859 भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र — Indian National Scientific Documentation Centre 787

860 मोहित चौधरी के विरुद्ध मुकदमा — Case Against Mohit Chaudhary 787–788

861 उत्तर बिहार में कमला बालम नदी पर पुल — Bridge on River Kamala Balam in North Bihar 788

862 मिजो नैशनल फ्रंट ग्रुप के व्यक्तियों का पूर्वी पाकिस्तान चले जाना — Mizo National Front Group personnel crossed over to East Pakistan 789

863 केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उपसचिवों की तालिका — Panel of Deputy Secretaries in Central Secretariat Service 789

864 बर्दवान विश्वविद्यालय का बन्द होना — Closure of Burdwan University 789–790

865 हरिजन लड़के की मृत्यु — Death of Harijan Boy 790

866 नजफगढ़ रोड, दिल्ली के औद्योगिक श्रमिकों पर लाठी प्रहार — Lathi charge on Industrial Workers on Najafgarh Road Delhi 790–791

867 अन्तर्राष्ट्रीय विमान टिकटों का दुरुपयोग — Misuse of International Air Tickets 791

868 दिल्ली के लिये पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति — Appointment of Police Commissioner for Delhi 791–792

869 रजवाड़ों की निजी थैलियों को समाप्त करना — Abolition of Privy purses of princes 792

870 दिल्ली में नेताओं की मूर्तियां — Leaders' Statues in Delhi 792–793

871 दिल्ली नगर निगम — Delhi Municipal Corporation 793–794

872 भारत में सड़क दुर्घटनाएं — Road Accidents in India 794

873 पर्यटकों के विचारों का सर्वेक्षण — Survey of Tourists Opinions 794–795

874 आंध्र सीमा उड़ीसा विवाद का निपटाया जाना	Settlement of Andhra Orissa Border Dispute	795
875 प्राचीन मूर्तियों तथा चित्रों को चोरी छिपे विदेश ले जाना	Smuggling of Ancient Idols and Paintings to Foreign Countries	795-796
876 राष्ट्रीय एकता परिषद	National Integration Council ...	796
877 वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Commission for Scientific and Technical Terminology	796
878 राष्ट्रीय शिक्षा संस्था	National Institute of Education	797
879 आसाम नागालैंड की सीमा का सीमांकन	Demarcation of Assam Nagaland Border ...	798
880 इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाएं	I.A.C. Air Services	798-799
881 आगरा में पुलिस की कथित ज्यादतियां	Alleged Excesses of Police in Agra	799
882 गोंडा में पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Police Inspector in Gonda	799-800
883 मंत्री द्वारा इण्डियन एयर लाइन्स के विमान का प्रयोग	I.A.C. Plane for Minister's use —	800
884 गिल मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णयों का रद्द करना	Rejection of Decisions taken by the Gill Ministry — ...	800
885 समुद्री परियोजना, कोचीन बन्दरगाह	Marine project, Cochin Port	801
886 विश्व की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना	Setting up of Research Institutions for study of World Problems	801
887 उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय	Central School in U.P.	801-802

888 बलिया में गोली चलने की जांच करने के लिये आयोग	Commission to enquire into Firing in Balia ...	802
889 रुद्रप्रयाग (उत्तर प्रदेश) में भूमि-स्खलन	Landslide in Rudra Prayag (Uttar Pradesh) ...	802-803
890 होटल विकास ऋण निधि	Hotel Development Loan Fund	803
891 चम्पारन जिले (बिहार) में पार्श्ववर्ती सड़के	Lateral Roads in Champaran District (Bihar)	803
892 वाराणसी में काशी विद्या-पीठ के अध्यापकों के वेतन मान	Pay Scales of Teachers of Kashi Vidyapeeth, Varanasi	804
893 केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय में रखी पुस्तकें	Books Stored in the Centrat Secretarial Library	804
894 दरभंगा (बिहार) जिले में माधोपुर नामक स्थान पर हुए झगड़े की जांच	Enquiry into clash at Madhupur District Darbhanga (Bihar)	04-805
895 पारादीप पत्तन	Paradeep Port	805
896 उड़ीसा में परियोजनाओं का विकास	Development of Projects in Orissa ...	805
897 चन्डीगढ़ में रिहायशी प्लाटों का आवंटन	Allotment of Residential Plots in Chandigarh	806
898 अशोक होटल	Asoka Hotel –	806-807
899 पांडिचेरी में राष्ट्रपति का शासन	President's Rule in Pondicherry	807-808
900 चन्डीगढ़ में नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करना	Enforcement of Urban Rent Restriction Act in Chandigarh	808
901 पटियाला संग्रहालय में चोरी	Thefts in Patiala Museum	808-809
902 ईसाई बनाना	Conversion to Christianity	809
904 मंगलौर पत्तन परियोजना	Mangalore Harbour Project ... –	809-810

905 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में नियुक्तियां — Appointment in Banaras Hindu University ... 810

906 दिल्ली और बम्बई में होटलों द्वारा लिये जाने वाला दाम — Hotel Charges at Delhi and Bombay 810-811

907 कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बनने के लिये पात्र ता — Eligibility for Becoming Chief Justice of Calcutta High Court 811

908 क्षेत्रीय परिषदों में प्रतिज्ञति राष्ट्रीय एकता — National Integration Promised in Zonal Councils 811

909 जनरल पोस्ट आफिस, दिल्ली में डाक के थैलों का जलाया जाना — Burning of Postal Bags in General Post Office Delhi ... 812

910 डा. जार्ज थामस द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से धन की प्राप्ति — Receipt of money by Dr. George Thomas from USA 812

911 झंडेवाला मन्दिर, नई दिल्ली से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गिरफ्तारी — Arrest of Central Government Employees from Jhandewalan Mandir New Delhi .. 812-813

912 आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के विरूद्ध जांच — Enquiry against former I.G. of Police Andhra Pradesh 813

913 कलकत्ता में असैनिक सुरक्षा उपाय — Civil Defence Measures in Calcutta 813-814

915 केरल के पास गोला बारूद का पाया जाना — Ammunition Unearthed near Kerala 814

916 दिल्ली में प्रदर्शन — Demostration in Delhi 814-815

917 फैजाबाद में महिला कालेज का भवन — Girls College Building, Faizabad 815

918 गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन — Amendment of Gorakhpur University Act .. 815

अता. प्रश्न संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
919 दिल्ली प्रशासन में सरकारी भाषा का प्रयोग	Use of Official Language in Delhi Administration	816
920 अम्बाला नगर पुलिस की हवालात में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जूतों से मारना	Shoe beating of Central Government Employees in Ambala City Police Lock up	816
921 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के जलूस पर लाठी चार्ज	Lathi Charge on procession of Central Government Employees in Ambala Cantt. ...	816–817
922 इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान परिचारिकायें	Air Hostesses in Indian Airlines Corporation	817
923 अय्यर आयोग	Ayyar Commission	818
924 सरकारी अधिकारियों की विदेशी पत्नियां	Foreign Wives of Government Officials ...	818
925 हिन्दुओं की धीरे-धीरे अवन्नति	Gradual Decay of Hindus	818
926 प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन मानों में असमानता	Disparity in Pay Scales of Primary Teachers...	819
927 जिला गढ़वाल उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के वेतन मान	Pay Scales of Teachers in District Garhwal, U.P.	819
928 पुरी में दंगे	Riot in Pupri	819-820
929 बिहार में दानापुर–नौबतपुर सड़क	Danapur Naubatpur Road, in Bihar	820–821
930 विद्यार्थियों के लिये पर्यटन के दौरान आवास स्थान की व्यवस्था	Hostel Accommodation for Touring Students	821
931 गोहाटी हवाई अड्डा	Gauhati Airport	821–822

933 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता दिया जाना	Grant of Indian Citizenship to Pakistanis ..	822–823
934 पोप द्वारा उपहार में दिये गये ट्रक	Trucks Gifted by Pope ...	823
935 नागा विद्रोहियों द्वारा करों की वसूली	Collection of Taxes by Naga Hostiles...	823
936 विदेशी सहयोग से भव्य होटल	Luxury Hotels with Foreign Collaboration ...	824
937 तेल स्थित बौद्ध दर्शन के तिब्बती कूल को सहायता	Grants to School of Buddhist Philosophy, Leh.	824
938 कोयले की ढुलाई पर व्यय	Expenditure on Transportation of Coal ..	824–825
939 पैट्रोलियम से प्रोटीन के सूक्ष्मजीव संश्लेषण का अध्ययन	Studies of Micro Biological Synthesis of Protein from Petroleum	825
940 मिट्टी का तेल निकालने के बारे में अनुसंधान	Research for Extracting Kerosene Oil ..	825–826
941केन्द्रीय शीशा तथा चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्थान	Central Glass and Ceramic Research Institute	826
942 विदेशी मुद्रा कमाने के लिये पर्यटन के विकास की योजनायें	Schemes for the Development of Tourism to Earn Foreign Exchange	826
943 इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के माल यातायात में कमी	Decline in Cargo Traffic of IAC ...	827
944 पश्चिम बंगाल के नगरीय क्षेत्रों में जनगणना	Census in Urban Areas of West Bengal	827–828
945 इटावा जेल में लाठी चार्ज	Lathi Charge in Etawah Jail	828
946 दिल्ली परिवहन उपक्रम को ऋण देने से इन्कार करना	Refusal of loans to Delhi Transport Undertaking	828–829

अता.प्र.संख्या / U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.	
947 चंडीगढ़ में सेवा कर रहे अधिकारी	Officers serving in Chandigarh	829
948 संघ लोक सेवा आयोग में एक सिख को सदस्य के रूप में नियुक्ति	Appointment of a Sikh as a Member of the UPSC	830
949 चंडीगढ़ में कानून और व्यवस्था	Law and Order in Chandigarh	830
950 प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय	Expenditure on Adult Education	830-831
951 विज्ञान के विषयों के अध्यापकों की कमी	Shortage of Teachers in Science Subjects ...	831
952 शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन	Reorganisation of Education System	831-832
953 उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त द्वारा टाटा मर्सीडीज बसों पर कमीशन का लिया जाना	Commission received on Tata Mercedes buses by Transport Commissioner of Uttar Pradesh ... —	832
954 गांधी शताब्दी समारोहों के बारे में राज्यों को हिदायतें	Directive to States Regarding Gandhi Centenary Celebrations	832 833
955 उच्च शिक्षा पर प्रतिबन्ध	Restriction of Higher Education	833
956 अध्यापकों का सामाजिक व आर्थिक स्थर उंचा उठना	Raising of Socials and Economic Status of Teachers — ...	833-834
958 इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विज्ञापन	Advertisements by I. A. C.	834
अता. प्र. सं. 10398 दिनांक 10-5-1968 के उत्तर में शुद्धि	Correction of answer to USQ. No. 10398 Dated 10.5.68 ... —	835
अ. ता. प्र. संख्या 3297 दिनांक 9.8.68 के उत्तर में शुद्धि	Correction of answer to USQ. No. 3297 Dated 9.8.68	836

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अ. ता. प्र. संख्या 5466 दिनांक 23.8.68 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to USQ. No. 5466 dated 23.8.68	836
अ. ता. प्र. संख्या 2460 दिनांक 2.8.68 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to USQ. No. 2460 dated 2.8 68	836-837
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	837-843
कोठारी आयोग की सिफारिशों की अक्रियान्विति न किया जाना	Non-Implementation of Kothari Commission Recommendations	837
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	843
विशेषाधिकार का प्रश्न आर्यवर्त पटना के विरुद्ध	Question of Privilege againts Aryavarat, Patna	849
संसद कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य	Statement by the Minister of Parliamentary Affairs	850-852
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	852
दिल्ली विश्वविद्यालय को कोर्ट	Court of University of Delhi	852
पुर: स्थापित किये गये विधेयक	Bills Introduced	853-857
(1) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	Indian Railways (Amendment) Bill	853
(2) दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक	Delhi High Court (Amendment) Bill	857
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक	Central Industrial Security Force Bill-Contd.	857-860
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion Re. Consider, as passed by Rajya Sabha	857
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	860
अड़तीसवां प्रतिवेदन	... ...	860

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पुरः स्थापित किये गये विधेयक	Bills Introduced	860
(13)संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद - 130 का संशोधन) श्री यशपाल सिंह का	The Consititution (Amendment) Bills, 1968 (Amendment of article 130) by Shri Yashpal Singh	866
(16)संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (सातवीं अनुसूची का संशोधन) श्री यशपाल सिंह का	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of Seventh Schedule) by Shri Yashpal Singh	865
(1) गन्दी बस्ती (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक, श्री ओम प्रकाश त्यागी का	The Slum Areas (Improvement) and Clearance) Amendment Bill by Shri Om Prakash Tyagi	860
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (प्रथम अनुसूची का संशोधन) श्री भोलानाथ मास्टर	The Constitution (Amendment) Bill 1968 (Amendment of the First Schedule) by Shri Bhola Nath Master	861
(3) दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक, (धारा 421 का संशोधन) श्री आनन्द नारायण मुल्ला का	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, (Amendment of Section 421) ...	861
(4) संसद पुस्तकालय विधेयक, 1968 श्री दी. चं. शर्मा का	The Parliament Library Bill, 1968 by Shri Diwan Chand Sharma ...	862
(5) नगर विमानन (लाइसेंस देना) विधेयक, 1968 श्री दी. चं. शर्मा का	The Civil Aviation (Licensing) Bill, 1968 by Shri Diwan Chand Sharma	862
(6) विदेशी (संशोधन) विधेयक, धारा 3 का संशोधन श्री जगन्नाथ राव जोशी का	The Foreigners (Amendment) Bill, 1968 Amendment of by ShriJagannath Rao Joshi	862
(7) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 75, 164 आदि का संशोधन) श्री कामेश्वर सिंह का	The Constitution (Amendment) Bill, 1968 Section 3 (Amendment of articles 75, 164 etc.) by Shri Kameshwar Singh	863

लोक-सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार, 15 नवम्बर 1968/24 कार्तिक, 1890 (शक)
Friday, November 15, 1968/Kartika 24, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

अध्यक्ष महोदय : तारांकित प्रश्न संख्या 121।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूँ कि प्रश्न संख्या 126 और 140 भी इस प्रश्न के साथ लिये जायें क्योंकि वे भी इसी प्रश्न से सम्बन्धित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि प्रश्न संख्या 127 को भी इन प्रश्नों के साथ लिया जाना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : प्रश्न संख्या 127 एक पृथक् प्रश्न है। मैं अन्य प्रश्नों का उत्तर इकट्ठा दे दूंगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सितम्बर, 1968 में इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली में पुलिस की कथित ज्यादतियों की न्यायिक जांच

\+

*121. **श्री रवि राय :**
श्री बलराज मधोक
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री लाखन लाल कपूर :
श्री नातिराज सिंह चौधरी :

श्री कंवर लाल गुप्त :	श्री रा० कृ० सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :	श्री प्र० के० देव :
श्री रामकृष्ण गुप्त :	श्री रामावतार शर्मा :
श्री निहाल सिंह :	श्री सीताराम केसरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सदस्यीय आयोग ने इन्द्रप्रस्थ भवन की घटना समेत दिल्ली में पुलिस के कथित अत्याचारों के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) इस आयोग के निदेश पद क्या हैं;

(घ) क्या पुलिस द्वारा किये गये कथित अत्याचारों की न्यायिक जांच की मांग की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) : दिल्ली के उप-राज्यपाल ने डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली को 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाओं की जांच करने और प्रतिवेदन भेजने के अनुदेश दिये थे। उन्होंने 24 सितम्बर, 1968 को अपना पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। डिप्टी-कमिश्नर को आगे यह जांच करने के लिए कहा गया कि वे उन अधिकारियों द्वारा किये गये निश्चित कार्य का पता लगायें जो पुलिस दल के साथ उस बिल्डिंग में घुसे थे जिसके वे इन्चार्ज थे। उनका अगला प्रतिवेदन सरकार को 12 नवम्बर को प्राप्त हुआ और उसकी जांच की जा रही है।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) न्यायिक जांच एक बताई गई घटना के तथ्य मोटे तौर पर पता लगाने के लिए की जाती है। 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन में और उसके आस-पास की घटनाओं के बारे में मोटे तथ्य पहले ही डिप्टी कमिश्नर द्वारा की गई तथ्य-खोज (फैक्ट-फाइन्डिंग) जांच से प्रकट हो चुके हैं। उनके निष्कर्ष कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के सम्बन्ध में विभागीय जांच करने के लिए बहुत ठीक समझे गये। सरकार ने डिप्टी कमिश्नर के इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया है कि शक्ति का बहुत गलत तरीके से प्रयोग हुआ था। अतः तदनुसार आरोप तय कर लिये गये हैं और सम्बन्धित अधिकारियों को निश्चित आरोपों की सूचना भिजवा दी गई है। श्री ए० एस० रामचन्द्र राव जो कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधीन विभागीय जांच के लिये आयुक्तों में से एक थे, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करेंगे। पहले ही की गई कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए और आगे किसी न्यायिक जांच करने से कोई लाभप्रद लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही

+

*126. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री उमानाथ :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री ही० ना० मुकर्जी : **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री रमानी : **श्री लताफत अली खां :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री देवेन सेन :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री देवराव पाटिल :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 19 सितम्बर, को दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई पुलिस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने आदमियों को चोटें आईं;

(ख) उनमें से कितने आदमी मरे; और

(ग) घायल तथा मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे के रूप में सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) अपराह्न लगभग 3 बजे इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार के भवन में घुसने के बाद पुलिस द्वारा विवेक-रहित बल प्रयोग के परिणामस्वरूप लगभग 100 व्यक्तियों को चोटें आईं।

(ख) पुलिस की किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु नहीं हुई।

(ग) जिन व्यक्तियों को चोटें आईं थीं उनके लिये सरकार ने 250 रु० से 1,000 रु० तक के उदार सहायता अनुदान स्वीकृत किये हैं। मृत श्री अर्जुन सिंह के परिवार को भी 5,000 रु० का एक उदार सहायता अनुदान दिया है। दिल्ली प्रशासन द्वारा इन राशियों के वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान बल प्रयोग

+

*140. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री समर गुह :**
श्री अब्राहम : **डा० रानेन सेन :**
श्री शारदा नन्द : **श्री ज० ब० सिंह :**
श्री नम्बियार : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 को विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के हड़ताली कर्मचारियों को तितर-बितर करने के लिये पुलिस ने बल प्रयोग किया था और गोली चलाई थी;

(ख) यदि हां तो किन-किन स्थानों पर बल प्रयोग किया गया था;

(ग) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति जख्मी हुए और कितने व्यक्ति मारे गये;

(घ) क्या इन घटनाओं के सम्बन्ध में कोई न्यायिक जांच अथवा किसी अन्य प्रकार की जांच का आदेश दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या जांच परिणाम निकले हैं; और

(च) मृत व्यक्तियों के परिवारों को और घायल हुए व्यक्तियों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (च): एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पुलिस द्वारा गोली कांड : पुलिस को बीकानेर, पठानकोट, शाडोल और गोहाटी में गैर-कानूनी तौर पर इकट्ठे हुए लोगों को तितर-बितर करने के लिये गोली चलानी पड़ी जिनसे जान व माल को खतरा पहुँचने की आशंका थी । उनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित कांडिकाओं में दिया जाता है ।

पठानकोट : पठानकोट में पांच व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा तथा 19 व्यक्तियों को गोली लगने से चोटें आईं । इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई थी । उसका यह परिणाम निकला है कि हिंसक और उत्तेजित भीड़ से, जो पुलिस पर पत्थर आदि फैंक रही थी तथा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा बार-बार चेतावनी देने पर भी तितर-बितर नहीं हुई थी, जान व माल को होने वाले गम्भीर खतरे को ध्यान में रखते हुए गोली चलानी पड़ी थी । इस जांच के निष्कर्षों को पंजाब के राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है तथा उन्होंने पठानकोट में मरे व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को 5000 रुपये की प्रसादतः सहायता तथा गोली लगने से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 250 रुपये से 2500 रुपये के बीच प्रसादतः सहायता देने की मंजूरी दे दी है । राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 34,250 रुपये की राशि पहले बांटी जा चुकी है तथा प्रसादतः सहायता का केवल एक भुगतान करना शेष रहता है ।

बीकानेर : बीकानेर में पुलिस की गोली से एक व्यक्ति मारा गया तथा 23 घायल हुए । राजस्थान का सीमावर्ती जिलों का आयुक्त बीकानेर में हुए गोलीकांड की जांच कर रहा है । उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है । राज्य सरकार द्वारा यदि और कोई भुगतान किया गया है तो उसका पता लगाया जा रहा है ।

शाडोल : गोली चलाने से कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया । घायल व्यक्तियों की संख्या की जानकारी, घटना की जांच, यदि हुई है, तथा घायल व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा यदि कोई भुगतान किया गया हो तो उसके ब्यौरे का पता लगाया जा रहा है ।

गोहाटी : गोहाटी में गोली चलने से कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया । घायल व्यक्तियों की संख्या, घटना की जांच, यदि हुई है, तथा राज्य सरकार द्वारा यदि कोई भुगतान किया गया है तो उसके ब्यौरे का पता लगाया जा रहा है ।

अश्रु गैस का प्रयोग तथा लाठी प्रहार : पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अहरा में जब हिंसक भीड़ ने गाड़ी को चलने से रोकने के लिये रेलवे स्टेशन पर बलपूर्वक जाने का प्रयत्न किया तो पुलिस को अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा तथा उसने हलका लाठी प्रहार भी किया । किसी भी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं मिली है ।

सराय रौहिल्ला तथा इन्द्रप्रस्थ भवन, दिल्ली : उपद्रवी भीड़ पर काबू पाने के आदेश से सराय रौहिला क्षेत्र तथा इन्द्रप्रस्थ भवन में 1 बजे म० प० पर पुलिस को अश्रु गैस छोड़ना पड़ा । इन घटनाओं में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं मिली है । (नोट–3 और 4 बजे म० प० के बीच इन्द्रप्रस्थ एस्टेट के 'वाई' भवन में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों को तितर-बितर करने के उद्देश्य से बल का प्रयोग नहीं माना गया है । जैसाकि 13 नवम्बर, 1968 को सभा को पहले बताया जा चुका है, यह शक्ति का बहुत गलत प्रयोग था । इस घटना में पुलिस द्वारा शक्ति के अंधाधुंध प्रयोग से कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया परन्तु लगभग 100 व्यक्ति घायल हुए ।

अन्य राज्यों से सूचना : राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मैसूर, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा गोआ, अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह, मनीपुर, चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया । अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से, घटनाओं की संख्या तथा ऐसे स्थानों का ब्यौरा जहां गोलीकांड के अलावा अन्य बल प्रयोग किया गया, इकट्ठा किया जा रहा है ।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Sir, before I put my question, I would request you kindly to get our questions relating to this important matter answered properly. All the opposition groups here in this House have put forth a demand that there should be a judicial enquiry into the incidents which occurred in Inderprasth Bhawan on 19th September, 1968. But the reply which has been read by the hon. Minister in the House just now does not refer to this matter at all. He has tried to conceal everything from the House and thus he has tried to mislead the House.

Mr. Speaker, I would like to refer to some instances on the cases of which I would try to prove that this is a question about which we should have a judicial enquiry so that facts are known to the public.

The hon. Minister has just now stated that there was a demand for a judicial enquiry and he has appointed Shri Ram Chandra Rao for this purpose.. ...

Shri Bibhuti Mishra : This question had already been discussed in detail during the no-confidence motion. This need not be raised now. **(Interruptions)**

An hon. Member : Why are you afraid of it ?

Shri Rabi Ray : This particular question has not been discussed in detail.

श्री म० ला० सोंधी : ऐसी उत्तेजना उत्पन्न करने पर अन्तर्बाधा तो पड़ेगी ही । श्री विभूति मिश्र जी क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं ? **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले पर पहले ही दो दिन चर्चा कर चुके हैं.....

श्री म० ला० सोंधी : हम इस मामले पर 200 दिन और चर्चा करेंगे। यह मानव-स्वाधीनता का प्रश्न है। यह लोकतन्त्रात्मक देश है। यहां पर अयूब खां का शासन नहीं है। यदि यशवन्तराव चव्हाण साहब अयूब खां की नकल करना चाहते हैं, तो हम उन्हें मनमानी नहीं करने देंगे ..... (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

माननीय मन्त्री ने तीनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे दिया है। इन तीनों प्रश्नों में लगभग 20 नाम हैं। शायद इससे भी अधिक संख्या हो क्योंकि मैंने प्रश्न संख्या 140 में दिखाये गये सदस्यों की संख्या नहीं देखी है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम इस प्रश्न पर पूरा एक घंटा लगाने जा रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं। परन्तु इसका यह अर्थ होगा कि हम अन्य प्रश्नों को नहीं ले सकेंगे। हम इसी विषय पर पहले ही 2 दिन चर्चा कर चुके हैं। श्री म० ला० सोंधी साहब कहते हैं—हमें इस पर 200 दिन चर्चा करनी पड़ेगी। इससे अध्यक्ष को तो कोई कष्ट नहीं होगा परन्तु अन्य प्रश्नों को नहीं लिया जा सकेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : हम आपके धीरज की प्रशंसा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मुझे इन तीन प्रश्नों में दिखाये गये सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर देना पड़ेगा और इस प्रकार पूरा का पूरा घंटा इसी प्रश्न पर लग जायेगा और अन्य प्रश्नों को नहीं लिया जा सकेगा। इस विषय पर पहले ही दो दिन चर्चा हो चुकी है। अतः उसी मामले पर एक और घंटा लगाने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इस विषय पर सदस्यों को कोई नई जानकारी तो मिल नहीं सकेगी। सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

Shri Rabi Ray : The commission which has been appointed under the chairmanship of Shri Ram Chandra Rao to look into the incidents of Inderprasth Bhawan is not going to serve any purpose. He has not been asked to enquire into the circumstances in which Arjun Singh died. He has simply been asked to enquire into this :

> "You are, therefore, guilty of dereliction of duty and of failure to excercise adequate command and control over the force under your charge."

and not the circumstances leading to the death of Shri Arjun Singh. It has been admitted by Shri Tandon in his report that the police force indulged in greater rowdyism than the one they had gone to quell. In view of all this, it becomes necessary that there should be a judicial enquiry into the whole affair. Since shri Ram Chandra Rao is himself a Government officer, this enquiry would only be a departmental enquiry and not a judicial one.

I would like to give some other information to you in this regard. I may be allowed to lay on the Table of the House the post-mortem report which we have been able to get some how. There was some sort of conspiracy about this matter. When Arjun Singh was admitted in the hospital, his name was there written on his hand. But the out patient slip shows: "name unknown". This has been done knowingly.

He had been murdered in the very building of the Inderaprastha. Bhawan and thereafter thrown out to show that his death was due to his fall from the upper storey of the

building. Even from the post-mortem report which has been given by a doctor of the police, it is quite obvious that he was killed inside the building and thereafter thrown out. In view of this proof, may I know whether the hon Minister is now willing to meet our demand for a judicial enquiry into the whole incident ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने शव-परीक्षा प्रतिवेदन की जो व्याख्या करने का प्रयत्न किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

श्री म० ला० सोंधी : कैसे ? विशिष्ट उत्तर दीजिये

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं तर्क नहीं करना चाहता।

श्री म० ला० सोंधी : क्यों, नहीं। यहां पर शव परीक्षा प्रतिवेदन है। उसे भवन के अन्दर ही मारा गया था .....

अध्यक्ष महोदय : उसे स्थान ग्रहण करना होगा। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह उसे नहीं दुहरायेंगे। उसे किसी भी समय खड़े होकर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिये।

श्री म० ला० सोंधी : मैं केवल स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक शव-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति भेजने का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी यह है कि प्रतिवेदन जीवन बीमा निगम द्वारा सम्भवतः बीमे के प्रयोजन के लिये मांगा गया था। इसे उस समय भेजा नहीं जा सका, क्योंकि प्रतिवेदन उप-आयुक्त के पास था। अब मुझे बताया गया है कि 13 नवम्बर, 1968 को प्रतिवेदन की एक प्रति जीवन बीमा निगम को दे दी गई है। मुझे इस बात का पूरा पता नहीं है कि क्या अर्जुन सिंह के परिवार वालों ने भी प्रतिवेदन मांगा था। यदि वे चाहते हैं तो उन्हें भी एक प्रति दे दी जायेगी।

मैंने उत्तर में यह बात स्पष्ट कर दी है कि सरकार न्यायिक जांच को आवश्यक क्यों नहीं समझती है।

Shri Rabi Ray : In the book "Civil Disturbances" published in 1966, the foreward of which was written by the then Home Minister Shri Nanda, the then Law Minister, Shri A. K. Sen and the then Defence Minister, Shri Chavan, a reference about the use of force by the police has been made thus :

> "The main principle to be observed is that the minimum necessary force to achieve the desired object should be used, regulating it accordingly to the circumstances of each case."

Shri Tandon had himself written to his officers in a circular issued only two days before 19th September, 1968 thus :

> "It is expected that in dealing with the situations that might arise, our officers will show tact, resourcefulness and firmness but there should be no hesitation in using minimum force necessary when it becomes unavoidable."

But here in this case a man was killed by use of force wilfully.

Is it a fact that the officers of the Central Reserve Police were asked before 19th to go on leave; if so, the reasons therefor ? Since the last strike, the Delhi Police has only been controlling the Traffic. At the time of incident of 19th, the work relating to maintenance of law and order had been entrusted to the Central Reserve Police whereas the other duties of secondary nature were assigned to the Delhi Police. May I know the reasons therefor ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मालूम होता है माननीय सदस्य को गलत सूचना दी गई है । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये सारी दिल्ली पुलिस को भिन्न-भिन्न स्थानों पर तैनात करना पड़ा और उन्हें इसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की भी सहायता लेनी पड़ी । किसी भी व्यक्ति को छुट्टी पर जाने के लिये नहीं कहा गया था । भिन्न-भिन्न स्थानों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा दिल्ली पुलिस दोनों का प्रयोग किया गया था ।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, my question has not been answered. Suppose there is a strike and there is disturbance, whether the responsibility relating to maintenace of the law and order is assigned to the Delhi Police or to any other Police force from outside ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा दिल्ली पुलिस दोनों का प्रयोग किया गया था ।

श्री बलराज मधोक : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने पहले दिये गये उत्तर को दुहरा दिया है । यद्यपि उन्होंने न्यायिक जांच कराने से इन्कार कर दिया है तथापि एक गैर-सरकारी जांच समिति नियुक्त की गई है जिसमें राजस्थान के भूतपूर्व न्यायाधिपति, श्री सरजू प्रसाद तथा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ट अधिवक्ता, श्री त्रीकम दास हैं । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसे सभा-पटल पर रख दिया गया है । मैं इस प्रतिवेदन के कुछ लेख्यांश पढ़ना चाहता हूँ । वे कहते हैं :

> "We were sad and shocked to see the ravages and depredations perpetrated by the policemen inside the building and to hear of the harrowing tale of their brutal and merciless assault on the people without any discrimination of their rank of position and regardless of their being guilty or innocent."

फिर वे लिखते हैं :

> "Nonetheless, they appear to have been mostly loyal workers."

एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं :—

> "It is more than apparent from the evidence that medical aid to the injured and sufferers was neither available for were thought of."

फिर वे कहते हैं कि महिलाओं से भी बुरा सलूक किया गया था । वे पुनः कहते हैं :

> "We feel at the same time that if any administration is to survise with the slightest pretence to civilisation it must strongly condemn such lawlessness on the part of the police and severly punish those responsible for the outrages."

अन्त में वे कहते हैं :

"In our opinion, the whole matter pre-eminently requires a through judicial investigation."

यह एक लम्बा प्रतिवेदन है और इसमें निष्कर्ष दिये गये हैं। इस प्रतिवेदन में दी गई सभी बातों का संकेत इस एक चीज की ओर है कि पुलिस बिल्कुल पागल हो गई थी। समाचारपत्रों में तथा अन्यथा सार्वजनिक सभाओं में यह कहा गया है कि यह केवल किसी संयोगवश नहीं हो सकता था। इसके लिये दो बातें कही जा रही हैं। एक यह कि पुलिस में शायद कुछ ऐसे लोग घुस आये थे जो वफादार कर्मचारियों को परेशान करना चाहते थे। दूसरी यह कि चूंकि मंत्रिमंडल में मतभेद है जैसाकि 7 नवम्बर, 1966 के मामले में उन्होंने श्री नन्दा को निकालने के लिये आन्दोलन का लाभ उठाने का प्रयत्न किया था, उसी प्रकार उन्होंने अपने दल के लाभ के लिये किसी मंत्री से बदला लेने के लिये यह सब करने का प्रयत्न किया हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो बल प्रयोग किया गया है वह बहुत अधिक था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तथ्यों के बारे में शंका है,..... उदाहरणार्थ अर्जुन सिंह के बारे में, वे कहते हैं कि उसकी मृत्यु संयोगवश हुई है परन्तु शव परीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है कि हो सकता है कि उसका वध किया गया था और बाद में उसे बाहर नीचे फेंक दिया गया था—इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन्द्रप्रस्थ के इस कांड के सम्बन्ध में वे सभी शर्तें और परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण न्यायिक आयोग आयुक्त किया जाता है, क्या न्यायिक जांच कराना आवश्यक नहीं है ? हम कुछ अन्य छोटी छोटी बातों की न्यायिक जांच कराने की बात कहते हैं, परन्तु इसमें तो कई अन्य प्रश्न भी अन्तर्ग्रस्त हैं। इस मामले को हड़ताल के साथ जोड़ना गलत होगा। हड़ताल चाहे ठीक थी चाहे गलत। परन्तु यह एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है। इसमें नगर-स्वाधीनता का प्रश्न, प्रशासनिक औचित्य का प्रश्न, विधि की समानता का प्रश्न तथा यह प्रश्न भी अन्तर्ग्रस्त है कि क्या यह सरकार विधि की रक्षक है अथवा भक्षक है। ऐसे व्यापक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं। सरकार को न्यायिक जांच से क्यों बचना चाहिये ? क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार कर तुरन्त एक न्यायिक आयुक्त नियुक्त करेगी जिससे इस घटना से सम्बन्धित बातें प्रकट हों जिनको जानने के लिये सभी लोग बड़े उत्सुक हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार ने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। इस बात से हम इन्कार नहीं करते हैं कि पुलिस का अधिक आयोग किया गया है। वास्तव में यह बहुत ही खेदजनक बात है।

दूसरी बात यह है कि उस दिन वहां पर जो कुछ हुआ उसके तथ्यों से एक बात का पता चलता है। वे कहते हैं कि क्या पुलिस में कुछ बाहर के लोग घुस गये थे। इसकी शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि पुलिस कर्मचारी अपने आप भवन में नहीं घुसे थे। इसका निर्णय तो भवन में उपस्थित एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया था। यह निर्णय ही गलत था। मैं नहीं समझता कि यह निर्णय सिपाहियों द्वारा अथवा किन्ही और अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया था। एक बार जब पुलिस को अन्दर जाने के लिये कह दिया जाता है तो तत्पश्चात जो कुछ होता है उसके लिये सभी जिम्मेवार होते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने यह

भी बताया है कि उप-आयुक्त को यह भी जांच करने के लिये कहा गया था कि पुलिस के अन्दर जाने के पश्चात क्या हुआ ? इसकी भी जांच करली गई है। प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री बलराज मधोक : इससे यही पता चलता है कि कुछ बातें अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। यदि आपको तथ्यों की सच्चाई के बारे में इतना विश्वास है, तो आप न्यायिक जांच क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : 19 सितम्बर को इन्द्रप्रस्थ भवन में जो कुछ हुआ उससे किसी भी सभ्य व्यक्ति का शर्म से सिर नीचे झुक जाता है। यह बहुत ही खेदजनक बात है कि गृह-कार्य मंत्री ने न्यायिक जांच कराने के आदेश तक नहीं दिये हैं। अर्जुन सिंह की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई है उनके बारे में तथ्यों का अभी कुछ पता नहीं लगा है। क्या उसे बाहर फेंका गया था अथवा क्या उसे मारने से बाद बाहर फेंका गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक इस बात का भी पता नहीं लगा है कि भवन के अन्दर पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के लिये कौन जिम्मेवार है। अतः यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाये जिससे तथ्यों का पता लग सके। भविष्य में देश में कहीं भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो, इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? अर्जुन सिंह की विधवा ने सरकार के विरुद्ध 2 लाख रुपये का दावा किया है। क्या गृह-कार्य मंत्री इस बात से सहमत हैं कि वह उनके इस दावे का विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि उसने वह राशि तैयार कर ली है जो अर्जुन सिंह अपने जीवन-काल में कमा लेता। यदि वह जीवित रहता तथा ऐसी भीरु परिस्थितियों में मारा न जाता। गृह मंत्री को इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना चाहिये क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है न कि तानाशाही।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक ऐसे मामलों की पुनरावृति का सम्बन्ध है निश्चय ही हमें उसके लिये आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। ऐसी चीजों को पुनः न होने देने का केवल एक तरीका यह है कि जो लोग गलत निर्णय करते हैं उनको दण्ड दिया जाये। केवल यही एक ऐसी चीज है जो की जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें गोली से मार दीजिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम लोग लोकतंत्रात्मक देश में रहते हैं।

श्री वासुदेवन नायर : उन्हें कम से कम संसद के इस सत्र के दौरान तो लोकतन्त्र की बात नहीं करना चाहिये जब तक हम इस सारी कहानी को भूल नहीं जाते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने ऐसी चीजों की पुनरावृति के बारे में प्रश्न किया था तब उन्होंने मुआवजे की बात की थी। यह प्रसादतः सहायता थी हमने यह उपाय किया था। आमतौर पर ऐसे मामलों में इतनी राशि मंजूर की जाती है। जीवन के लिये धन के रुप में मुआवजा गिनना बड़ा कठिन है। जीवन अमूल्य है।

Shri Lakhan Lal Kapoor : Sir, whatever has happened in Indraprastha in Delhi that is a matter of shame for the whole community. I want to seek information regarding Pathankot, Malyani, Lamdig, Bombay, Bikaner etc., wherever firing was resorted to. In Pathankot firing was resorted to on 19th and I had reached that place on 21st. I have tried to enquire into the matter at the place of incident. As the hon. Minister has said just now that it is a democratic India and no body can be hanged in this way so I would like to ask whether it is a principle of Democratic India to give orders to shoot down the people ?

Secondly, police has entered the house of Shri Raj Bahadur, a Khalasi and shot him down Thus on the one hand you cry hoarse of democracy and one the other hand a railway Khalasi is shot down then where does remain the democracy. I would also like to know the class of Magistrate who had given an order of firing. Is it a fact that Sub-Divisional Magistrate had given an order of firing. If so, then which class of Magistrate had instituted an enquiry thereof, whether he was a Magistrate of lower category ?

May I also know whether Section 144 was enforced in Bikaner. Whether warning was given before firing was resorted to and which Magistrate had given an order of firing ?

As far as Malyani and Gauhati are concerned firing was resorted to there without warning and without the enforcement of Section 144. Thus people on the way side were shot dead. They were not employees. May I thus know whether way side people, who were not employees were shot dead or not ?

May I also know whether firing was resorted to at Lamdig without order or not. I feel that police had resorted to firing of their own. Similarly in New Gauhati firing was resorted to. Is it a fact that 'Satyagrahis' were sitting in a truck there and no provocation was shown from their side even though they were provoked by police and lathicharged by them. The young girls were put off their clothes and were made to walk on the road side. Is it a fact that all this has happened in your democracy ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने अपने वक्तव्य में पठानकोट में हुई घटनाओं की सामान्य रूपरेखा दे दी है। जिस मजिस्ट्रेट ने जांच की थी उसकी वरिष्ठता का मुझे पता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : एस० डी० एम० मैजिस्ट्रेट से हमेशा वरिष्ठ होता है। यह तो सामान्य ज्ञान की बात है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सामान्य ज्ञान की बात हो यह जरूरी नहीं है। यहां कनिष्ठता की बात नहीं है। वह सेवा में उससे कनिष्ठ हो सकता है परन्तु वह उसके अधीनस्थ नहीं था। यह मुख्य कसौटी है।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : The Deputy Minister to the Prime Minister had visited Indraprastha Bhawan on 20th September alongwith other Members of Parliament, may I know whether she has submitted any report to the Prime Minister or any other Minister. If so, whether that report will be laid on the Table of the House. May I know whether the enquiry officer had sought any information from her also ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे स्मरण है कि प्रधान मंत्री की उप-मंत्री वहां गई थी। हो सकता है कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं बल्कि एक किस्म का नोट प्रस्तुत किया हो। परन्तु इसका ब्यौरा मेरे पास यहां नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has said just now that the facts of the enquiry have been received. But I feel that those facts are incomplete and partial. May I know whether it is a fact that the Deputy Commissioner has not even taken the evidence of a police officer who had got the F. I. R. registered regarding this Indraprastha happening ?

Secondly, may I know whether it is a fact that D. I. G. Rorke was also associated in the beginning with Deputy Commissioner but later on he was disassociated and he was not consulted even ?

Thirdly, this allegation was made that no enquiry was made though money was removed from their pockets and watches from their wrists and press reporters were also beaten.

Fourthly, may I know whether the terms of reference of Shri Ram Chander Rao are that he will make an enquiry on the basis of instructions given by the Deputy Commissioner. May I also know whether Government is prepared to offer the whole work of enquiry of Indraprastha happening to Shri Ram Chander Rao and enhance his terms of reference ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी नहीं। ऐसी बात नहीं है कि वह सारे मामले की जांच करेगें। वह उप आयुक्त द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरुप लगाये गये विशिष्ट आरोपों की जांच करेगी। माननीय मन्त्री ने प्रेस आदि का उल्लेख किया था। जैसाकि मैंने कही कहा है डिप्टी कमिशनर को कहा गया था कि वह यह देखें पुलिस के प्रवेश के बाद इन्द्रप्रस्थ में वास्तव में क्या हुआ था। डिप्टी कमिशनर की रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही मिली थी और हम उसकी जांच कर रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : डी० आई० जी० श्री रोश, एफ० आई० आर० की बाबत आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री वी० चं० शर्मा : हर बार यह प्रश्न चर्चा के लिये आता है तथा हमें यह बता दिया जाता है कि मन्त्रिमंडल इस प्रश्न पर एक मत नहीं है। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या मन्त्रीमण्डल की आन्तरिक मामला समिति ने इस प्रश्न पर चर्चा की है तथा क्या सारे मन्त्रिमण्डल ने इस प्रश्न पर चर्चा की है तथा क्या जो बात अब कही गई थी उसमें कोई सच्चाई है कि जैसे साधु आन्दोलन, गो-हत्या बन्द करो आन्दोलन, की एक गृह मन्त्री को हटाने के लिये तर्क सा बनाया गया था उसी तरहसे इन्द्रप्रस्थ कांड को विरोधी दल वर्तमान गृह मन्त्री को हटाने के लिये तर्कसा बना रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे यह अवश्य कहना है कि यह अफवाह कि कुछ सदस्य इस मामले पर मन्त्रिमंडल ने मतभेद करने का प्रयत्न कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसमें कोई आधार नहीं है। इन समस्याओं से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर मंत्रीमंडलीय समिति तथा मन्त्रिमण्डल ने विचार कर लिया है तथा सामुहिक रूप से निर्णय कर लिया है। मैं उन्हें इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं।

Shri Nihal Singh : The D. C. who has conducted inquiry of this happening is also not free from charges. May I know whether any enquiry will be made or not to go into the matters regarding that D. C., D. A. M. and D. I. G who had made allegations against the A. D. M. alone?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह नहीं समझता कि यह बात सही है कि इन घटनाओं के लिये डी० सी० किसी भी तरह से जिम्मेदार था, डी० आई० जी० के बारे में कुछ सन्देह प्रकट किया गया था तथा हमने राज्यपाल को स्वयं इस बात की जांच करने के लिये कहा था कि डी०आई०जी० ने वहां क्या किया था।

Shri Sita Ram Kesari : It is true that we are sorry for what happened in Indraprastha Bhawan. It is also true that the Deputy Commissioner made an enquiry and assistance was also declared on the basis of the report submitted by him but may I know whether it is also a term of reference of the enquiry commi·son or not to make an enquiry against those peresons who did not let persons go to their offices who were interested to attend them ? If not, may I know whether any enquiry will be instituted against them ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जांच इन्द्रप्रस्थ भवन तथा उसके आसपास हुई घटनाओं के बारे में की गई थी। यह विषय जांच का भाग नहीं था। परन्तु यदि कोई आरोप है तो माननीय सदस्य मुझे लिख कर भेज दें मैं उनकी जांच करा लूंगा।

श्री म० ला० सोंधी : क्या यह बात सच है कि दक्षिण अमरीका की यात्रा के बाद प्रधान मन्त्री ने गृह मन्त्री तथा वित्त मन्त्री को यह लिखा था कि मेरी अनुपस्थिति में जिस प्रकार से आपने कुप्रबन्ध किया है उस पर मैं खुश नहीं हूँ तथा क्या उस आदेश की सही सही नकल "स्टेट्समैन" के पास है जो दिल्ली का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है ? चूंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, शायद यह सारा नाटक सनसनी पैदा करने के लिए खेला गया है, जिसके लिये गृह मन्त्री ने जो, इतने दक्ष हैं, "स्टेटमैन" के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बात सच नहीं है कि प्रधान मन्त्री ने इस बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है। सम्भवतया यह कुछ लोगों की कल्पना है। समाचार पत्र कई बार ऐसी चीजें छाप देते हैं जो ठीक नहीं होती। इस सम्बन्ध में केवल उस खबर का खण्डन किया जा सकता है।

श्री चक्रपाणि : सराय रोहिल्ला में पुलिस ने रेलवे कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को बुरी तरह से पीटा था तथा उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के घरों में जाकर महिलाओं को भी पीटा था। क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है और यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ ऐसे ही आरोपों के बारे में कहा गया था । दुर्भाग्यवश मेरे पास इसका विस्तृत विवरण नहीं है परन्तु मेरा ख्याल है — और मैं केवल ख्याल ही बना पाया हूं कि ये आरोप आखिरकार प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए ।

श्री हेम बरुआ : मन्त्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि ये आरोप प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए, मैंने बोनगेगन, मरीअनी और न्यू गौहाटी का दौरा किया और मैं जानता हूँ कि इन लोगों ने कैसा आचरण किया ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, मैं केवल उन्हीं को बुलाऊंगा जिनके नाम यहां पर है, परन्तु फिर भी कठिनाई है, अगर दूसरे उठकर बोलना शुरु कर दें तो इसका कोई अन्त नहीं होगा ।

श्री वासुदेवन नायर : यह प्रश्न कुछ पुलिस वालों तथा पुलिस अधिकारियों का जन आन्दोलन अथवा संघर्ष के समय लोगों के साथ दुर्व्यवहार और हमला करने का नहीं है । ये कोई एक-दो मामले नहीं हैं । देश का प्रशासन इन लोगों के हाथ में आने के पिछले 20 वर्षों के दौरान जन आन्दोलन के समय हमने पुलिस वालों को इसी तरीके से व्यवहार करते हुए देखा है, परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि, जहां तक मुझे याद पड़ता है, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को स्थायी आदेश दिए हुये थे कि पुलिस की गोली अथवा कार्यवाही से किसी की मृत्यु होने पर न्यायिक जांच कराई जाय । मैं जानना चाहूँगा कि क्या गृह मन्त्री और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पहले जो निर्देश भेजे थे, उनको बदल दिया गया है । मैं परिपत्रों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मेरा मुख्य संकेत राजनीतिक नेता की जिम्मेवारी से है । मैं उन लोगों के साथ भी नहीं हूंगा जो कांस्टेबल या अधिकारी को दोषारोपण करते हैं, श्री चव्हाण यह कह कर बच नहीं सकते कि पुलिस अधिकारी अथवा कांस्टेबल को निलम्बित कर दिया गया है । मैं माननीय गृह मन्त्री से यह जानना चाहूँगा कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने में और पुलिस प्रशासन में सुधार लाने के प्रयत्न में, ताकि वह लोगों से सभ्य तरीकों से पेश आये, इसमें अपनी राजनीतिक जीवन की असफलता को देखते हुए क्या वह इस समय सरकार से त्याग पत्र देने की सोचेंगे और सरकार से बाहर चले जायेंगे । यही काम ऐसा है जो वह अब कर सकते हैं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रश्न के उस भाग का उत्तर दूंगा जिसमें सूचना मांगी गई है । मुझे भारत सरकार द्वारा जारी की गई किसी ऐसे अनुदेश अथवा परिपत्र के बारे में मालुम नही हैं जिसमें उन सभी मामलों में न्यायिक जांच के लिये कहा गया हो जहां कि जान की हानि हुई है । अवश्य ही अगर मुझे ठीक याद है, हरेक मामले में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच के लिए कहा गया था ।

श्री वासुदेवन नायर : जी नहीं ;

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप 'नहीं' कह सकते है और मैं 'हां' कह सकता हूँ, इस प्रकार तर्क वितर्क से क्या लाभ होगा । यह सूचना उन्होंने पूछी थी, मुझे उनके राजनीतिक विचारों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये, परन्तु मैं एक बात कह दूं कि मैं त्यागपत्र देकर उनको अनुगृहीत करने नहीं जा रहा हूं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Two things have very clearly emerged out of the happenings in Delhi. The police only Implement the policy, and the responsibility of forming that policy is of the Police Minister. The statement of D. C. and the beatings of those employees who were not taking part in the strike, create three fundamental questions. I want to know from the Hon. Minister whether they have made such policy that those employees, which are not taking part in the strike, should be beaten so that they may also learn to agitate and the police acted upon this. Or the Hon. Home Minister has given power to the police that the politicians would not determine the policy and the police officer, present on the spot, will determine the policy and get it implemented. I want to say clearly that if you do not determine policy then your employee determine the policy then not only you but this whole Govern ment should resign for there is no use of your remaining here. I want to know whether this had happened under your policy or under the policy of those officers.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक इस मामले में नीति का प्रश्न है, किसी माननीय सदस्य ने परिपत्र के कुछ भाग को उद्धृत करके समझाया है, ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ जिसमें कि पुलिस अधिकारियों को बल प्रयोग के लिये कहा गया हो। उनको स्थिति का सामना चतुराई से करने को कहा गया था। ऐसी स्थिति आने पर उन्हें कम से कम बल प्रयोग करना पड़ेगा, यही नीति है।

एक माननीय सदस्य : न्यूनतम बल प्रयोग का क्या अभिप्राय है? वे इसको समझायें।

Shri Rabi Ray : You have excercised minimum force by killing Arjun Singh.

श्री म० ला० सोंधी : किसी के जननेन्द्रिय पर आघात करना कम से कम बल प्रयोग का करना है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, प्रश्न पूछा गया है, मंत्री महोदय इसकी सूचना दें। (व्यवधान)

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने न्यूनतम बल प्रयोग अपनाया। मैं इस विशेष मामले की नीति को समझा रहा हूं, मैंने इस मामले में यह नहीं कहा कि उन्होंने न्यूनतम बल प्रयोग अपनाया, उन्होंने आवश्यकता से अधिक न्यूनतम बल प्रयोग को अपनाया। मैंने उस स्थिति को स्वीकार किया है, जहां तक इस नीति का सम्बन्ध है, निश्चय ही सरकार इसका दायित्व ले सकती है, परन्तु इसको लागू करते समय यह सम्भव हो सकता है कि किसी ने सीमा का अतिक्रमण किया हो और स्पष्ट कहा जाय तो इस मामले में यह जांच का विषय है।

Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Hon. Minister be pleased to state the number of employees died, and the number of injured employees when the police opened fire on them? Have the Government decided to grant any amount to their families. Please also state the number of employees missing.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यह सूचना अपने उत्तर में दे दी है।

Shri Latafat Ali Khan : It is quite clear that the Government are trying to state the facts clearly regarding the incident regarding Government employees. On one hand the Government are blaming their employees and on the other hand they are trying to save their employees. The A. D. M , who was found guilty, has been transferred to other place by giving him rupees two hundred on promotion. I want to know whether it is correct that the A. D. M. was promoted and he is getting salary rupees two hundred more.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि यह ठीक है, वास्तव में उसके विरुद्ध भी विभागीय जांच की गई है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं आपको चुनौती देता हूँ कि यह सच है । आप सत्यता का पता लगाइये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं जानता ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह शत प्रतिशत सही है । मैं आपको चुनौती देता हूं ।

Are you giving prize or punishment to guilty persons.

डा० रानेन सेन : क्या उसको दो सौ रुपया दिया गया कि नहीं ? (व्यवधान)

Shri Hukam Chand Kachwai : Has he done very good work for which his salary is being increased.

श्री कंवर लाल गुप्त : आपको किसी भी हालत में उसका वेतन नहीं बढ़ाना चाहिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे सत्य बात पता लगानी होगी ।

Shri Deven Sen : The death of Shri Arjun Singh is very poignant. But the more poignant is the fact that he was beaten, harassed, his eyes were taken out, his genitals were injured and he was thrown down after killing, I want enquiry of his matter and whether you will submit the report of that enquiry here or not ? I also want to know whether there is any reference in the Raj's report ?

The second thing I want to know whether any officer went alongwith the police when they entered in the Indraprastha Estate. Or they were given open hand to beat anyone and no one is to see. Whether there was any officer present when Shri Arjun Singh was being harassed so that he may stop them.

The third thing is that the Government cannot end this matter simply by saying it as sorrowful incident. I remember Shri Namboodiripad was the Chief Minister at the time of firing in 1958. He said that the Enquiry Committee would be set up when the peace returned. But Panditji had sent directive from here that the Enquiry Committee should be set up now. We have celebrated the birth anniversary ef Pandit Jawahar Lal only yesterday then whether we will set up any Enquiry Committee following his foot-steps.

The fourth point is that the Parliament, the Government and the whole country have been insulted by this barbarous treatment. So I want that the Hon. Minister should give us compensation by way of resignation.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने अपना विवरण दिया है कि श्री अर्जुन सिंह कैसे मरा, परन्तु जांच द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जहां तक उप आयुक्त के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, मैं इसको सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। मैं अगले सप्ताह के किसी दिन प्रतिलिपियां मंगा कर सभा पटल पर रखूंगा।

दूसरे मामले राजनीतिक दृष्टिकोण वाले हैं। (व्यवधान)

श्री स० कुण्डू : श्री सेन ने कुछ स्वस्थ प्रजातंत्रीय परम्पराओं के बारे में कहा है, जब 1958 में केरला में पुलिस ने गोली चलाई थी तो श्री नम्बूद्रिपाद ने बाद में जांच करने को कहा था परन्तु दिवंगत जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कि उनको शीघ्रतापूर्वक जांच करवानी चाहिये और इस प्रकार स्वस्थ प्रजातन्त्रीय परम्परा को स्थापित किया गया ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति मैंने उनको बोलने के लिये नहीं कहा है।

Shri S. M. Joshi : It has just been stated that we celebrated the birth day of Pandit Jawahar Lal Nehru.....

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। श्री बनर्जी

श्री स० मो० बनर्जी : वे उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे तैयार हो सकते हैं परन्तु कोई व्यवस्था होनी चाहिये, मैंने श्री कुण्डू को बोलने के लिए नहीं कहा है अगर मैं आपको आज्ञा दूं तो वे भी यह कहेंगे कि उनको भी बोलने दिया जाये।

श्री एस० एम० जोशी : मैं उनको प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। श्री बनर्जी।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न संख्या 140 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गए विवरण से पता चलता है कि :

"पठानकोट में पांच व्यक्ति मारे गए और उन्नीस व्यक्ति गोली से घायल हुए। इस घटना की जांच मैजिस्ट्रेट ने की थी। इसने यह निष्कर्ष निकाला कि गोली इसलिए चलानी पड़ी क्योंकि हिंसक तथा उग्र भीड़ द्वारा जीवन तथा सम्पत्ति को खतरा पैदा हो गया था जो कि पुलिस पर पत्थर आदि फेंक रहे थे।"

"बीकानेर में पुलिस द्वारा गोली चलाने से एक व्यक्ति मारा गया और तेईस व्यक्ति घायल हुए।"

"गोहाटी में गोली चलाने से 1 व्यक्ति मारा गया"

मेरे दोस्तो द्वारा, जिसमें श्री लखन लाल कपूर भी शामिल हैं, बड़ा चतुराईपूर्ण ढग से यह कहा गया कि सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने गोली चलाने की आज्ञा दी, हमारी सूचना के अनुसार सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट उस विशिष्ट स्थान का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है और मैजिस्ट्रेट उसके अन्तर्गत कार्य करता है। वह मैजिस्ट्रेट के गोपनीय रिपोर्ट को लिखता है। इस बात को देखते हुए कि इसकी जांच उस अधिकारी द्वारा की गई जो गोली चलाने में आदेश देने वाले से जूनियर है, इस बात को देखते हुए कि संसद के कुछ सदस्य जिसमें श्री श्री० ग०डांगे, श्री एस० एम० जोशी, और दूसरे जो वहां गये, द्वारा जो दस्तावेज दिये गये थे, और पठानकोट गोलीकांड और अन्य गोलीकांडों के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदन को देखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय न्यायिक जांच करायेंगे ? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बिजली खलासी श्री राज बहादुर हड़तालियों में से नहीं था परन्तु वह जानबूझकर मार डाला गया, क्योंकि उसका चेहरा उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के वाइस प्रेसिडेण्ट श्री सुरेन्द्र मोहन से मिलता था, जैसे ही वह अपनी झुग्गी के बाहर लोटे में कुछ लाने जा रहा था तब उस पर गोली चलाकर घायल कर दिया गया। उसके भाई ने, जो पारिवारिक मामले के सिलसिले में तलवारा स्थित पोंग डेम से आया था, उसको झोंपड़ी के अन्दर लाया। पुलिस वालों ने झुग्गी के अन्दर घुसकर उसके भाई को बाहर निकाला और लाठियों से नृशंतापूर्वक उसकी पिटाई की, जिससे दोनों हाथों और पीछे चोट पहुंची और फिर उसकी जवान तथा गर्भवती औरत के सामने उसको बहुत नजदीकी से गोली से मार दिया।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, हो सकता है कि उन्होंने पत्थर और दूसरी चीजें फैंकी हों, परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि दुःखी मानवता और न्याय के नाम पर, अगर वे इस समस्या के प्रति पूर्णतया उदासीन तथा निर्दयी न हो गए हों, गृह मंत्री विभिन्न गोलीकांडों के लिए सरकारी जांच अथवा न्यायिक जांच करवायेंगे ? क्योंकि पठानकोट में पांच व्यक्ति मारे गये हैं, बीकानेर में एक व्यक्ति मारा गया है और इस प्रकार कई और मरे हैं, बहुत से व्यक्ति घायल भी हुए हैं, पेट के नीचे कोई गोली की चोट नहीं लगी है, यह या तो छाती पर अथवा उसकी आस-पास लगी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या न्यायिक जांच कराई जायेगी। मैं आपसे संसदीय जांच समिति नियुक्त करने की प्रार्थना करूंगा। मै आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप न्याय के नाम पर संसदीय जांच समिति नियुक्त करने की कृपा करें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे दुःख है कि पठानकोट और दूसरी जगहों में कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

श्री हेम बरुआ : आसाम के मरीअनी और बोनगेगन में जिन व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उनका क्या हुआ ? मरीअनी के रमन आचार्य और बोनगेगन के पटैत सन्याल का क्या हुआ जिनकी गोली मारकर हत्या की गई ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने तथ्यों का कुछ विवरण दिया है। जांच करने का वास्तविक उद्देश्य यह था कि क्या गोली चलाना न्यायोचित था। जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है और जैसा कि सभा के समक्ष रखे गये विवरण से पता चलता है, कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे पुलिस को गोली चलानी पड़ी और यह स्वीकार किया गया कि यह

गोली चलाना न्यायोचित था। दुर्भाग्यवश गोलीकांड मे कुछ व्यक्ति मारे गये। उनको अगर क्षतिपूर्ति नहीं तो कुछ राहत आदि दिया गया। जैसा कि मैने कहा है कि सरकार का न्यायिक जांच कराने का विचार नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : हम आपसे सभा की समिति नियुक्त करने के लिये प्रार्थना करते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : अगर कुछ नहीं किया गया और कोई जांच नहीं की गई तब आगे आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि खून किया गया था और जिसको प्रकाश में नहीं लाया गया। अगर आप ऐसा करेंगे तो भारत के लोग समझेंगे कि मौके के अनुकूल उचित कार्य किया गया। (व्यवधान)

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, I also went there. They entered in the house and killed the man. If the Government do not do anything then you should do this.

अध्यक्ष महोदय : वे मुझे कैसे अधिकार दे रहे हैं ? अध्यक्ष के पास क्या अधिकार होते हैं ?

श्री म० ला० सोंधी : आप भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, you go into the matter. We all co-operate with you.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया। मुझे अफसोस है कि मैं दस व्यक्तियों को बोलने का समय न दे सका जिनके नाम यहां पर हैं।

श्री नाथ पाई : आप चाहते हैं कि हम आपको यह बताएं कि आप कैसे संसदीय समिति नियुक्त कर सकते हैं। हम आपको बतायेंगे।

श्री हेम बरुआ : जब लोगों को गोली से मारने का मौका आता है तो वे आसाम को नहीं छोड़ते, परन्तु मारे गये व्यक्तियों के नाम देते समय आसाम की उपेक्षा की जाती है।

श्री नाथ पाई : आसाम के मामले में उस समय के अध्यक्ष ने प्रश्न के जांच के लिये संसदीय समिति को गठित किया था। अगर आप इस मामले के लिये कार्यवाही करेंगे तो आप उस अधिकार का प्रयोग करने में उचित होंगे क्योंकि सरकार न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार नहीं करेगी। अगर आप आज्ञा दे तो हम आपको और अधिक आश्वस्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री सी० दास : इससे कि आप दूसरे विषय में जाएं क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार और उनकी हत्या

*122. श्री श्रीचन्द गोयल : श्री वे० अमात :
श्री गु० चं० नायक : श्री ए० श्रीधरन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न विभागों में हाल में हरिजनों को पीटकर जान से मार देने तथा उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनायें पुनः हुई है;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) हरिजनों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर हरिजनों पर जुलाई, 1968 से पहले के कुछ महीनों में हुए कथित अत्याचारों का विवरण संलग्न है। बताया जाता है कि जुलाई, 1968 से नेफा तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, लकीदीप, मिनिकोय तथा अमीनदीप द्वीपसमूह, त्रिपुरा, गोआ तथा मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्रों में कोई ऐसे मामले नहीं हुए हैं। राज्यों तथा शेष संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) अन्य बातों के साथ साथ हरिजनों की दशा पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 19 मई, 1968 को हुआ था। गृह मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रशासन को समाज के दुर्बल वर्गों के पक्ष में अपना पूरा जोर लगाना चाहिये जिससे उनकी दशा में सुधार हो। यह स्वीकार किया गया कि अनुसूचित जातियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि सवर्ण हिन्दुओं तथा अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित घटनाओं की जांच सामान्य से अधिक सावधानी और शीघ्रता से करनी चाहिये तथा इस बात के सभी सम्भव प्रयत्न किये जाएं कि दोषियों को कम से कम यथासम्भव समय में न्यायालयों के समक्ष लाया जाये। यदि आवश्यक हो तो विशेष जांचकारी दल स्थापित किये जायें जिससे अभियोग में अपर्याप्त जांच के कारण बाधा न पड़े।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मद्रास, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से जुलाई, 1968 से पूर्व के महीनों में हरिजनों पर अत्याचार के मामलों के कोई समाचार नहीं मिले हैं।

आंध्र प्रदेश में 1 जनवरी, 1968 से 30 जून, 1968 तक ऐसे 19 मामलों के समाचार मिले थे, कि इनमें अन्य जातियों के लोगों द्वारा हरिजनों की हत्या के 5 मामले, बलात्कार का एक मामला, आक्रमण तथा गैर कानूनी रूप में व्यक्तियों को रोक लेने आदि के दस मामले

तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दो मामले शामिल थे। इन सभी मामलों में कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की गई। एक मासले में, जिसमें दो हरिजनों को गधों पर बैठाकर घुमाने का आरोप था, सबूत न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

गुजरात में बंसकंठा जिले में जून, 1968 में एक हरिजन बालक की हत्या के एक मामले की रिपोर्ट मिली थी। इस मामले की शीघ्र जांच-पड़ताल की गई और जुलाई, 1968 में इस मामले में आरोप-पत्र न्यायालय में दायर कर दिया गया था।

मद्रास में 1 अगस्त, 1967 से 30 जून, 1968 तक की अवधि में 6 मामले हुए। इनमें से दो मामले अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत के और शेष आक्रमण, चोट पहुंचाने आदि के थे। सभी मामलों में कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

उत्तर प्रदेश में 1 मई, 1968 से 30 जून, 1968 तक हरिजनों पर अत्याचार के 8 मामले हुए जिनमें से एक अस्पृश्यता (अपराध), 1955 के अन्तर्गत एक मामला और शेष आक्रमण, दंगों और महिलाओं पर बलात्कार आदि के मामले थे। सभी मामलों में कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

दिल्ली में केवल एक मामला हुआ जिसमें महीपालपुर गांव में अन्य जातियों के लोगों ने हरिजनों की एक बारात पर हमला किया था। पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई और मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है।

कापासद (उत्तर प्रदेश के हरिजनों की याचिका)

* 123. **श्री जनार्दन :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री जि० मो० विश्वास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के एक गांव कापासद के 55 हरिजन पुलिस और भू-स्वामियों के कथित अत्याचारों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री से संरक्षण प्राप्त करने के लिये हाल ही में दिल्ली आये थे,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में इन हरिजनों ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री को एक याचिका प्रस्तुत की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान्।

(ग) याचिका जांच तथा प्रतिवेदन के लिए राज्य सरकार को अग्रषित कर दी गई है। राज्य सरकार ने गांव में शान्ति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी है।

Safdarjung Airport, New Delhi

* 124. Shri Bibhuti Mishra :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to shift the Safdarjung Airport, New Delhi;

(b) if so, the place to which this airport would be shifted; and

(c) the manner in which the land of the present airport is proposed to be utilized ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The proposal to shift aircraft operations from Safdarjung Airport to a new site is still under consideration.

(b) A number of alternative sites has been surveyed, but no decision has so far been taken.

(c) According to the Delhi Master Plan, land under the Safdarjung Airport is to be utilised for recreational purposes.

राजस्थान में नर बलि

* 125. श्री क० लकप्पा :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री रा० की० अमीन :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री रा० रा० सिंहदेव :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री को० सूर्य नारायण :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से एक ठेकेदार द्वारा उदयपुर (राजस्थान) में एक तालाब के उद्घाटन के अवसर पर एक बारह वर्षीय हरिजन लड़के की बलि दी जाने के बारे में पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सदन के सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जो संलग्न है ।

(ग) राज्य सरकारों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अधीन तुरन्त जांच सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है ताकि ऐसे अपराधों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों पर शीघ्र मुकदमा चलाया जा सके । उनसे ऐसे घृणित अपराधों के मूल कारणों की जांच करने का भी अनुरोध किया गया है ।

विवरण

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उदयपुर जिले में भदरा ग्राम निवासी खुमान सिंह नाम का लगभग 12 वर्षीय एक बालक को भदरा गांव में बनाये जा रहे एक 'एनिकट' के काम पर, पंचायत समिति कोटरा ने जिसका ठेका श्री उदयलाल लोहार नाम के एक व्यक्ति को दिया था, रखा गया था। यह लड़का 21 मई, 1968 को घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्यों ने सोचा कि वह चुनिया दरोगा नामक एक व्यक्ति के साथ काम की खोज में, जैसा कि वह पहले कह रहा था, दूसरे गांव में चला गया होगा। किन्तु 22 मई, 1968 को खुमान सिंह के छोटे भाई ने चुनिया दरोगा को एनिकट में काम करते हुये देखा। उसने इस बारे में अपनी मां तथा अन्य रिश्तेदारों को बताया। चुनिया दरोगा के बारे में गांव में यह प्रसिद्ध था कि उसमें कभी कभी दैवी शक्ति प्रकट होती है और उस शक्ति के माध्यम से वह सच्ची भविष्यवाणी करता है। लड़के के बारे में पूछे जाने पर उसने अपने में वह शक्ति प्रकट होने का बहाना किया और कहा कि लड़के को एक विशाल अजगर निगल गया है। 27 मई, 1968 को खुमान सिंह के पिता ने अपने लड़के के लापता हो जाने के बारे में ओगना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसका पता लगाने के लिये प्रयत्न किये किन्तु पता न लग सका। 3 जुलाई, 1968 को स्टेशन हाउस आफिसर खुमान के गांव गये तो उसके पिता ने उन्हें एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह कहा गया था कि उसे सन्देह है कि चुनिया दरोगा ने उसके लड़के की हत्या की है। चुनिया दरोगा को गिरफ्तार करके उससे अच्छी तरह से पूछ-ताछ की गई। उसके द्वारा बताये जाने पर खुमान सिंह का गाड़ा गया नर कंकाल तथा उसके खून में सने कपड़े बरामद किये गये। हीरालाल जैन, सहित जो इस 'एनिकट' के ठेके के लिये धन की व्यवस्था कर रहा था, पांच और व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत गिरफ्तार इन पांच अभियुक्तों ने यह बताया कि हीरालाल जैन ने इस अमानवीय हत्या के लिये 1,000 रुपये दिये, क्योंकि वह इस 'एनिकट' का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले नरबलि देना चाहता था। सभी अभियुक्तों का चालान दर्ज कर दिया गया है और यह मामला अब 'सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट' के न्यायालय में निर्णयाधीन है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप हुई हानि

*** 127. श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री न० कु० सोमानी :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा की गई सांकेतिक हड़ताल और बाद में "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन के परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ख) इस हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांग स्वीकार कर ली जाय तो उससे सरकार को कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) यह एक काल्पनिक प्रश्न है और बहुत सी परिवर्तनशील वस्तुएं निहित हैं, क्योंकि सारी मांगें निश्चित नहीं हैं। फिर भी, एक विश्लेषण किया जायेगा और यथाशीघ्र आर्थिक अनुमानों या मान्यताओं का एक उपयुक्त भाव प्रस्तुत किया जायगा जो कि विश्लेषण में बताये जायेंगे।

समाचारपत्रों द्वारा साम्प्रदायिकता का प्रचार

*128. श्री हेम बरुआ :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ समाचारपत्र साम्प्रदायिकता की भावना फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये समाचारपत्र कुछ राजनैतिक दलों के हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार के पास इन समाचार-पत्रों के राजनैतिक दलों के साथ सम्बन्धों के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान वर्तमान कानून विशेषत: भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क, 295-क और 505 (ग) के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया है, जो उन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग में लाये जा सकते हैं जो धर्म इत्यादि के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देते हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं जो विभिन्न वर्गों या सम्प्रदायों के बीच मेल मिलाप बनाये रखने के प्रतिकूल हो। राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार करने के फलस्वरूप आपराधिक तथा चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 1968 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है अब संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष है।

शिक्षा के प्रयोजनार्थ उपग्रह संचार व्यवस्था

129. श्री हेमराज :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का विचार निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिये भारत में एक उपग्रह संचार व्यवस्था कायम करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कहां तक सहायक सिद्ध होगी;

(ग) इस योजना पर कुल कितना धन खर्च आयेगा; और

(घ) इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ) : संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का भारत में उपग्रह संचार व्यवस्था कायम करने का विचार नहीं है। मुख्य रूप से शैक्षिक टेलिविजन के लिये संचार उपग्रह का प्रयोग करने वाली मार्गदर्शी परियोजना की वांछनीयता का अध्ययन करने के हेतु 'यूनेस्को' द्वारा नियुक्त अनुसन्धान विशेषज्ञों के एक दल ने कुछ समय पूर्व विचार व्यक्त किया था कि भारत मार्गदर्शी परियोजना की स्थापना के पक्ष में होगा। भारत सरकार की सहमति से नवम्बर–दिसम्बर 1967 में 'यूनेस्को' ने शिक्षा तथा आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिये संचार उपग्रह का प्रयोग करने के हेतु भारत में एक मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ करने की व्यावहारिकता का अध्ययन करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों का एक मिशन भारत भेजा था। भारत में एकत्रित जानकारी तथा अन्य देशों में प्राप्त अनुभव के आधार पर यह 'यूनेस्को मिशन' इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि साक्षरता, स्कूल की शिक्षा के विस्तार और विकास, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, कृषि उत्पादन में सुधार तथा नगरीय और ग्रामीण सामुदायिक विकास की आवश्यकता उपग्रह संचार व्यवस्था से पूरी हो सकती है। 'यूनेस्को मिशन' की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

'यूनेस्को मिशन' के अनुमान के अनुसार इस परियोजना पर 5 करोड़ डालर खर्च होंगे जिसमें से 3 करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा होगी। उपग्रह संचार व्यवस्था के प्रयोग के तकनीकी और इंजीनियरी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है तथा अध्ययन पूरा हो जाने पर इस मामले पर कोई निर्णय किया जायेगा।

विदेशी दूतावासों से सरकारी अधिकारियों को निमंत्रण

*130. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अधिकारी भारत स्थित विदेशी दूतावासों के निमंत्रण स्वीकार करते हैं तथा निर्बाध रूप से उनकी पार्टियों/समारोहों में शामिल होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसे निमंत्रणों को स्वीकार किये जाने के बारे में कोई प्रक्रिया अथवा विनियम बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) विदेशी दूतावासों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा निमंत्रण स्वीकार करने को विनियमित करने के स्थायी आदेश पहले ही विद्यमान है ।

Committee on National Council of Educational Research and Training

*131. **Shri Ranjit Singh :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Eswara Reddy : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri D. N. Deb :**

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dr. Nagchaudhuri Committee has submitted its report to Government on the working of the National Council of Educational Research and Training;

(b) if so, the main recommendations contained in the report; and

(c) the decisions taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is given below.

Statement

Main recommendations of the Reviewing Committee (January 1968–August 1968) of the National Council of Educational Research and Training.

(1) The Council should continue to concentrate on the improvement of school education, with greater attention to primary education, and it should now consolidate rather than expand;

(2) There should be a closer association between the National Council of Educational Research and Training and the State Governments and Universities. Organisations corresponding to NCERT at the Centre should be set up in the States;

(3) The National Institute of Education should be reorganised and some of its departments abolished;

(4) Four-year courses at the Regional Colleges of Education should be discontinued;

(5) The Council and its Governing Body should be reconstituted;

(6) The number of seminars and workshops should be reduced and the training programmes should be few and of a national character; and

(7) The Council should have the status of an institute of national importance.

(c) The report is under Consideration.

काश्मीर सम्मेलन

*132. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री कृ० गु० देशमुख :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
डा० अ० ग० सोनार :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री भोला नाथ मास्टर :
श्री जुगल मंडल :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1968 में शेख अब्दुल्ला के तत्वाधान में जम्मू तथा काश्मीर में एक "राज्य की जनता का सम्मेलन" आयोजित किया गया था;

(ख) उस सम्मेलन में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया;

(ग) उस सम्मेलन में व्यक्त किये गये मतों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान अधिकृत जम्मू तथा काश्मीर के हिस्से के लोगों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उस सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य के दर्जे के बारे में व्यक्त किये गये मतों की विधि द्वारा स्थापित प्राधिकार का खुला उल्लंघन नहीं मानती है, और

(च) यदि हां, तो उस सम्मेलन के प्रायोजकों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) शेख अब्दुल्ला द्वारा बुलाया गया ऐसा एक सम्मेलन 10 से 17 अक्तूबर, 1968 तक श्रीनगर में आयोजित किया गया था।

(ख) दो सौ चौंसठ।

(ग), (ङ) और (च) सरकार का विचार है कि जहां कुछ वक्ताओं ने ठोस और सही रास्ता अपनाया, सम्मेलन में दर्शाए गये कुछ विचार भ्रान्त धारणा वाले थे और तथ्यों तथा यथार्थताओं से पूर्णतया असम्बद्ध थे। सरकार के विचार में सम्मेलन ने कार्यवाही के लिए कोई नया आधार नहीं दिया है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

केरल द्वारा अध्यादेश का उल्लंघन

*133. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० कर्णीसिंह :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री दामानी :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल से निबटने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश की धारा 5 का पालन करने से इन्कार कर दिया था;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी सरकार की हिदायतों को मानने से इन्कार कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) तथा (घ) : दिनांक 18 सितम्बर, 1968 को केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक पत्र में 19 सितम्बर को काम करने के इच्छुक कर्मचारियों को रोकने, कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए उकसाने और/या/हिंसा के लिए उत्तेजित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मामले चलाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने समेत उचित कार्यवाही करने के लिए जिला अधिकारियों को हिदायतें जारी करने में अपनी असमर्थता के लिये खेद प्रकट किया था। तत्पश्चात् 19 सितम्बर को केरल सरकार का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 256 के उपबन्धों की ओर दिलाया गया था जिनके अधीन राज्य सरकारों पर एक दायित्व डाला गया है कि उनकी कार्यकारी शक्ति इस प्रकार प्रयोग की जायेगी ताकि संसद् द्वारा बनाये गये कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। आगे यह भी बताया गया था कि कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिये उकसाने या उत्तेजित करने से सम्बन्धित अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 के उपबन्ध ऐसे कानून के भाग हैं। इस पर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचना दी कि संविधान के अनुच्छेद 256 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तथा आवश्यक समझी गई समस्त कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदर्भ राज्य की मांग

*134. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री अ० दीपा :
श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद्-सदस्यों ने वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में से एक नया राज्य विदर्भ बनाये जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर किस-किस ने हस्ताक्षर किये हैं;

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में हाल में हुए उपद्रवों का एकमात्र कारण यही मांग थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख): लगभग 45 संसद् सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गये बताये गये ज्ञापन की एक प्रतिलिपि लोक-सभा के एक सदस्य ने सरकार को भेजी है। ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि भारत सरकार को एक पृथक विदर्भ राज्य की मांग पर एक जनमत-संग्रह द्वारा विदर्भ की जनता की भावनाओं तथा इच्छाओं का पता लगाना चाहिए। उन व्यक्तियों के नाम बताने वाला एक विवरण, जिन्होंने ज्ञापन में हस्ताक्षर किया बताया जाता है, सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2116/68]**

(ग) इस प्रश्न पर, कि क्या विदर्भ क्षेत्र एक पृथक राज्य बनना चाहिए या महाराष्ट्र का एक भाग रहे, अतीत में विचार-विमर्श किया गया है तथा समस्त विवाद-पद को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 के अधिनियम से तय किया गया है। सरकार का इरादा इस विवाद-पद को फिर से उठाने का नहीं है।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

Forced Conversions

*135. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of the countries where forced conversion is considered as legal offence;

(b) whether Government also propose to enact any law to declare such activities of forced conversion as a legal offence; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The information is not available.

(b) No, Sir.

(c) Use of force for conversion can be dealt with under the existing provisions of the Indian Penal Code. Moreover, the subject matter primarily relates to 'public order' which falls within State field.

Obscene Literature

*136. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether he is aware that publication of obscene literature is constantly on the increase in India;

(b) whether it is also a fact that a number of journals which are full of naked and half-naked pictures, are indulging in this heinous propaganda;

(c) whether any action has been taken to bring these journals to book; and

(d) if so, the result thereof and the names of those journals against whom action has been taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b): Government is aware that there has been some increase in the publication of obscene literature, in some parts of the country.

(c) and (d): The Central Government have requested all the State Governments and Union Territories Administrations to take appropriate action under the law for checking the production, sale and circulation of all obscene publications. The State Governments have launched a number of prosecutions against different journals containing obscene material. Information in respect of these journals is being collected and will be laid on the Table of the House.

आदिम जाति धर्म

*137. श्री कार्तिक उरांव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1911 की जनगणना की रिपोर्ट में आदिम जातियों के धर्म की घोषणा की ओर दिलाया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि आदिम जातियों का अपना धर्म है और यह धर्म ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिन्दू धर्म, पारसी धर्म, बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म आदि अन्य सभी धर्मों से अपनी विशिष्टता रखता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आदिम जाति धर्म को सुरक्षित रखने तथा इसका बढ़ावा देने की दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 1911 की जनगणना की रिपोर्ट में यह नहीं दिखाया गया है कि सभी मामलों में आदिम जातियों का अपना एक धर्म है । फिर भी 1911 में भारत की जनगणना में भारत की जनसंख्या का लगभग 3 प्रतिशत अध्यात्मवादी के रूप में दिखाया गया है । अध्यात्मवादी के रूप में दिखाए गए व्यक्ति मोटे तौर पर वे थे जिन्होंने अभी तक हिन्दुओं के देवताओं की पूजा करने की प्रणाली नहीं बनाई थी और हिन्दू जाति की रूपरेखा पर अपने मूल संगठन का पुनर्प्रतिरूपण नहीं किया था ।

(ख) संविधान के अन्तर्गत समस्त व्यक्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक धर्म व्यक्त करने, आचरण करने तथा विश्वास प्रकट करने का समान अधिकार है । किसी विशेष धर्म-पद्धति को सुरक्षित रखने अथवा बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती है ।

कर्मचारियों के कार्मिक संघों की मान्यता वापिस लेना

*138. श्री रा० बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों के सबसे बड़े कार्मिक संघ की मान्यता को वापिस लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कार्मिक संघों (यूनियनों) के नाम क्या हैं, जिनकी मान्यता वापिस ली गयी है;

(ग) इस प्रकार मान्यता वापिस ली जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस प्रकार मान्यता को वापिस लेने से सरकार को क्या लाभ होगा; और

(ङ) क्या कुछ कार्मिक संघ (यूनियनों) के मामले में मान्यता पुनः दे दी गयी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार ने सभी कर्मचारी संघों की मान्यता को वापस लेन का निर्णय किया है जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 को अवैध हड़ताल में भाग लेने के लिये कहा था।

(ख) बड़ी संस्थाएं/संघों/महासंघों में से कुछ जिनकी मान्यता समाप्त कर दी है, इस प्रकार हैं :—

1. अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ।
2. डाक व तार कर्मचारियों का महासंघ।
3. अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ।
4. अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखा-परीक्षा और लेखा संस्था।
5. आय-कर कर्मचारी महासंघ।
6. नागर विमानन विभाग कर्मचारी संघ।
7. केन्द्रीय सरकार और संयुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ।
8. केन्द्रीय सरकार लिपिक संघ।

(ग) 19 सितम्बर, 1968 को अवैध हड़ताल को बढ़ावा देना।

(घ) सरकार को सरकारी सेवाओं में अनुशासन बनाये रखने के हित में इन सरकारी कर्मचारियों के संघों/संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर दी जिन्होंने कि आचरण नियमों की अवहेलना की और कानून के अन्तर्गत अपराध करने के लिये भड़काया।

(ङ) जी नहीं।

Theft in National Museum, Delhi

*139. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Manibhai J. Patel :
Shri P. C. Adichan :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some rare and valuable gold ornaments and coins were stolen on the night of 25th August, 1968 from the National Museum, New Delhi;

(b) if so, the number and value of the stolen pieces;

(c) whether these pieces are supposed to have been smuggled out of this country and, if so, to which country;

(d) whether some employees of the Museum were suspected of being accomplices in the theft;

(e) whether the band of some international gang was also detected in this connection;

(f) how many persons, if any, have been apprehended in this incident and what has been the result of investigation made in the matter; and

(g) whether a similar theft had taken place last year in the Anthropology Gallery and, if so, the circumstances in which this second theft was committed ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) 125 items of jewellery and 32 pieces of gold coins were stolen. The purchase price of these objects was Rs. 1,78,904/- (Jewellery Rs. 1,60,884/- and coins Rs. 18 020/-). As Museum pieces, however, they are rare and priceless objects.

The police have recovered 107 items of jewellery (purchase price Rs. 1,48,000/-). In addition, they have recovered 1 00 grams of gold, suspected to be melted out of the stolen coins and some of the jewellery.

Indications are that perhaps none of the stolen items has been smuggled out of the country.

(d) and (e): There is no evidence of involvement of any employee of the Museum or a foreigner.

(f) So far four persons have been arrested and the police investigations in the matter are continuing.

(g) Yes, Sir. A theft occurred in the Anthropology Gallery of the National Museum in March, 1967. The circumstances leading to the second theft are under investigation.

सरकारी कर्मचारियों के लिये आवश्यकता पर आधारित वेतन

*141. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपने कर्मचारियों की आवश्यकता पर आधारित वेतन देने के प्रश्न को मध्यस्थ निर्णय को सौंपने के लिये सहमत नहीं है यद्यपि सरकार ने महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के प्रश्न को सिद्धान्त रूप से मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजने से सहमति प्रकट की है;

(ख) क्या सरकार मध्यस्थ निर्णय के लिये इस मामले को भेजने के लिये इस कारण सहमत नहीं हुई है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन नियत करने के बुनियादी सिद्धान्त क्या हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में कमी न होने पाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन तथा महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के लिये कर्मचारियों की मांगों का गत वर्ष संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् में विचार-विमर्श हुआ था और इन विषयों पर असहमति दर्ज की गई। बाद में जब मध्यस्थ निर्णय की मांग की गई की

सरकार की ओर से यह व्यक्त किया गया कि जबकि सरकार की यह राय थी कि ये विवाद योजना के अन्तर्गत उचित मध्यस्थ निर्णय के योग्य नहीं है तो सम्बन्धित मंत्री जैसे कि उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और श्रम मंत्री मामलों को उनके गुणदोषों के अनुसार तथा मध्यस्थता के प्रश्न पर भी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए इच्छुक थे। फिर भी संघों के प्रतिनिधियों ने जिन्होंने हड़ताल के आन्दोलन को उकसाया था, विचार-विमर्श के इस प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया। फिर भी उन अन्य संघों के प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट किया गया जिन्होंने निमंत्रण का उत्तर दिया था कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का प्रश्न एक बहुत ही जटिल समस्या है क्योंकि इसमें विस्तृत आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों का समावेश है। यह भी बताया गया कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की इस मांग से सम्बन्धित प्रश्न एक विस्तृत संदर्भ में पहले ही राष्ट्रीय आयोग के समक्ष है जिससे उसका उचित सम्बन्ध है और राष्ट्र को उस न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी उचित होगी। इस पर सरकार द्वारा पूरी तरह और बहुत सावधानी से विचार किया जायगा। सरकार वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिलाने के विषय पर तथा यदि कोई समझौता न हो तो मामले को मध्यस्थता के लिये भेजने के लिये बातचीत करने के लिये तैयार थी, और है।

(ख) सरकार इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजने के लिये उत्सुक नहीं थी क्योंकि यह संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के लिये योजना के खण्ड 16 के क्षेत्राधिकार में नहीं आता था जो अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय के लिये व्यवस्था करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जब भी कर्मचारी-वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक औसतन 12 माह में 10 अंकों की वृद्धि हो जाती है, तो महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती रही है।

संघ राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

*142. **श्री प्रेमचन्द शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और क्या सरकार ने इन पर विचार किया है;

(ग) इन सिफारिशों के बारे में संघ राज्य क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें कानूनी रूप से अनिवार्यतः मान्य हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित करने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

143. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में पत्तन और गोदी कर्मचारियों की सम्भावित हड़ताल का नोटिस सरकार को कब मिला था;

(ख) हड़ताल के नोटिस में किन-किन मांगों का उल्लेख था;

(ग) अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ और सरकार के बीच 24 सितम्बर, 1968 को किन शर्तों पर समझौता हुआ; और

(घ) हड़ताल होने के समय से कुछ घंटे पहले ही समझौता हो सकने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 7 सितम्बर, 1968 को ।

(ख) कामगरों की मांग थी कि पत्तन और डाक अधिकारियों को यह सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए कि पुनरीक्षित मजदूरी संरचना न्यूनतम वेतन पर बना ली जानी चाहिए अर्थात् आवश्यकता पर आधारित वेतन स्तर पर, और इस स्तर और जीवन मजदूरी मानक के बीच, और इसके फलस्वरूप जो वृद्धि होगी उसे उचित वेतन निर्धारण के तरीकों के अन्तर्गत पुनरीक्षित आधारित वेतन संरचना में और महंगाई भत्ते की जो सभी बड़े पत्तनों पर समान हैं, की योजना में, समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर सभी पत्तन और डाक कामगारों को दिया जाना चाहिए और महंगाई भत्ते की योजना में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि उसका स्वत: सम्बन्ध अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक से हो जिसके अनुसार निर्वाह व्यय पूर्णत: प्रभावहीन हो जाय ।

(ग) अखिल भारतीय पत्तन और डाक कामगार संघ के प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि :--

(1) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक से महंगाई भत्ते को स्वत: बांधने के प्रश्न पर मालिकों के प्रतिनिधि इस बात पर दृढ़ता से नहीं डटे रहेंगे कि वे सरकारी नमूने का अनुकरण करेंगे ।

(2) प्रभाव हीनता (न्यूट्रेलाइजेशन) के प्रश्न पर भी वे बिना सरकारी नमूने पर डटे रहने के खुले दिल से विचार विमर्श करेंगे ।

(3) पुनरीक्षित मजदूरी संरचना के प्रश्न पर वे बिना सरकारी नमूने पर डटे रहने के खुले दिल से विचार विमर्श करेंगे ।

संघ के प्रतिनिधियों को सरकार ने आश्वासन दिया था कि मजदूरी बोर्ड को मना-बुझा के इस बात पर कबूल किया जाएगा कि वह अपनी रिपोर्ट 15 नवम्बर, 1968 तक दे दे और रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के तीन सप्ताह के अन्दर राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन मजदूरों

बोर्ड की सिफारिशों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाएगा इससे पहले कि उन पर सरकार अन्तिम निर्णय ले ।

श्रम मंत्री तथा मैंने संघ के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे मजदूरी बोर्ड की कार्यवाही में भाग लेवे और 24 सितम्बर, 1968 की अर्धरात्रि से हड़ताल करने का नोटिस वापस ले लें । इस अपील के फलस्वरूप संघ के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि वह अपनी संबद्ध संस्थाओं को निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हड़ताल न करने का निदेश दे देंगे । वे मजदूरी बोर्ड की कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी सहमत हुए ।

(घ) मांगें जटिल प्रकार की हैं और समझौता होने से पहले विभिन्न स्तरों पर बात-चीत करनी पड़ेगी ।

Grants to Universities in Madhya Pradesh

***144. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the amount of grant given by the Central Government to the various Universities in Madhya Pradesh during the year 1967-68;

(b) the amount allocated by the Central Government for grants to the Universities of Madhya Pradesh during 1968-69;

(c) whether in view of the fact that the financial condition of the Universities comparatively better, Government still propose to increase the amount of grant; and

(d) if so, the quantum of increase in grant proposed to be made in respect of each University ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The following development grants were given by the University Grants Commission to the Universities in Madhya Pradesh during 1967-68 :—

University	Grants paid Rs.
Indore University	3,35,524.31
Jabalpur University	5,79,491.00
Jiwaji University	1,93,791.01
Ravi Shankar University	3,27,052.01
Saugar University	17,28,046 52
Vikram University	15,17,401.02
Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya	—
Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya	

(b) The University Grants Commission allocates development grants to Universities generally for a Plan period and not on yearly basis.

(c) and (d) The allocation of grants is decided taking into consideration the standing of the University, its stage of development, its financial needs, the programmes which it proposes to undertake and other relevant aspects.

पारादीप पत्तन में डुबाव की स्थिति

*145. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन में डुबाव की स्थिति में अब तक सुधार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) इसमें अग्रेतर सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उस पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) पत्तन ने 19 अक्तूबर, 1968 में 33 फुट डुबाव की घोषणा की है।

(ग) 145 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर जिसमें 113.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है ठेके पर निकर्षण करवाने का और विशाखापत्तनम पत्तन के एक कटर घूषण निकर्षक को डुबाव में और प्रभावकारी सुधार करने के लिये प्रयुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्राचीन वस्तुओं के तस्कर व्यापारी

*146. **श्री डॉ० कु० दास चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य अधिकारियों को प्राचीन वस्तुओं की लूट तथा तस्करी पर कड़ी निगरानी रखने के लिये सतर्क किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि प्राचीनकाल की कई वस्तुओं को चोरी छिपे अमरीका ले जाया जाता है और वहां बेचा जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ विदेशी राजनयिक कर्मचारी भी अन्तरग्रस्त हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के अनेक मन्दिरों से उनकी ऐतिहासिक मूर्तियां (तरासी हुई) तथा प्रतिमायें उड़ा ली गई हैं; और

(ङ) ऐसी चोरियां रोकने तथा सीमा-शुल्क अधिकारियों की गुप्तचर सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गैर-कानूनी निर्यात तथा गैर-कानूनी निर्यात के प्रयत्नों के कुछ मामलों का सरकार को पता चला है और इन मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) इस मंत्रालय को कोई सरकारी सूचना नहीं है।

(घ) पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरक्षित मन्दिरों से कोई चोरी नहीं हुई है।

(ङ) मंदिरों तथा अन्य प्राचीन स्मारकों से चोरियाँ रोकने के लिये राज्य सरकारों को अपनी पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने के हेतु सतर्क कर दिया गया है। उपलब्ध धन के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा रक्षा किये जाने वाले स्मारकों में रक्षा पहरा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। इन स्मारकों के आस-पास पड़ी हुई प्रस्तर मूर्तियों को केन्द्र द्वारा स्थापित मूर्ति शेडों में ले जाया जा रहा है जहां पर उनकी अधिक अच्छी तरह देखभाल हो सकती है। सभी संबंधित व्यक्तियों को कहा गया है कि वे चोरी के मामलों की तुरन्त पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करायें। बड़े पत्तनों पर निर्यात सलाहकार समितियों तथा सीमा-शुल्क अधिकारियों से चुराई गई तथा बिना लाइसेंस वाली प्राचीन वस्तुओं का निर्यात राकने के लिये सभी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है। प्राचीन वस्तु निर्यात नियंत्रण कानून में संशोधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है और गैर-कानूनी निर्यात अथवा उसके प्रयत्नों के लिये इसमें कड़े दण्ड की व्यवस्था की जायेगी।

अन्तर्देशीय नौवहन सेवाओं के विकास के लिये संयुक्त-राष्ट्र विशेषज्ञ

147. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्तर्देशीय नौवहन सेवाओं का विकास करने के लिये विशेषज्ञ की सेवा उपलब्ध कराने के लिये संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्देशीय नौवहन के विकास के लिये कोई रूप-रेखा तैयार करली गई है;

(ग) इस योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस पर होने वाले खर्च को वहन करेगा अथवा यह खर्चा भारत सरकार द्वारा ही किया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) जी हां।

(ख) कुछ समय से जल परिवहन योजना के विकास को पूरा करने के प्रश्न पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित हो रहा है। हाल ही में संसद सदस्य श्री बी० भगवती के आधीन एक अध्ययन दल ने असम की नदियों में चलने वाली सेवाओं पर अपनी रिपोर्ट पेश की है यह रिपोर्ट जांच की जा रही है। गंगा नदी में व्यापारिक सेवाओं के चलाने की उपादेयिता भी सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श के साथ परीक्षाधीन है।

भारत सरकार ने देश की जल परिवहन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के परिवहन के संदर्श से सरकारी और संसद सदस्यों सहित गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक समिति गठित की है जो विकास का एक क्रमिक कार्यक्रम का प्रस्ताव करेगी और प्रथम क्रम में विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष योजनाएं बनाने की संभावना का मूल्यांकन करेगी। इस समिति की रिपोर्ट तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर देश में जल-परिवहन विकास के लिए योजनाओं का निरूपण करना होगा।

(ग) और (घ) इस समय संभावित खर्च को बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह बनाई जाने वाली योजनाओं के प्रकार और विस्तार पर आधारित है। योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्रों से अगर किसी आर्थिक सहायता की आवश्यकता हुई तो योजनाओं के बनाए जाने और उन पर होने वाली व्यय जान लेने के बाद ही उचित समय पर गुण दोषों के आधार पर विचार करना होगा।

पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक हत्याएं

*148. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक हत्याएं की जाने के कुछ आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आरोपों की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क), (ख), (ग) और (घ): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तथा कथित हत्या के दो मामलों में उद्देश्य राजनीतिक विरोध प्रतीत होता है। एक मामले में 8-9-68 को रात को लगभग 1 बजे तक विद्यार्थी विश्वनाथ चौधरी, जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष की थी, पर विरोधी दल के कुछ व्यक्तियों द्वारा तथाकथित आक्रमण किया गया। उस समय विश्वनाथ चौधरी बलियाघाट पुलिस स्टेशन की एक गली की दीवार पर नारे लिख रहा था। उसे गम्भीर रूप में घायल किया गया तथा हस्पताल भेजा गया जहां चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कालीन घोषणा में उल्लिखित चार दोषियों में से तीन गिरफ्तार कर लिए गये हैं। दूसरे मामले में 30-10-1968 को बन्धाबा नगर, पी० एस० बेलघोरिया में एक नानी साहा ने अपने साथियों के साथ बरुण कुमार चक्रवर्ती और दिलूबोस समेत व्यक्तियों के एक समूह को तथाकथित गालियां दी थीं। नानी साहा स्टेनगन से सशस्त्र था और सायं को लगभग साढ़े सात बजे उसने अपनी स्टेनगन से बरुण कुमार चक्रवर्ती और दिलूबोस पर तथाकथित गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के परिणामस्वरूप श्री चक्रवर्ती की उसी समय मृत्यु हो गई और दिलूबोस जो गोलियों से घायल हुआ था हस्पताल में दाखिल किया गया।

इन दोनों मामलों में जांच की जा रही है।

इसके अतिरिक्त विरोधी दलों और कार्मिक संघों के कर्मचारियों के बीच सात अन्य झड़पों, जिसमें घातक चोटें आईं के समाचार भी प्राप्त हुये हैं। यद्यपि इन सात मामलों में भी तथा कथित राजनैतिक उद्देश्य थे फिर भी अब तक की जांच से ऐसे आरोप सही होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं।

Introduction of Bills in Hindi

*149. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the reasons for not making progress in the implementation of the assurance given in Parliament with regard to bringing forward Bills in Hindi to be considered as authenticated with effect from the current Session ;

(b) whether it is also a fact that some vested interests have been creating various types of difficulties ; and

(c) if so, by what time Government would be in a position to present to Parliament authenticated Bills in the official language?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) A number of problems connected with the introduction of bills in Hindi have to be satisfactorily resolved before any progress can be made in this behalf.

(b) No, Sir.

(c) It is not possible at this stage to indicate as to by when Government would be in a position to do this.

वर्ष 1968 के मैक्सिको ओलम्पिक में भारतीय हाकी टीम की हार

*150. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री राम चरण :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैक्सिको औलम्पिक में हाकी में भारत की बड़ी बुरी हार हुई ;

(ख) यदि हां, तो इस हार के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार उन परिस्थितियों की जांच करवायेगी कि यह कैसे हुआ ;

(घ) क्या टीम का चुनाव योग्यता के आधार पर किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : अखिल भारतीय खेल परिषद का पुनर्गठन किया जा रहा है। पहले कदम के रूप में परिषद से मैक्सिको औलिम्पिक खेलों में हाकी में भारत की हार के कारणों को मालूम करने और इस खेल में हमारा स्तर बढ़ाने के लिए सुझाव देने को कहा जाएगा ।

(घ) और (ङ) : पटियाला और जालंधर के प्रशिक्षण शिविरों में आमंत्रित खिलाड़ियों में से टीम का चुनाव भारतीय हाकी संघ द्वारा किया गया मालूम पड़ता है।

अमृतसर में काजी नूरुद्दीन की हत्या

760. श्री देवराव पाटिल : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अगस्त, 1968 में अमृतसर सीमा के निकट भारत की संविधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, काजी करीमुद्दीन के पुत्र काजी नूरुद्दीन जखेद को गोली से मार दिये जाने का समाचार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे "पेप्टिक अल्सर" से बुरी तरह पीड़ित थे तथा उन्हें मैडिकल कालेज, चंडीगढ़ में दाखिल किया गया था ;

(ग) क्या काजी नूरुद्दीन की कथित हत्या की जांच की गई थी और क्या उसके शव को लावारिस करार देकर दफना दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें मारा गया था और हत्या का उद्देश्य धन था अथवा कोई अन्य ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (घ) : सीमा सुरक्षा दल के अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 12/13 अगस्त, 1968 की रात को पंजाब-पश्चिम पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर से दो गैर-शिनाख्त घुसपैठियों ने सीमा सुरक्षा बल के नाका दल द्वारा चुनौती दिये जाने पर गोली चला दी। नाका दल ने भी आत्म-सुरक्षा में गोली चलाई और एक घुसपैठिया मर गया जब कि दूसरा पाकिस्तान की ओर भाग गया। स्थानीय पुलिस द्वारा शव का निपटान कर दिया गया और बाद में शिनाख्त की गई कि वह काजी नरुद्दीन जखेद का शव था। एक मामला दर्ज कर लिया गया है और उक्त काजी नूरुद्दीन जखेद की मृत्यु के कारणों की एक दण्डाधिकारीय जांच भी की जा रही है। दण्डाधिकारीय जांच पूरी हो जाने के बाद अधिक विस्तृत सूचना मिलने की आशा है।

चुराये गये यात्री चेकों की बरामदगी

761. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय में लाखों रुपयों की चोरी के मामले की जांच करते समय हाल ही में कितने तथा कितने रुपयों के चुराये गये यात्री चेक बरामद किये गये हैं ;

(ख) कितने तथा कितने मूल्य के डालर यात्री चेक दिल्ली के भव्य होटलों और दुकानों में वापस पहुंच गये हैं ;

(ग) क्या यह जाल-साजी केवल दिल्ली में ही है अथवा अन्य नगरों में भी फैली हुई है, और यदि हां, तो कौन कौन से नगरों में ;

(घ) अब तक कितने भारतीय तथा विदेशी गिरफ्तार किये गये हैं और उनके नाम क्या हैं ; तथा उन विदेशियों की राष्ट्रीयता क्या है ; और

(ङ) इसकी रोक थाम के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवहारिक कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय संग्रहालय में चोरी के मामले में यात्री चेकों के चुराए जाने की न तो कोई रिपोर्ट मिली थी और न दिल्ली पुलिस द्वारा मामले की जांच के दौरान ऐसे कोई चेक बरामद किये गये हैं। फिर भी अमेरिकन एक्सप्रेस दिल्ली द्वारा खोये सूचित किये गये 3700 डालर के प्रत्यक्ष मूल्य के 21 अमेरिकन एक्सप्रेस डालर यात्री चैकों के भुनाए जाने के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा अभी हाल में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। इस मामले की जांच की जा रही है।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) पंजाब व गुजरात की सरकारों तथा पांडीचेरी, मणिपुर अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, त्रिपुरा, गोवा, दमन तथा दीव और लक्कादीव, मिनिकीय तथा अमिनदिवी द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के ध्यान में ऐसे कोई मामले नहीं आए हैं। अन्य स्थानों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये दो व्यक्ति ये हैं :—

(I) श्री लिओ विन्सेन्ट क्रीडन, एक आइरिश राष्ट्रिक।

(II) श्री सरेश कुमार, भारतीय राष्ट्रिक।

(ङ) सरकार द्वारा आवश्यक निगरानी रखी जाती है और कानून तथा नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों में विलम्ब तथा रद्द किया जाना

762. श्री बाबू राव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा गत वर्ष में विमानों की कुल कितनी उड़ानें देरी से हुई और कितनी उड़ानें रद्द की गईं ;

(ख) उड़ानों में इतनी जल्दी जल्दी विलम्ब होने तथा उनको रद्द किये जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि 25 सितम्बर, 1968 को इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने बम्बई से कोचीन तक की मध्यान्ह पश्चात की उड़ान तथा कोचीन से गोआ होकर बम्बई तक की वापसी उड़ान को अकस्मात ही रद्द कर दिया था ; और यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के पास आपतकाल पर काम के लिये विमान की व्यवस्था है, और यदि हां, तो इसका प्रयोग कितनी बार किया गया है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : अक्टूबर, 1967 से सितम्बर, 1968 तक की अवधि में अनुसूचित उड़ानों में 9,486 (30

मिनट से अधिक की) देरियां हुईं तथा 311 उड़ानें रद्द की गयीं। उड़ानों में देरियों अथवा रद्द किये जाने के निम्नलिखित कारण थे :—

1.	मौसम	1151+220
2.	परिणामी	6682
3.	विविध	369+41
4.	विमान यातायात नियंत्रण	18
5.	इंजीनियरी	892+35
6.	यातायात	164+6
7.	यातायात (खानपान व्यवस्था)	20+1
8.	परिचालन	138+8
9.	परिवहन	52

योग :— 9486+311 = 9797

(ग) : जी, हां। 25 सितम्बर 1968 को उड़ान इस कारण रद्द की गयी कि वह विमान-चालक जिसने उड़ान परिचालित करनी थी सहसा छुट्टी पर चला गया। आपातकालिक विमानचालक (स्टैंड बाइ पाइलाट) भी उपलब्ध नहीं हुआ।

(घ) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स एवजी विमान-कर्मी (रिलीफ क्रू) रखते हैं, जिनका आपातिक आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाता है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कर्मचारी

763. श्री सिद्धय्या : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 1 अक्टूबर, 1968 को एक, दो, तीन तथा चार श्रेणियों के पदों पर कुल कितने कर्मचारी थे ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सरकारी पद

764. श्री सिद्धय्या : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वर्ष 1966-67, 1967 68 तथा 1968-69 में (1अक्टूबर, 1968 तक) एक, दो तीन तथा चार श्रेणियों के कितने पद अधिसूचित किये थे ;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने पद आरक्षित किये गये ; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को चुना गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के छात्रों के लिये शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें

765. **श्री सिट्टयया :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह के छात्रों को मैट्रिक के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारत की मुख्य भूमि पर तथा विदेशों में क्या सुविधाएं प्राप्त हैं ;

(ख) वर्ष 1964-65 से 1968-69 (1 अक्टूबर, 1968 तक) प्रति वर्ष कितने छात्रों को ये सुविधाएं दी गई हैं ; और

(ग) उनमें से कितने छात्र-छात्राएं सरकारी कर्मचारियों के तथा कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पुत्र एवं पुत्रियां हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क), (ख) और (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा गया है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2117/68]

मन्त्रियों तथा संसदीय प्रतिनिधिमण्डलों के विदेशों के दौरे

766. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर और अक्तूबर, 1968 में पृथक पृथक कितने मन्त्री, राज्य मन्त्री, उपमन्त्री और संसदीय प्रतिनिधि मण्डल विदेश यात्रा पर गये ;

(ख) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ;

(ग) उनकी विदेश-यात्रा पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ; और

(घ) प्रतिरक्षा मन्त्रालय तथा इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों द्वारा कितनी विदेश यात्रायें की गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Embezzlement of Funds of Kaushalyapuri Farm, Etawah (U. P.)

767, **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1287 on the 26th July, 1968 regarding embezzlement of funds of the Kaushalyapuri Farm in Etawah (U. P.) by district officers and state :

(a) whether complete information has since been collected ;

(b) whether he is aware that fictitious records have been prepared by the officers and wrong information is being collected ;

(c) whether it is a fact that efforts are being made at high level to shield the officers involved whereas the courts have passed strictures against those officers ; and

(d) whether Government would hold an oden enquiry in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) The matter relates to the years 1949-52 (more than 16 years old), Most of the original records are not available and efforts are being made by the State Government to trace them. It is difficult to say at this stage whether an open enquiry would be necessary in this case.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बुनियादी मांगें

768. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री प्र० के० देव :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री गाड़ितिगन गौड़ :
श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री स० मो बनर्जी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री अदिचन :
श्री रामगोपाल शालवाले :
डा० कर्णी सिंह जी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वे मुख्य बुनियादी मांगे क्या है जिनके कारण कर्मचारियों के कुछ वर्गों ने 19 सितम्बर, 1968 को सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ख) क्या उक्त मांगों पर सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख): एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की निम्नलिखित दस मांगे थी :

1. आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन और अन्तर का समायोजन ।
2. महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाना ।
3. उच्च निर्वाह व्यय के कारण वास्तविक वेतन में होने वाली कमी को पूर्ण रूप से दूर करना ।
4. कर्मचारियों को 50 वर्ष की आयु अथवा 25 वर्ष की सेवा हो जाने पर सेवा-निवृत्त करने के सरकार के प्रस्ताव को वापस लेना ।
5. कर्मचारियों को कोई दण्ड न दिया जाना, तथा दण्डित कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति ।
6. समान वैकल्पिक रोजगार की सुरक्षा के बिना छंटनी न करना ।
7. कर्मचारियों की ठेका तथा नैमित्तिक/प्रासंगिक नियुक्ति प्रणाली को समाप्त करना ।
8. स्वाचालित यंत्रों को प्रयोग न करना और सभी प्रकार की स्वचालित यंत्र व्यवस्था को समाप्त करना ।
9. सम्बोधित कार्मिक संघ से पूर्व परामर्श के बिना भारत सरकार के किसी भी विभाग के कर्मचारियों की सेवा की प्रमुख शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं करना ।
10. अंशकालिक और विभागातिरिक्त कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन विभागीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के अनुपात में निर्धारित करना ।

2. उपरोक्त दस मांगों में से केवल चार ही प्रमुख मांगें है, अर्थात (1) आवश्यकता पर आधारित न्युनतम वेतन और अन्तर का समायोजन, (2) महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाना, (3) उच्च निर्वाह व्यय के कारण वास्तविक वेतन में होने वाली कमी को पूर्ण रूप से दूर करना और (4) कर्मचारियों को 50 वर्ष की आयु अथवा 25 वर्ष की सेवा हो जाने पर सेवा-निवृत करने के सरकार के प्रस्ताव को वापस लेना । जहां तक आवश्यकता पर आधारित वेतन का सम्बन्ध हैं, यह प्रश्न पहले ही अधिक व्यापक रूप में राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचाराधीन है और सरकार इस सम्बन्ध में श्रम आयोग द्वारा की जाने वाली किन्हीं सिफारिशों पर पूर्ण रूप से तथा सावधानीपूर्वक विचार करेगी। महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के प्रश्न पर सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि इस बारे में आगे विचार-विनिमय किया जा सकता है और यदि आवश्यकता हो, तो यह प्रश्न मध्यस्थ निर्णय के लिये भी सौंपा जा सकता है, उच्च निर्वाह व्यय के कारण वेतन में होने वाली कमी को पूर्ण रूप से दूर करने की मांग पर संयुक्त परामर्श व्यवस्था के स्तर पर अभी विचार किया जाना है। 50 वर्ष की आयु अथवा 25 वर्ष की सेवा हो जाने पर कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के प्रस्ताव के बारे में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बात चीत की जा चुकी है और उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रख कर इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। मांग संख्या

5 से 10 तक सामान्य प्रकार की है और उन पर संयुक्त परामर्श व्यवस्था में उस योजना में उल्लिखित सीमा तक तथा प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

पाकिस्तानी जासूस

769. श्री हेमराज :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :
श्री केदार पस्वान :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री गयूर अली खां।
श्री निहाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियां हाल में बहुत तेज हो गई हैं तथा सितम्बर, 1958 के पूर्वार्ध में बहुत से पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कितने पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये हैं; और

(ग) उनसे क्या-क्या जानकारी प्राप्त की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसे जासूसों की गतिविधियों के हाल ही में तेज हो जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है

(ख) एक।

(ग) सरकार के पास जो जानकारी है उसे प्रकट करना लोक-हित में नहीं है।

Prosecutions Launched Against Persons in Barmer District for Helping Pakistani Mujahids

770. Shri Ranjit Singh :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether this has come to the notice of Government that prosecutions have been launched against a number of residents of border areas in the Bihar District for helping the Pakistani Mujahids; and

(b) if so, the effective steps taken to check the recurrence of such incidents in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The State authorities are well as the B. S. F. are maintaining constant vigilance in this regard.

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

771. श्री म० ला० सोंधी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० सुशीला नैयर :
श्री रा० बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री चक्रपाणि :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री के० रमानी :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री शारदानन्द :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नम्बियार :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री उमानाथ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रीधरन :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री लतीफत अली खां :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रामकिशन गुप्त :

श्री दी० चं० शर्मा :
श्री देवराव पाटिल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री क० लकप्पा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री देवेन सेन :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्रीमती निलेप कौर :
डा० रानेन सेन:
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री जर्नादनन :
श्री सीताराम केसरी :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री मधु लिमये :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री बालमीकि चौधरी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री विजय मोडक :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री कं० हाल्दर :
श्री जुगल मंडल :
श्री बसुमतारी :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री ओमप्रकाश त्यागी :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और उनमें से स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या क्या है;

(ख) 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था;

(ग) हड़ताल के सम्बन्ध में तथा दौरान कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनमें से सरकारी कर्मचारियों, कर्मचारी संघ नेताओं तथा संसद सदस्यों की संख्या कितनी-कितनी थी; और

(घ) हड़ताल में भाग लेने के लिये कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया तथा कितनों को सेवा से हटाया गया और उनमें से कितने कर्मचारी स्थायी थे और कितने अस्थायी थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1-4-1967 को 25,51,048। इनमें से 16,26,068 स्थायी थे तथा 9,24,980 अस्थायी।

(ख) लगभग 2,40,000।

(ग) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8134 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (संसद सदस्यों तथा ट्रेड यूनियन नेताओं के बारे में अलग-अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है)।

(घ) अब तक प्राप्त जानकारी से निम्नलिखित पता लगता है।

(i)	अपराधी प्रमाणित होने पर पदच्युत किये गये.....	95
(ii)	निलंबित किये गये	7347
(iii)	नौकरी से निकाले गये	2535

(उपर्युक्त (I) तथा (II) में दी गई संख्या में स्थायी तथा अस्थायी, दोनों सम्मिलित हैं तथा (III) में केवल अस्थायी कर्मचारी सम्मिलित है)।

पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध ज्ञापन

772. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शारदानन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राजनीतिक दलों ने पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के विरुद्ध हाल ही में प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या आरोप लगाये गये हैं; और

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख): 4 जुलाई, 1968 को पंजाब में विरोधी दलों के कुछ नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें तत्कालीन पंजाब के मुख्य मन्त्री तथा उनके कुछ मन्त्रिमण्डलीय सहयोगियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती इत्यादि के आरोप थे ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

Sheikh Abdullah's Activities

773. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Jugal Mondal :
Shri R. Barua :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri D. C. Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Kashmir Shri Sadiq gave the Prime Minister any assurance regarding the internal situation in the State;

(b) whether he has also acquainted her about the new activities of Shri Sheikh Abdullah in the State; and

(c) if so, the reaction of the Prime Minister thereto ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a), (b) and (c): Presumably the Hon'ble Members are referring to the Chief Minister's last meeting with the Prime Minister on 25th October, 1963. There was as usual, a general discussion on the overall situation in Jammu and Kashmir State. The situation in the State is normal.

Anti-India Propaganda by Urdu Papers

774. **Shrt Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some Urdu papers of Andhra Pradesh, Mysore, Uttar Pradesh and Delhi anti-India feelings are being instigated;

(b) whether Government have held any talk with the proprietors of these papers in this respect; and

(c) if not, the action proposed to be taken against these papers ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Facts in respect of Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Delhi are being ascertained. Mysore Government has informed that some Urdu papers in the State have been indulging in writing objectionable under law and also which are derogatory to national honour.

(b) No.

(c) Prosecutions have been launched by Government of Mysore in respect of writings which promot hatred between different Communities. Instances of writings otherwise objectionable have been brought to the notice of the press Council of India.

पाकिस्तान के प्रेजीडेन्ट को शेख अब्दुल्ला का पत्र

775. श्री रवि राय :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1968 को "पैट्रियट" में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है कि शेख अब्दुल्ला ने प्रेजीडेंट अयूब खां को एक पत्र लिखा था कि वह 10 अक्तूबर, 1968 को श्रीनगर में हुए सम्मेलन में भाग लेने के लिये पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर तथा पाकिस्तान के काश्मीरी नेताओं को आने के लिये सुविधाएं प्रदान करें; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) सरकार ने उल्लिखित समाचार देख लिया है, उनके पास कोई अन्य ब्यौरा नहीं है ।

दल-बदल सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

776. डा० सुशीला नैयर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री के० रमानी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रा ावतार शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दल-बदल सम्बन्धी समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर भी रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) : समिति के प्रतिवेदन को, चालू सत्र में संसद के सभा-पटल पर उसकी एक प्रति रखने की दृष्टि से अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

कूकी और मिज़ो विद्रोहियों के साथ मुठभेड़

777. डा० सुशीला नैय्यर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरूआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वे० कृ० दास चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ियों की सीमा के साथ साथ सुगनी के दक्षिण पूर्व में स्थित गान कीहुगं के घने जंगलों में 17 सितम्बर, 1968 को ग्राम दल के साथ मुठभेड़ में बहुत से कुकी और मिज़ो विद्रोही मारे गये थे और बहुत से घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्राम दल को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख): ग्राम स्वयं सेवक दल की एक टुकड़ी ने 18 सितम्बर, 1968 को प्रातः मनीपुर के चुड़ाचांदपुर उप-खण्ड सुगुनू सर्कल में मिजो विद्रोहियों के एक छुपे कैम्प पर आक्रमण किया। कैम्प नष्ट कर दिया गया और मुठभेड़ में 8 विद्रोही मार दिये गये। घायल विद्रोहियों की संख्या मालूम नहीं है क्योंकि वे पकड़े नहीं जा सके थे। 6 राइफलें, एक स्टेनगन और कुछ गोला-बारूद पकड़ा गया। ग्राम स्वयं सेवक दल में कोई आहत नहीं हुआ।

(ग) स्थानीय जनता को विद्रोहियों से अपना बचाव करने के लिये ग्राम स्वयं सेवकों को सभी सम्भव प्रोत्साहन और सहायता दी जाती है।

भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम

778. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम कब स्थापित की गई थी तथा इसके उद्देश्य क्या थे ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार एककों की स्थापना करने के लक्ष्य तथा उत्पादन और विकास के लक्ष्य पूरे हो गये हैं और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उस निगम की स्थापना में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो सहयोगकर्त्ता देश के नाम क्या हैं, सहयोग की शर्तें क्या थी तथा सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ; और

(घ) क्या इस निगम को इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उन्हें कैसे दूर करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम लोक हित में लाभ के लिये अथवा अन्यथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक

अनुसन्धान परिषद भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभागों के पेटेंटों और आविष्कारों तथा विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान संस्थाओं अथवा व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से इस निगम को दिये गये अन्य पेटेन्टों के विकास एवं उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से 31 दिसम्बर, 1953 को स्थापित किया गया था।

(ख) चूंकि राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम नियमित उत्पादक एकक नहीं है, इसलिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे ;

(ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के कार्य में मुख्य गतिरोध यह है कि प्रयोग शाला के स्तर से कारखाना स्तर तक अनेक प्रतिक्रियाओं में से होकर गुजरना है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए अब (एक) इस निगम में ही तकनीशन/इन्जीनियर/अर्थशास्त्री नियुक्त करके एक तकनीकी एकक स्थापित करने का और दो इस प्रयोजन के लिये देश की परामर्श दात्री फर्मों की सेवाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

आसाम पुनर्गठन योजना

779. **श्री रा० बरुआ :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री बे०कु० दास चौधरी :
श्री गु० च० नायक :
श्री दे० अमात :
श्री कार्तिक उरांव :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री श्री क० लकप्पा :
श्री प्र० क० देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री सीताराम केसरी :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आसाम पुनर्गठन योजना घोषित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आसाम के सभी सम्बन्धित दल तथा पर्वतीय नेता उनकी योजना से सन्तुष्ट है ;

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब क्रियान्वित होने की सम्भावना है ; और

(घ) आसाम के प्रस्तावित पुनर्गठन से कितना अतिरिक्त खर्च होगा ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान। इस योजना की घोषणा सरकार द्वारा 11 सितम्बर, 1968 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी।

(ख) सम्बन्धित दल योजना से सन्तुष्ट प्रतीत होते हैं क्योंकि उन्होंने इस पर यथायोग्य प्रयोग करने का निश्चय किया है।

(ग) योजना को अमल में लाने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक चालू सत्र में संसद के समक्ष लाने का प्रस्ताव है। विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर राज्य के पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत विधेयक को संसद द्वारा अधिनियमित कराना होगा। केवल इसके पश्चात ही इस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है।

(घ) योजना में आसाम की सरकार तथा विधान मण्डल के कुछ कार्यों का स्वायत राज्य की सरकार तथा विधान मण्डल को हस्तान्तरण होने की कल्पना की गई है तथा उतना खर्चा हस्तांतरित विषयों पर स्वायत्त राज्य को सहन करना होगा, किन्तु आसाम के राज्य के खर्चे में कमी होगी। फिर भी स्वायत्त राज्य के मंत्रियों, विधान मण्डल के सदस्यों की उपलब्धियों तथा भत्तों के रूप में तथा उस राज्य के मुख्यालय संगठन पर कुछ अतिरिक्त खर्चा हो सकता है। इस अवस्था में निश्चित राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है किन्तु अतिरिक्त खर्चा स्वायत्त राज्य की संचित नीधि से पूरा किया जायेगा।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

780. **श्री रा० बरुआ :**
श्री बे०कु० दास चौधरी :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री चक्रपाणि :
श्री के० रामाणि :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ख) : प्रश्न नहीं उठते हैं।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के वेतनक्रम

781. **श्री हेमराज :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए क्या-क्या वेतनक्रम मंजूर किये गये हैं ;

(ख) कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा अपने अध्यापकों को दिये गये वेतनक्रमों की तुलना में वे कितने कम अथवा अधिक हैं ; और

(ग) दोनों सरकारों के शिक्षकों के वेतनक्रमों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : जानकारी का अपेक्षित ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

उत्तरी भारत में पर्यटन

782. श्री हेम राज : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी भारत में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों को भी इनमें शामिल किया जायेगा और यदि हां, तो किस रूप में ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) भारत सरकार पर्यटन की वृद्धि एवं प्रचार का संगठन क्षेत्रीय आधार पर नहीं अपितु किसी स्थान के पर्यटक दृष्टिकोण से वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण को दृष्टि में रखते हुए करती है । उत्तरी भारत में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो पर्यटक रुचि के लिए बड़े आकर्षण का विषय हैं, उदाहरण के लिये काश्मीर, कुल्लू-मनाली, आगरा, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर इत्यादि । पर्यटन विभाग द्वारा भारत एवं विदेशों में प्रसारित की जाने वाली प्रचार सामग्री में ये सब स्थान सम्मिलित हैं तथा इन्हें पर्यटन विकास योजना सम्बन्धी स्कीमों में शामिल किया गया है ।

(ख) पर्यटक रुचि के स्थानों का विकास करने में पर्यटन विभाग सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ समन्वयपूर्वक कार्य करता है ।

ग्राम्य सड़कों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

783. श्री हेम राज :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्राम्य सड़कों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसकी किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ; और

(ग) उन सिफारिशों को किस प्रकार क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग): ग्राम्य सड़कों सम्बन्धी प्रतिवेदन भारत सरकार को प्राप्त हो गया है और उसकी प्रतियां सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भेज दी गई हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि सम्बन्धित राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम्य सड़कों के विकास के लिये प्रस्ताव करते समय इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाये क्योंकि यह विषय मुख्यतया राज्य की गतिविधियों के क्षेत्र में आता है। जून, 1968 में परिवहन विकास परिषद की मैसूर में हुई अन्तिम बैठक में भी इस मामले पर विचार किया गया था, जब परिषद ने ये सिफारिशें की थीं —

(1) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने के साथ-साथ विशेष उपाय करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। राज्य सरकारों द्वारा ग्राम्य सड़कों के लिए नियत किये जा रहे धन को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया जाये। राज्यों को अपनी योजना बनाते समय ग्रामीण सड़कों के लिए और ठोस सुझाव देने चाहिये तथा उनको प्राथमिकता देनी चाहिये और इनके बारे में प्रस्ताव करने चाहिये। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय करने चाहिये कि ग्राम्य सड़कों के लिये नियत किया गया धन वास्तव में इन पर ही खर्च किया जाता है और इसे अन्य कार्यक्रमों पर नहीं खर्च किया जाता है।

(2) राज्य राज-पथ विभागों में ग्राम्य सड़कों के लिए एक अलग सैल बनाया जाना चाहिये।

ये सिफारिशें सभी राज्य सरकारों तथा राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को अपनी चौथी पंचवर्षीय योजनायें बनाते समय आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई है।

Pay Scales of Delhi Teachers

784. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the teachers of Delhi observed hunger strike collectively at Rajghat on Teachers' Day this year ;

(b) whether it is also a fact that the Executive Council of the Metropolitan Council of Delhi have requested the Central Government to accept the pay scals for Delhi teachers, as suggested by the Administration ;

(c) whether it is also a fact that the Delhi Administration have recommended to give the new pay scales with effect from the 1stApril, 1967 and to grant one advance increment to each of the Delhi teachers ; and

(d) if so, the decision taken by the Central Government in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Delhi Administration have retported that they received a notice from the Joint Council of Delhi Teachers' Organisations regarding the point under reference in the

Question. It was also reported in the press that some teachers had observed 24 hours fast on 5th September, 1968, at Rajghat.

(b) and (c) : Yes, Sir.

(d) The recommendation regarding the grant of one increment to all teachers is under consideration, it has not been possible to accept the other recommendations.

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री की जापान यात्रा

785. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री हिम्मतसिंह का :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह हाल ही में जापान गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) जापान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बात-चीत का क्या परिणाम निकला है और आगामी वर्ष में जापान से अनुमानतः कितने पर्यटकों के भारत में आने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1968 में, मैं ब्यूनोस एयर्स में हुए अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की सभा के 16 वें अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ले गया था और मैं टोकियो स्थित पर्यटन एवं एयर इण्डिया कार्यालयों का दौरा करने, तथा जापान से भारत के लिये पर्यटक यातायात में वृद्धि की सम्भावनाओं की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से जापान के रास्ते भारत वापिस आया।

(ग) जापान में हुई बातचीत के परिणामस्वरुप मेरी ऐसी धारणा हुई कि यदि सच्चा प्रयत्न किया जाये तो चार विभिन्न प्रकार के जापानी पर्यटक वर्ग बड़ी संख्या में भारत आने के लिये आकृष्ट किये जा सकते हैं-(i) बौद्ध पर्यटक, (ii) योरुप जाने वाले यात्री जो बीच में भारत में ठहर कर जाना चाहेंगे, (iii) भारत के लिये आने वाले पर्यटक और (iv) युवक/छात्र यात्री।

इस वर्ष जापान से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 6000 है तथा 1969 में इसमें 10% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

राष्ट्रीय दक्षता दल

786. श्री स० मो० बनर्जी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दक्षता दल के भविष्य के प्रश्न पर विचार करने के लिए और आगे कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये सुझाव को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां । नीचे एक विवरण संलग्न किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार शिक्षकों को निम्न विकल्पों के लिये कह चुकी है और इस कार्य के लिये 15 जून, 1968 को इस विषय में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को लिखा गया था ।

'यदि कोई शिक्षक राज्य के अधिकारियों के अधीन कार्य न करना चाहे तो उसे पुनरीक्षित वेतन नियमों के अनुसार सेवा समाप्ति का लाभ मिलेगा और उसकी सेवाएं समाप्त की जायेगी ;

अथवा

कोई शिक्षक राज्यों द्वारा वेतन क्रम पर राज्यों में, जिनमें सम्बन्धित निकाय तथा स्वयंसेवी संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, अधिकारियों के अधीन नौकरी कर सकते हैं । उस स्थिति में भारत सरकार की नौकरी छोड़ने पर भारत सरकार उस शिक्षक को या तो पुनरीक्षित वेतनक्रम के अनुसार नौकरी छोड़ने सम्बन्धी लाभ देगी या भारत सरकार उस शिक्षक को राज्य द्वारा निर्धारित वेतन और उस शिक्षक को इस समय मिल रहे वेतन के अन्तर के बराबर धनराशि पांच वर्ष तक देगी; इन दोनों लाभों में से शिक्षक एक लाभ को चुन सकता है ।'

26 जुलाई, 1968 को राज्य सभा में शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा दिये गये वचन के अनुसार इस मामले के तथ्य प्रधान मन्त्री तथा उप प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत कर दिये गये थे । तदनुसार शर्तों को उदार बनाने का निर्णय किया गया है । राज्यों द्वारा लिये गये राष्ट्रीय अनुशासन के वेतन तथा भत्तों पर होने वाली कुल व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार वित्तीय वर्ष 1969-70 के अन्त तक राज्य सरकारों को सीधे रुप से अनुदान देगी । अतः ऊपर बताये गये सूत्र के अनुसार । अप्रैल, 1970 से केन्द्रीय सरकार केवल उस अन्तर के बराबर राशि देगी जो शिक्षकों के राज्य द्वारा निर्धारित वेतन तथा उन्हें मिल रहे वेतन में होगा । केन्द्रीय सहायता कुल पांच वर्ष की अवधि के लिये दी जायेगी । राज्य सरकारों को कहा गया हैं कि वे 30 नवम्बर तक राज्यों में शिक्षकों के कार्य को अपने हाथ में लेले और वित्त आयोग को यह वचन दे कि वे 1 अप्रैल 1970 से राष्ट्रीय अनुशासन के शिक्षकों को अपने अधीन ले रहें हैं। शिक्षकों के रिकार्ड की जांच पड़ताल करने उन्हें नियुक्त करने तथा उन्हें अन्तिम रूप से राज्य सेवाओं में रखने के बारे में राज्यों की सहायता करने के लिये प्रत्येक राज्य में उचित संख्या में राष्ट्रीय दक्षता दल के कर्मचारी नियुक्त किए गये है ।

प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अध्यापक

787. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों की दशा को सुधारने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पूरी करने के लिये विभिन्न राज्यों को कुछ वित्तीय सहायता दी जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) : शिक्षा आयोग ने इस बारे में अनेक सिफारिशें की है, जिन्हें राज्य सरकारों की जो कि मुख्यरूप से इनसे सम्बन्धित हैं; विचार तथा अमल करने हेतु भेज दी गई हैं ।

(ख) और (ग): जी नहीं । अपने साधनों अथवा आवंटन से इस खर्च को उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ।

आम चुनावों में विदेशी धन के प्रयोग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

788. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री हेम बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री गणेश घोष :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री उमानाथ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री रा० की० अमीन :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री 2 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2306 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत आम चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग किया जाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस जांच पर सरकार को विचार करने में कितना समय लगने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क), (ख) और (ग) : गुप्तवार्ता विभाग के प्रतिवेदन की जांच अभी की जा रही है ।

एयर इंडिया के कर्मचारियों का अनुपात

789. श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री समर गुह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रीधरन :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अन्य एयरलाइनों की तुलना में विश्व में एयर इण्डिया में सबसे अधिक कर्मचारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस एयर लाइन में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी रखने का औचित्य क्या है और पिछले तीन वर्षों में एयर इंडिया में बड़े पैमाने पर किन कारणों से भर्तियां की गई, जबकि उसके विमानों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई ;

(ग) क्या कर्मचारियों सम्बन्धी स्थिति का पुनरीक्षण करने की दृष्टि से इस मामले पर कभी विचार किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकाला है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) 1967 में एयर इंडिया के पास 7354 कर्मचारी थे और 9 विमानों का बेड़ा था। चूंकि सभी विश्व एयर लाइनों के इसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह कहना सम्भव नहीं है कि इस आधार पर एयर इंडिया का दुनिया की एयरलाइनों में कौनसा स्थान है।

(ख) उपर्युक्त आंकड़ों से यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि एयर इंडिया में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी है या नहीं। कर्मचारी-वर्ग की संख्या अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन में यांत्रिकिकरण किस स्तर तक किया जा चुका है और इस बात पर भी कि वह संगठन अन्य एयरलाइनों या संगठनों को कितनी सेवा प्रदान करता है। एयर इंडिया भारत से होकर विमान सेवाएं परिचालित करने वाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को सेवा प्रदान करने, और कुछ भारतीय वायु सेना के विमानों व उपस्कर के संधारण के लिए पर्याप्त संख्या में भूमिगत कर्मचारियों को नियुक्त किये हुए है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों में एक स्वीकृत की गयी कसौटी "उपलब्ध टन किलो मीटरों" (ए० टी० के०) के रुप में कर्मचारियों की उत्पादनकारिता है। इस कसौटी के अनुसार एयर इण्डिया का 100 विश्व एयरलाइनों में अठारहवां स्थान है।

(घ) एयर इन्डिया कर्मचारियों की संख्या निरन्तर पुनरावलोकन करते रहते हैं।

मगल लाइन लिमिटेड

790. श्री प्रेमचन्द शर्मा : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगल लाइन लिमिटेड कब स्थापित की गई थी और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उसकी स्थापना की गई थी ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार एककों की स्थापना उत्पादन तथा विकास के लक्ष्य पूरे हुये थे और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इस कम्पनी की स्थापना में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो किन-किन देशों का सहयोग प्राप्त किया गया था तथा किन शर्तों पर और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ; और

(घ) क्या इस कम्पनी को इस समय किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उन्हें कैसे दूर करने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) मुगल लाइन लिमिटेड को सरकार ने उस कम्पनी के 80 प्रतिशत शेयर लेकर उसके पूर्व मालिक टर्नर मोरिसन एण्ड कम्पनी से 1960 में अपने हाथ में लिया था।

(ख) से (घ) : इस कम्पनी का मुख्य उद्देश्य यात्रा के मौसम में जेद्दाह जाने वाले हज यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति और जब यात्रा का मौसम नहीं होता है तब माल और यात्रियों को लाल समुद्र के पत्तनों तक ले जाना है। यह कम्पनी तटीय व्यापार का चालन भी करती है। यह कम्पनी जहाजी कम्पनी है और निर्माण ऐकिक नहीं है। पुराने जहाज एस० एस० इस्लामी जो गत वर्ष रद्दी हो गया था, के स्थान में एक नये यात्री जहाज के निर्माण का प्रस्ताव सरकार ने मंजूर कर लिया है। कम्पनी इस नये जहाज को विदेशों से मंगाने का प्रयत्न कर रही है।

आसाम राज्य क्षेत्र में अतिक्रमण

791. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम के मुख्य मन्त्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि आसाम राज्यक्षेत्र पर किये गये अतिक्रमणों में नागालैण्ड सरकार का हाथ है ;

(ख) यदि हां, तो नागालैंड तथा आसाम के बीच क्या विवाद है और क्या वह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) क्या इस प्रश्न के बारे में अध्ययन किया गया है और यदि हां, इस विवाद को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) इस मामले में जब तक अन्तिम निर्णय नही लिया जाता तब तक के लिये इन अतिक्रमणों को किस प्रकार रोकने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) : आसाम के मुख्य मन्त्री ने 21 सितम्बर, 1968 को आसाम विधान सभा में नागालैण्ड-आसाम सीमा के प्रश्न एक व्यक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने आसाम क्षेत्र में अतिक्रमणों के ब्यौरे दिये और यह भी बताया कि इन अतिक्रमणों के साथ साथ इन क्षेत्रों में नागालैण्ड प्रशासन को लाने का एक प्रयास किया जा रहा है ।

(ख), (ग) और (घ) : यह विवाद इन दो रोज्यों के बीच की निश्चित सीमा और आसाम में कुछ आरक्षित वन क्षेत्रों पर नागालैण्ड सरकार के दावे से सम्बन्धित है । नागालैंड सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिये एक सीमा-आयोग की नियुक्ति का सुझाव दिया है । यह मामला विचाराधीन है । नागालैण्ड और आसाम के मुख्य सचिवों की अभी हाल में हुई बैठक में वे इस बात पर सहमत हुये थे कि नागालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962 में परिभाषित उन दो राज्यों के बीच की सीमा कुछ क्षेत्रों में इसी आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए ।

पोप द्वारा उपहार में दिये गये ट्रक

792. **श्री क० लकप्पा :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० सुशीला नैयर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री श्रीधरन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1968 में पोप द्वारा उपहार में दिये गये ट्रक केन्द्रीय परिवहन बोर्ड निगम के पास हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इन ट्रकों का प्रयोग उस कार्य के लिये किया जा रहा हैं ; जिसके लिये ये उपहार में दिये गये थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :(क) और (ख) खाद्य और कृषि मन्त्रालय द्वारा प्राप्त कुल 224 ट्रकों, जिनमें पोप द्वारा दिये गये 40 ट्रक भी शामिल हैं, में से 171 ट्रक इस समय केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के पास हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

पारादीप पत्तन

793. श्री क० लकप्पा :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री रविराय :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री प्र० के० देव :
श्री श्रीधरन :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी–मार्च 1968 में विदेशी विशेषज्ञों का एक दल पारादीप पत्तन में आया था और उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट का मोटा ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) इस दल के प्रतिवेदन की प्रतियां पहले ही संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं जिनमें से ब्यौरा देखा जा सकता है । इस दल ने नौवहन सम्बन्धी सुविधाओं, मिट्टी निकालने के प्रबन्धों, संचार सुविधाओं तथा लोह-अयस्क को प्राप्त करने और उसे उतारने के लिये प्रबन्ध के बारे में कुछ टिप्पणियां दी हैं । पारादीप के बारे में उनकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं

(1) केन्द्रीय सरकार को इस पत्तन के लिये उपलब्ध बहुत ही अनुभवी अधिकारी लगाने चाहिये ?

(2) आवश्यक दिकचालन साधनों को जिसमें रेडार रीफ्लेक्टर वाले मार्ग बोया शामिल हैं, प्राप्त किया जाये तथा उन्हें स्थापित किया जाये ;

(3) मिट्टी निकालने के विद्यमान उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग करने के लिये केन्द्रीय सरकार तुरन्त कार्यवाही करें ;

(4) भविष्य में पारादीप पत्तन पर बड़े-बड़े जहाजों से माल उतारनें तथा उन पर माल लादने के लिये उपलब्ध की जानी वाली कर्षनावें पर्याप्त अश्व शक्ति की होनी चाहिये ;

(5) केन्द्रीय सरकार को पारादीप के लिये वी० एच० एफ० रेडियो उपकरण तथा आवश्यक लायसेन्स प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिये ;

(6) ट्रक से अयस्क को उस स्थान पर, जहां अयस्क को उतारने / चढ़ाने के लिये यन्त्रों की व्यवस्था है, सीधे पहुँचाने की अनुमति देने के लिये द्रव्यचालित ट्रक डम्परों तथा सहायक वाहकों की स्थापना करने के प्रश्न पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिये ;

(7) इस बात का पता लगाने के लिये कि ट्रक तोलने की प्रक्रिया को कैसे तेज बनाया जा सकता है, अध्ययन किया जाना चाहिये ;

(8) बड़े "हिप्पो" ट्रकों को सीधे तोलने के लिये भविष्य में ट्रक स्केलों की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिये ;

(9) रीक्लेमर से अयस्क को दो बार उतारने/चढ़ाने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने की दृष्टि से बुलडोजर प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जाये ;

(10) जहाजों में लादे जाने वाले लोह-अयस्क से सम्बन्धित कागजात लदान पत्तन पर ही तैयार किये जाया करें ;

(11) पारादीप में पत्तन सेवाओं का वैज्ञानकीकरण किया जाये ;

(12) सैंड तथा बूस्टर पम्पों की स्थापना शीघ्र की जाये तथा यदि नये उत्तरी तरंग रोध के मामले में कोई विलम्ब होने की सम्भावना है तो ग्रोइनों को स्थापित करने के प्रश्न पर तुरन्त विचार किया जाये ;

(13) निकाली गई रेत को हटाने के लिये तैरती हुई पाइप लाइन की बजाय जलमग्न पाइप लाइन बिछाई जाये ;

(14) जब तक यातायात की मांग पूरा करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती तथा जब तक भीतरी क्षेत्र को सड़क तथा रेल से मिलाने की अच्छी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सामान्य माल की गोदियों का निर्माण न किया जाये ;

(15) पत्तन के कर्मचारियों के लिये मकानों की शीघ्र व्यवस्था की जाये ;

(16) केन्द्रीय सरकार पारादीप में निर्माण-कार्य में विलम्ब की जांच करे और इस समय हो रहे निर्माण-कार्य विशेषकर सैंड पम्प के लिये घोड़ी के निर्माण कार्य को सरल बनाने तथा उसे शीघ्र पूरा करने के लिये कार्यवाही करे ।

समाज-विरोधी कृत्यों के कारण पकड़े गये हिप्पी लोग

794. **श्री क० लकप्पा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री गु० चं० नायक :
श्री दे० अमात :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक हिप्पी लोग गांजे की तस्करी करने तथा समाज विरोधी अन्य कृत्य करने के कारण पकड़े गये है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कृत्यों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कुछ विदेशी कुछेक गैर-कानूनी गतिविधियों में, जिनमें गांजे आदि का अवैद्य रूप से रखना भी शामिल है, भाग लेते पाये गये हैं ।

(ख) अवांछनीय गतिविधियों के विरुद्ध निगरानी बढ़ा दी गई है तथा जब कभी आवश्यक होता है, उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाती है ।

हवाई अड्डों का विकास

795. **श्री लकप्पा :** **श्री वेणी.शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री श्रीधरन :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक-उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हवाई अड्डों के समेकित विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसका मोटा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह योजना कब आरम्भ की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिह) : (क) सरकार द्वारा नियुक्त की गयी अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्र समिति तथा विमान-क्षेत्र योजना दल देश में क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा अन्य हवाई अड्डों के विकास के लिये प्रस्तावों पर विचार करते रहे हैं ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विषय में मुख्य विचारणीय बात यह है कि उन्हें विशालकाय विमानों द्वारा उपयोग के लिये तथा बाद में उन सुपरसौनिक विमानों के उपयोग के लिये जिनका कि भविष्य में विकास किये जाने की आशा है उपयुक्त बनाया जाये । देशीय हवाई अड्डों के विषय में विकास सम्बन्धी प्रस्ताव देश की औद्योगिक वाणिज्यिक तथा पर्यटकीय आवश्यकताओं पर आधारित हैं ।

(ग) हवाई अड्डों का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तथा यद्यपि तात्कालिक आवश्यकताओं के बारे में चालू वित्तीय वर्ष में ही कार्यवाही की जा रही है । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किये जाने वाले प्रस्तावों की रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है ।

"कास्टेशिया" सम्मेलन

796. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री हेम बरुआ :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9 अगस्त से 20 अगस्त, 1968 तक दिल्ली में हुए "कास्टेशिया" सम्मेलन जिन अधिकारियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को सम्मेलन द्वारा किये गये निर्णयों सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय किये गये थे ; और

(ग) सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कास्टेशिया सम्मेलन में जिस भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था उसकी सूची सभा पटल पर रखी गई । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०2118/68]

(ख) कास्टेशिया की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उनकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) कास्टेशिया की सिफारिशों को यूनेस्को की महासभा के सम्मुख, प्रस्तुत की जाएंगी, जिसकी पैरिस में बैठक हो रही है । महासभा के निर्णय प्राप्त होने पर, भारत सरकार द्वारा जो कार्यवाई करना आवश्यक समझा जाएगा, की जाएगी ।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल की सूचना

797. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री अदिचन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की उन यूनियनों और एसोसिएशनों के नाम क्या है, जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 को एक दिन की हड़ताल करने के इरादे की सूचना दी थी ;

(ख) ये सूचनाएं किन-किन तारीखों को प्राप्त हुई ;

(ग) इन सूचनाओं के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ; और

(घ) उन यूनियनों और ऐसोसिएशनों के नाम क्या है, जिन्होंने हड़ताल के अपने नोटिस वापिस लिये और इस आशय की सूचना सरकार को किन-किन तारीखों को प्राप्त हुई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : पूछी गई सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैक्सिको ओलम्पिक खेल-कूद प्रतियोगिता

798. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैक्सिको ओलम्पिक खेल-कूद प्रतियोगिता में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया और विभिन्न दलों के साथ कितने अधिकारी वहां गये ;

(ख) इन भारतीय खिलाड़ियों तथा उनके दलों के साथ गये अधिकारियों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी ;

(ग) इन ओलम्पिक खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये विभिन्न दलों का अन्तिम रूप से चयन कब किया गया था ; और

(घ) इन दलों का अन्तिम रूप से चयन करने में अत्याधिक विलम्ब होने के क्या कारण थे ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क)	खिलाड़ी	अधिकारी	जोड़
हाकी	18	2	20
एथलेटिक्स	2	1	3
कुश्ती	4	1	5
निशानेबाजी	2	1	3
वजन उठाना	1	1	2
मिशन का नेता	–	1	1
सचिव एवं खजान्ची	–	1	1
	27	8	35

(ख) 41,640.00 रुपये ।

(ग) हाकी टीम का अन्तिम चुनाव अगस्त में कर लिया गया था जबकि अन्य टीमों को केवल 25-9-1968 को अन्तिम रूप दिया जा सका था ।

(घ) बार-बार स्मरण कराने के बावजूद, भारतीय ऑलिम्पिक संस्था के प्रधान ने केवल 11-9-1968 को ही अपने प्रस्ताव भेजे थे । अधिकारियों आदि के नामों के बारे में कुछ सूचना सितम्बर के चौथे सप्ताह में भेजी गई थी । इस प्रकार हाकी टीम के अलावा ऑलिम्पिक दल को अन्तिम रूप देने में देरी हुई थी ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा कैरावेल विमानों के स्थान पर अन्य विमानों का चलाया जाना

799. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री भोगेन्द्र झा :
डा० रानेन सेन :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री दे० वी० सिंह :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इस बात का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है कि कैरावेल विमान के स्थान पर प्रयोग के लिये किस किस्म का विमान खरीदा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस आधार पर किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (श्री कर्णसिंह): (क) और (ख): फिलहाल कारवेल विमानों को बदल कर उनकी जगह दूसरे विमान लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु कारपोरेशन ने पांच अतिरिक्त अधिक क्षमता वाले विमानों की खरीद के लिये एक प्रस्ताव भेजा है। सरकार के इस प्रस्ताव के विषय में अति शीघ्र ही निर्णय करने की आशा है।

Police Firing in Etawah

800. Shri Ranjit Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Rabi Ray :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Vishwanath Pandey :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Yashpal Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the police opened fire at Bakewar in Etawah District of Uttar Pradesh on the 12th September, 1968, as a result of which many persons were killed and many others sustained injuries;

(b) if so, the reasons for which the police opened fire there and whether a judicial enquiry into the matter has been ordered;

(c) whether it is also a fact that Shri Arjun Singh Bhadoria, M. P., and Shrimati Sarla Bhadoria, M. P., were put into jail in this connection and were badly treated; and

(d) if so, the action taken in this respect ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library-See No. LT 2119/68]**

(c) and (d) : Shri Arjun Singh Bhadoria, M.P. and Shrimati Sarla Bhadoria, M.P. arrested in connection with a case u/s 147/148/149/307/325/436/332 IPC, which was regis-

tered in connection with the incident and were admitted in the district jail on September 12, 1968. The State Government have reported that they were not badly treated.

Foreign Wives of Government Employees

801. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Gazetted Officer of the Government of India is required to take Government's permission before marrying a foreign lady;

(b) if so, the number of such Gazetted Officers of the Government of India. at present in service, who had informed or obtained permission from Government before marrying a foreign lady; and

(c) the number of Gazetted Officers at present, who have married foreign ladies ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charn Shukla) (a) No such permission is required except in the case of officers of the Indian Foreign Service.

(b) If officers of the Indian Foreign Service : (excluding four officers who married foreign ladies before their appointment to the Indian Foreign Service);

(c) 21 officers of the Indian Service.

Construction of Building for Vikram University

802. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present building occupied by the Vikram University, Ujjain is inadequate keeping in view its capacity and expansion of its activities;

(b) whether the Central Government propose to give grant or provide certain amount in the grant for the construction of University building;

(c) if so, the amount likely to be allocated as grant for the construction of the building in addition to the grant proposed to be given to the University during the financial year 1968-69; and

(d) the time by which this amount will be given ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The University has sufficient accommodation for teaching departments. According to the University authorities, accommodation for administrative office in inadequate.

(b) to (d) : Neither the Central Government nor the University Grants Commission give any grant to State Universities for construction of their administrative buildings.

Missionaries Propagating their Religion

803. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whethre it is a fact that foreign Missionaries have been using money for propagating their religion in this country;

(b) if so, whether Government have got this matter investigated through intelligence or otherwise in order to ascertain the source of income of these foreign Missionaries in this country; and

(c) the amount spent by vorious Missionaries on preparation of their religion during the last 3 years, according to the information obtained by the Government through official sources along with the names of such Missionaries ?

The Miniiter of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla): (a) There have been reports of some individual foreign missionaries using material inducements for conversion to Christianity.

(b) Sources of income of the foreign missionaries are broadly known, No special investigation is considered necessary.

(c) There is no law requiring individual missionaries to maintain and submit for official scrutiny accounts of expenditure incurred by them. The information asked for cannot, therefore, be obtained-

Arrest of Communist Leader

804. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Intelligence Bureau and the State Intelligence Bureau had arrested a Communist leader, Vikram Singh, in Jullundur in September, 1968 and released him on bail on two sureties of Rs. 50,000 each;

(b) if so, the reasons for his arrest according to the information received through the Central Government sources; and

(c) meanwhile what action has been taken by the State Government against the arrested person ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) : According to the information furnished by the State Government one Dr. Vikram Singh has been arrested under section 406 and 408 IPC for a suspected embezzlement of funds reported to have been collected by him from abroad for the Desh Bhagat Yadgar Committee, Jullundur. The case is being investigated. Meanwhile, Dr. Vikram Singh has been released by the Judicial Magistrate on furnishing a bail of Rs. 50,000 and a personal bond of an equal amount.

उड़ीसा में छोटे पत्तनों का विकास

805 श्री चिन्तामणि पाणिग्रही - क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में छोटे पत्तनों के विकास के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया हैं;

(ख) क्या चिल्का का छोटे पत्तन के रुप में विकास करने के प्रयत्न किये जायेंगे; और

(ग) बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (ग): मुख्य पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों का विकास करने की कार्यकारी जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य

सरकारों की है । 1968-69 के लिये उड़ीसा राज्य के वार्षिक योजना कार्यक्रम में छोटे पत्तनों के विकास के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के लिये राज्य सरकार ने राज्य क्षेत्र में छोटे पत्तन सम्बन्धी कोई योजना शामिल करने का प्रस्ताव नहीं किया है । उन्होंने 127.30 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर चान्दबाली और गोपालपुर के छोटे पत्तनों का केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के रुप में विकास करने का प्रस्ताव किया है । चिल्का का एक छोटे पत्तन के रुप में विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रुप नहीं दिया गया है ।

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्ली में पुलिस की ज्यादतियों के बारे में जांच

806 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:**
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उपायुक्त श्री बी० टण्डन ने, जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में हुई घटना के कारणों की जांच की थी, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस ने "ज्यादतियां" की थीं; और

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली का उपायुक्त, जिनको 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन में और इसके आसपास हुई घटनाओं के तथ्यों की जांच करने के बारे में कहा गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पुलिस ने निर्दोष व्यक्तियों को भी अकारण पीटा और भवन के अन्दर अवांछनीय बरबादी की ।

(ख) सरकार ने पुलिस अधीक्षक को निलम्बित कर दिया है जिसे 19 सितम्बर को इन्द्रप्रस्थ भवन में तैनात किया गया था और सम्बन्धित अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी का एक गैर-कार्यकारी पद पर तबादला कर दिया गया है । यह भी निर्णय किया गया है कि उनके आचरण की विभागीय जांच केन्द्रीय सतकर्ता आयुक्त के अधीन विभागीय जांच के लिये आयुक्तों में से एक आयुक्त, श्री ए० एस० रामचन्द्र राव द्वारा की जाये । उप-आयुक्त को उन अधिकारियों के सही-सही रवैये की अग्रेतर जांच करने के लिये कहा गया है; जिन्होंने पुलिस के साथ भवन में प्रवेश किया था और जिस के वे इन्चार्ज थे । उनका प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

पौलेण्ड यूगोस्लाविया तथा बुलगारिया से जहाजों की खरीद

807. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री रा० बरुआ :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलेण्ड तथा विभिन्न अन्य देशों से जहाज प्राप्त करने के सरकार के प्रयत्न सफल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या सफलतायें मिली हैं; और

(ग) क्या स्थगित भुगतान के आधार पर यूगोस्लाविया तथा बुलगारिया से जहाज प्राप्त करने के प्रबन्ध पूरे कर लिये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) (क) से (ग): 1.4.1966 अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि के समाप्त होने की तारीख के पश्चात पोलैण्ड, युगोस्लाविया, पश्चिम जर्मनी, पूर्वी जर्मनी तथा रुमानिया के निम्नलिखित नये जहाजों के क्रयादेश दिये गये हैं :

पोलैण्ड - लगभग 22,000 विशुद्ध भार टन के तीन जहाज जिनमें एक पहले ही प्राप्त हो चुका है। अन्य दो जहाजों की केवल दो दिन ही पहले मन्जूरी दी गई है।

युगोस्लाविया : लगभग 4.79 लाख विशुद्ध भार टन के 11 जहाज। इनमें से लगभग 1.50 लाख विशुद्ध भार टन के तीन तेल-पोतों का हाल ही में क्रयादेश दिया गया है।

पश्चिमी जर्मनी : लगभग 27,000 विशुद्ध भार टन के 2 जहाज, जिनमें से एक पहले ही प्राप्त हो चुका है।

पूर्वी जर्मनी : लगभग 36,000 विशुद्ध भार टन के 4 जहाज।

रूमानिया : लगभग 5,600 विशुद्ध भार टन के 2 जहाज। इसके अतिरिक्त 1971 और 1974 के बीच लगभग 14,000 डी० डब्ल्यू० टी० के 10 कोयला-वाहक जहाज खरीदने तथा 1973 और 1975 के बीच लगभग 14,000 डी० डब्ल्यू० टी० के 6 सामान्य माल वाहक जहाज प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाने के बारे में रुमानिया के अधिकारियों के साथ सिद्धान्त रुप से हाल ही में एक समझौता हुआ है। तथापि भारतीय जहाज मालिकों तथा रुमानिया के पोत प्रांगण के साथ कीमत विशिष्ट विवरणों तथा अन्य संगत शर्तों को अन्तिम रुप देने के बारे में ब्यौरे पर अभी बात-चीत करनी है।

जहां तक बुल्गारिया का सम्बन्ध है उस देश से अभी तक किसी जहाज के लिये क्रयादेश नहीं दिया गया है। तथापि सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

पुलिस आवास योजना के लिये उड़ीसा सरकार को सहायता

808. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को 1965-66, 1966-67 तथा 1967 - 68 में पुलिस आवास योजना के लिए ऋण दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो मन्जूर किये गये ऋण का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में अब तक कितने मकान बनाये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख)

वर्ष	स्वीकृत किया गया ऋण रुपये लाखों में
1965-66	5.95
1966-67	10.00
1967-68	15.00

(ग) पारिवारिक आवास 1792

2165 व्यक्तियों के लिए बैरक आवास ।

Crimes in U. P. after President's Rule

809. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases of firing, murder, dacoity, loot and other crimes upto October, 1968 after the imposition of President's Rule in U. P. and the details regarding dates and places where these incidents took place ;

(b) the number of crimes among them committed by police officers and the number of police officers/employees against whom cases are pending in courts, State Intelligence Organisation, Central Intelligence Organisation/Department and other agencies ;

(c) the number of cases in which police officers have been penalised so far ; and

(d) whether it is a fact that the reports of many serious incidents were not registered and Government provided unlawful protection to many police officers/employees involved ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidhya Charan Shukla) (a) to (d) : The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

चण्डीगढ़ और भाखड़ा नंगल बांध के बारे में विवाद का निपटारा

810. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो महिनों में चंडीगढ़ और भाखड़ा नंगल बांध के विवाद को किसी प्रकार हल करने के लिये कोई प्रयास किये हैं ;

(ख) क्या विभिन्न दलों ने इस बारे में सरकार को बहुत से ज्ञापन दिये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विषय में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गत दो महिनों में पंजाब में कोई लोकप्रिय सरकार के न होने के कारण इन मामलों को निपटाने के कोई प्रयास नहीं किये गए ।

(ख) इस अवधि में किसी भी दल से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुए ।

(ग) पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो जाने के पश्चात इन मामलों को निपटाने के प्रयास पुनः आरम्भ किए जाएंगे ।

आसाम का पुनर्गठन

811. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम के पुनर्गठन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त निर्णय के बाद आसाम के राज्यपाल से एक रिपोर्ट मांगी थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्रोही कुकी तथा मिजो लोगों के साथ मुठभेड़

812. श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री वे० कु० दास चौधरी :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अगस्त के अन्तिम सप्ताह में चूड़ाचांदपुर सब-डिवीजन में कोंगपाईहोबी हिल्स में विद्रोही कुकी तथा मिजो लोगों के एक दल की सीमा सुरक्षा दल के

एक गश्ती दल के साथ कई दिन तक भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें मार्टरों, लाइट मशीन गनों तथा स्टेनगनों का प्रयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो दोनों ओर के कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या किसी विद्रोही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके हथियार पकड़े गये हैं और यदि हां तो कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं और पकड़े गये हथियारों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) विद्रोही मिजो तथा कुकी लोगों की निरन्तर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस क्षेत्र में शान्ति तथा व्यवस्था कायम करने के लिये यदि कोई अन्तिम हल निकाला गया है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : 25 अगस्त, 1968 को प्रातः 9 बजे चूड़ाचांदपुर से लगभग 9 मील दक्षिण-पूर्व में होवी पहाड़ियों में सुरक्षा–दल की एक गश्ती टुकड़ी के साथ विद्रोहियों की मुठभेड़ हुई। गोलाबारी में गश्त का एक कर्मचारी घायल हुआ और एक विद्रोही मारा गया।

(ग) कोई विद्रोही पकड़ा नहीं गया। एक राइफल और कुछ गोलाबारूद विद्रोहियों से बरामद किये गये।

(घ) सुरक्षा दलों ने उस प्रभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है जो सशस्त्र सेना (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्ति अधिनियम 1968 के उपबन्धों के अधीन उपद्रव-ग्रस्त घोषित कर दिया गया है।

असैनिक उड्डयन में विमान चालकों तथा दिक्चालन निर्देशकों की सेवा की शर्तें

813. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग तथा भारतीय वायु सेना के विमान चालकों, दिक्चालन निर्देशकों तथा अन्य संचालन कर्मचारियों की उपलब्धियों तथा अन्य सुविधाओं में बड़ा भारी अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवा की शर्तों में क्या–क्या अन्तर है ;

(ग) क्या यह सच है कि वायु सेना की सेवा की तुलना में असैनिक उड्डयन के विमान चालकों, दिक्चालन निर्देशकों तथा अन्य संचालन कर्मचारियों की सेवा की शर्तें बेहतर होने तथा मृत्यु का और अपंग होने का खतरा एक होने के बावजूद भी उनमें अनुशासन अधिक है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष तथा इस वर्ष अब तक असैनिक उड्डयन के विमान चालकों तथा अन्य संचालन कर्मचारियों की हड़तालों तथा धीरे काम करने के तरीकों के कारण कुल कितनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी या बहुत विलम्ब से चलाई गई और इण्डियन

एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया को इस कारण राजस्व की कितनी-कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारतीय वायु सेना के तथा नागर विमानन के विमान कर्मियों को प्राप्त होने वाली परिलब्धियों तथा अन्य सुविधायों के विषय में कोई संगत तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इन दोनों वर्गों से सम्बन्धित विमान कर्मियों की सेवा परिस्थितियों में बड़ा अन्तर है।

(ग) और (घ) दोनों एयर कारपोरेशनों के उड़ान कर्मियों में अनुशासनहीनता के मामले हुए हैं। जिन उड़ानों को हड़तालों के अथवा 'धीरे चलो' की कूटनीति अपनाने के परिणामस्वरूप रद्द करना पड़ा अथवा जो इस कारण काफी विलम्बित हुई, उनका ब्यौरा उनके कारण हुई आय कि हानि के साथ नीचे दिया गया है :–

	एयर इण्डिया				इण्डियन एयरलाइन्स			
	1965	1966	1967	1968	1965	1966	1967	1968
1. रद्द की गई उड़ानों की संख्या	5	101	28	–	–	7	–	–
2. उन उड़ानों की संख्या जिनमें काफी विलम्ब हुआ	63	–	1	–	–	7	–	–
3. राजस्व की विशुद्ध हानि (राजस्व की हानि जिसमें व्यय में बचत सम्मिलित नहीं) (लाख रुपयों में)	6.43	22.80	14.75	–	–	0.62	–	–

Forcible Conversion of Khampa Tribes by Christian Missionaries

814. Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Y. A. Prasad :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri N. K. Sanghi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons belonging to Khampa tribe, who have come to India in large numbers from Tibet, are being forcibly converted to christianity by the foreign Christian Missionaries ;

(b) whether it is also a fact that the Tibetan people, who had come to India earlier have protested against this forcible conversion ; and

(c) if so, the action taken by Government in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such report has been received by Government.

(b) No, Sir. However, Some Tibetan refugees are reported to have staged a demonstration in the month of September, 1968 against the evangelical activities of a Christian Missionary, who is not a foreigner, among the Tibetan refugees in Dehra Dun.

(c) Since there has been no forcible conversion, the question of Government taking any action does not arise.

Jamait-Ul-Ulema

815. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6589 on the 30th August, 1968, and state :

(a) whether keeping the activities of the Jamait-Ul-Ulema in view, Government are considering to declare it as a communal organisation ;

(b) if not the reasons for not doing so inspite of the fact that Mufti Abdul Galif of Jmait-Ul-Ulema and Rahmat Najami, editor of Ul-Aljamaiat, were arrested on account of their being connected with the communal riots which took place in Meerut on the 27th January, 1968 ;

Whether it is also a fact that the people, responsible for the communal riots which took place in Meerut on the 27th January. 1968 ; and

(c) whether it is also a fact that the people, responsible for the communal riots in Meerut, were specifically the leaders of the Jamait-Ul-Ulema ?

The Minister of the State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidhya Charan Shukla) : (a) and (b) : There is no law under which an organisation may be declared as communal. Specific prejudicial acts of individuals are dealt with under appropriate laws.

(c) Attention is invited to the answer given on August 30, 1968 to part (a) of the Unstarred Question No. 6589.

पादरी फेरर

816. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ना० स्व० शर्मा ।
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री ;
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6618 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पादरी फेरर की भारत में वापसी के प्रश्न के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों ने यह सिफारिश की है कि पादरी फेरर को पुनः भारत में आने की अनुमति दे दी जाये ;

(ग) यदि हां तो किन-किन राज्यों ने सिफारिश की है ; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पादरी फेरर को भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने के कारण भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, ऐसी सिफारिश करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) : मामले का उल्लेख आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री से किया गया था जिन्होंने इसको केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया। चूंकि ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं था कि राज्य सरकारों को इससे कोई तथ्यपूर्ण आपत्ति होगी, पादरी फरेर को आंध्र प्रदेश में कार्य करने के लिये वीसा स्वीकृत कर दिया गया।

केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करना

817. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
डा० रानेन सेन :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री रविराय :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बात की आपत्ति की है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हाल की हड़ताल की अवधि में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने से पहले उससे सलाह नहीं ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या पहले भी संभावित अथवा वास्तविक गड़बड़ के समय राज्य सरकारों की अनुमति के बिना राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजी गई थी और यदि हां, को कितनी बार ; और

(ङ) ऐसे मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : केरल सरकार से पहले परामर्श लिये बगैर उस राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय पर राज्य सरकार ने इस आधार पर आपत्ति की कि इससे केन्द्र तथा केरल के बीच अच्छे सम्बन्धों के अनुरक्षण में सहायता मिलने की सम्भावना नहीं थी।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों तथा संस्थापनों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार को केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करनी पड़ी थी। राज्य सरकारों से उन मामलों में भी सलाह की जाती है जिनमें संविधान के अधीन विचार-विमर्श अनिवार्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करने की निरन्तर उत्सुकता रहती है। फिर भी, इस विशेष मामले में सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन के सम्बन्ध में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने की समस्या की ओर राज्य सरकार के दृष्टिकोण ने, राज्य सरकार को

पहले से सूचना दिये बिना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने के अतिरिक्त, कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। तथापि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के उप महा निरीक्षक को, जिन्हें केरल में प्रतिनियुक्त किया गया था राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये निर्देशित किया गया था जो उन्होंने त्रिवेन्द्रम पहुंचने के तुरन्त बाद किया।

(घ) तथा (ङ) : अतीत में कोई ऐसी समान परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी जिसमें राज्य सरकारों से पहले विचार-विमर्श किये बिना राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करने की आवश्यकता पड़ी हो।

हजारी बाग में गुब्बारों का उतारा जाना

818. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग से 20 मील दूर कपला गांव में एक बड़ा गुब्बारा जिसमें लकड़ी का एक बन्द सन्दूक था, उतारा गया था ;

(ख) क्या उसकी जांच की गई है?

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह):(क) से (ग): 22-9-68 को एक बड़ा सा बेलून जिसमें एक छोटे से केबिनेट में यांत्रिक रूप से फिट किया गया उपस्कर लगा हुआ था, हजारी बाग जिले में मांडू पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अन्तर्गत रेकुरा गांव के मसूरीतारी टांड नामक एक एकान्त स्थान में पाया गया। बेलून की रामगढ़ के सैनिक अधिकारियों द्वारा परीक्षा की गयी। उनकी सम्मति में बेलून संभवतया मौसम विभाग का था। पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे आगे और जांच पड़ताल के लिए बैलून एवं उपस्कर को कलकत्ता के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र के पास भेज दें।

अमरीका में सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी की तोड़फोड़ की गतिविधियों के बारे में जांच

819. **श्री जी० मो० विस्वास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी की भारत में तोड़-फोड़ की कथित गतिविधियों के बारे में कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क),(ख) और (ग): सरकार गत आम चुनाव में और अन्य उद्देश्यों के लिये विदेशी धन के प्रयोग के बारे में गुप्त वार्ता विभाग के प्रतिवेदन पर विचार कर रही है। वह विदेशी एजेंसियों की तोड़-फोड़ की गतिविधियों के बारे में भी सतर्क है।

गुजरात में पर्यटन केन्द्र

820. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में पर्यटन के स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों को परिवहन की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये पिछले पांच वर्षों में कितना व्यय किया गया ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : पिछले पांच वर्षों में गुजरात में पर्यटक रुचि के स्थलों को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिये परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई व्यय नहीं किया । परन्तु 1962-63 में केशोद हवाई अड्डे और सासान गिर आखेट पशु शरण-स्थान के बीच परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकार को 62,031.00 रुपये दिये गये थे ।

गुजरात आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजन

821. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1962 से अब तक आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या, जिला-वार कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों के वीजा की अवधि बढ़ाई गई तथा कितने व्यक्ति वीजा की अवधि के अन्दर पाकिस्तान चले गये ;

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें इस अवधि में भारत से चले जाने का आदेश दिया गया तथा कितने वास्तव में भारत से चले गये ; और

(घ) यदि कोई व्यक्ति छुप गये हों तो उनकी संख्या कितनी है और उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2120/68]**

कच्छ में तटवर्ती सड़क

822. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प विकसित तटवर्ती क्षेत्र के लिए आवश्यक संचार सुविधा प्रदान करने के हेतु सरकार का विचार गुजरात राज्य में भावनगर से मांडवी (कच्छ) तक एक तटवर्ती सड़क का निर्माण करने के लिये कोई सहायता देने का है; और

(ख) क्या इस तटवर्ती सड़क के निर्माण से भावनगर और मांडवी के बीच दूरी काफी कम हो जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) और (ख): भावनगर को मांडवी (कच्छ) से मिलाने वाली प्रस्तावित तटवर्ती सड़क एक राज्य सड़क होगी। इसलिये गुजरात सरकार इस परियोजना से मुख्यतया सम्बन्धित है। उन्होंने इस परियोजना के लिये विशिष्ट रूप से कोई सहायता नहीं मांगी है। तथापि वे बड़ोदा को बरास्ता भावनगर, मलिया से मिलाने वाले तटवर्ती राजपथ के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिये अनुरोध करते रहे हैं। माननीय सदस्य के ध्यान में शायद यह तटवर्ती राजपथ है क्योंकि मलिया से मांडवी तक पहले ही एक सड़क है जो अंशत: राष्ट्रीय राजपथ है और अंशत: राज्य सड़क है। सहायता के लिये राज्य सरकार की प्रार्थना पर कोई निर्णय केवल चौथी योजना में धन के नियतन को अन्तिम रुप देने के पश्चात ही किया जा सकेगा।

गुजरात में खम्भात तथा अन्य पत्तनों का विकास

823. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **परिवहन तथा नौहवन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने तथा कौन कौन से पत्तन हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनमें से कितने पत्तनों का विकास किया गया;

(ख) क्या सरका ने गुजरात में छोटे पत्तनों के विकास के लिये विशेषकर खम्भात पत्तन के लिये जिसमें गाद जमा हो गई है, कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौहवन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : (क) से (ग): गुजरात में कांडला के मुख्य पत्तन के अलावा 10 माध्यम तथा 35 छोटे पत्तन हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कांडला पत्तन पर 647.97 लाख रुपये की लागत का विकास कार्य किया गया था।

अन्य पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है जिसने सूचना दी है कि उन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में व मध्यम तथा 12 छोटे पत्तनों का विकास किया है। इन पत्तनों तथा तीसरी योजनावधि में विकसित किये गये पत्तनों के नाम सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2121/68**]।

राज्य सरकार ने चौथी योजना में जिसे अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया है, राज्य क्षेत्र में छोटे तथा मध्यम पत्तनों के विकास के लिये 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है। इन प्रस्तावों में खम्भात पत्तन का विकास शामिल नहीं है। राज्य सरकार ने सूचित किया हैं कि इस पत्तन के विकास के प्रश्न पर विचार खम्भात की खाड़ी के जल-सर्वेक्षण के पूरा होने के पश्चात ही किया जा सकता है क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि क्या वहां पर लंगर स्थान तक कोई नौवहन योग्य मार्ग है और क्या खम्भात के पत्तन से उचित दूरी पर सागर में जाने वाले जहाजों के लिए कोई लंगर-स्थान उपलब्ध है।

गुजरात में विमान सेवायें

824. श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में गुजरात में विमान सेवाओं के विस्तार के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) क्या सरकार का बम्बई, सूरत, बड़ौदा से अहमदाबाद के लिये विमान सेव शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) गुजरात के ऐसे महत्वपूर्ण नगरों के नाम क्या हैं जिनमें इस वर्ष विमान सेवा शुरू हो जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गुजरात में विभिन्न नागर हवाई अड्डों पर निर्माण कार्यों के लिये 1968–69 के बजट प्राक्कलनों में 2 ',06 000 रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) और (ग) कारपोरेशन ने 1969 की ग्रीष्म में बम्बई, बड़ौदा और अहमदाबाद को जोड़ने वाली एक विमान सेवा परिचालित करने की योजना बनाई है । परन्तु अभी उनकी सूरत को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है । सूरत के 'फाकर' परिचालनों के लिये विकास की व्यवहार्यता पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

(घ) बड़ौदा ।

बिहार में इंजीनियर

825. श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री टी० पी० शाह :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री बिहार के कुछ इंजीनियरों के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में 26 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अधीनस्थ डिवीजनों के विशेष लेखापरीक्षा तथा भण्डार जांच प्रतिवेदन इस बीच बिहार सरकार को प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले को केन्द्रीय जांच विभाग को कब तक सौंप दिया जायेगा ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग): बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्युत निर्माण–कार्य परिमण्डल (इलैक्ट्रिक वर्क्स सर्कल) के सम्बन्ध में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का पहला भाग पहले ही केन्द्रीय अन्वेषण विभाग

को भेज दिया गया है । विद्युत निर्माण-कार्य परिमण्डल के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन का दूसरा भाग तथा मुजफ्फरपुर और पटना विद्युत निर्माण कार्य डिविजनों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रीय अन्वेषण विभाग को उनके द्वारा भेजे जा रहे हैं । भागलपुर तथा रांची विद्युत निर्माण कार्य डिवीजनों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की बिहार के महालेखाकार से प्रतीक्षा की जा रही है जिनसे बिहार सरकार द्वारा जल्दी करने के लिये अनुरोध किया गया है ।

Changes in Decentralised Services

826. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 122 on the 26th July, 1968 regarding hunger strike by Central Govvernment Employees and state :

(a) the present position regarding the changes to be made in the existing decentralised services from L. D. C s. to Section Officers, in the Central Secretariat Service;

(b) the time by which relevant changes are likely to be made; and

(c) the reasons for delay in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home-Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : The question of making certain modifications to the present decentralised administration of the Central Secretariat Services is still under consideration and a decision is likely to be taken in the near future. The modifications require consideration at various levels and amendment of rules in consultation with the Union Public Service Commission.

Recruitment in Commission for Scientific and Technical Terminology

827. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5240 on the 23rd August 1968 and state :

(a) whether action for regular recruitment against concerned posts through the U. P. S. C. has since been taken;

(b) if so, the date on which these posts were referred to the U. P. S. C. ; and

(c) if not. the reasons for delay and the date by which these posts are likely to be referred to the U. P. S. C ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir,

(b) 12th November, 1968.

(c) Does not arise.

Khosla Commission Report

828. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri T. P. Shah :
Shri K. M. Abraham :
Shri Mohammad Ismail :
Shri Umanath :
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1075 on the 26th July, 1968 and state :

(a) whether the examination of the Khosla Commission Report on Delhi Police has since been completed;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) if not, the reasons for the delay and the time by which the said examination is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c): The majority of the recommendations in the Khosla Commission Report have been examined and the remaining are under active examination. Their examination also is expected to be completed shortly. As and when decisions on the recommendations are arrived at, suitable steps for implementation are being taken.

Police Excesses in Minicoy Islands

829. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1069 on the 26th July, 1968 and state :

(a) whether the inquiry which was being conducted by a Senior Officer of the Central Bureau of Investigation into the charges of police atrocities in Minicoy Islands has since been cempleted; and

(b) if so, the details thereof and the action taken or proposed to taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : The report on the inquiry has not yet been received,

अनिवार्य सेवायें सधारण अध्यादेश

830. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री जनार्दनन :
श्री लताफत अली खां :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को हाल ही में एक पत्र भेजा है जिसमें 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अत्यावश्यक सेवा कायम रखने सम्बन्धी अध्यादेश पर राज्य सरकार के रवैये को गलत बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या विशिष्ट बातें कही गई हैं; और

(ग) केरल सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने 23 सितम्बर, 1968 को केरल राज्य सरकार को एक तार भेजा था।

केरल सरकार को यह बताया गया कि अपने उत्तरदायित्वों की दृष्टि से उनके द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, जिसमें अध्यादेश के कुछ उपबन्धों के उल्लंघन के लिये अभियोजन तथा गिरफ्तारी का बहिष्कार किया है, केन्द्रीय कानून का पालन करने के उनके सांविधानिक उत्तर-दायित्वों के अनुरुप नहीं था। यह स्पष्ट कर दिया गया कि केन्द्रीय सरकार यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि केन्द्रीय कानून को पालन करने के सांविधानिक उत्तरदायित्व ऐसे कानून की अवहेलना करने की स्वतन्त्रता के अनुरुप है अथवा विवेक के प्रयोग के नाम पर राज्य सरकार किसी ऐसे कानून की अवज्ञा भी कर सकती है और न ही केन्द्रीय सरकार यह स्वीकार कर सकती थी कि लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व में यह अधि-कार निहित है कि वह केन्द्रीय कानून के पालन से इस आधार पर इन्कार करे कि अन्यथा शांति भंग हो सकती है। आगे यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 256 तथा 257 के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्वों को निभाना है।

(ग) 26 सितम्बर, 1968 को केरल के मुख्य मन्त्री ने गृह मन्त्री को अपने संदेश में कहा था कि सरकार का यह मत है कि वह संविधान द्वारा अपेक्षित उत्तरदायित्वों का ठीक से पालन कर रही है। उन्होंने आगे बतलाया कि केन्द्रीय सरकार ने केवल उचित कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थिति का मूल्यांकन करने को कहा था। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि राज्य सरकार ने यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया है कि सांविधानिक उत्तरदायित्व की अवहेलना करने की स्वतन्त्रता केन्द्रीय कानून का पालन करने के सांविधानिक उत्तरदायित्व के अनुरूप है।

केन्द्रीय सेवाओं के लिये नई भर्ती

831. **श्री हो० ना० मुकर्जी ;**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री लतीफ अली खां :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 के सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले सेवा से निकाले गए कर्मचारियों का स्थान लेने के लिए सरकार ने केन्द्रीय सेवाओं में नई भर्ती शुरु कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और विभाग वार आंकड़े क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): सूचना उपलब्ध नहीं है तथा एकत्रित की जा रही है। उसे यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

परादीप बन्दरगाह

832. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या परिवहन तथा नौहवन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परादीप बन्दरगाह से इस समय कोई लाभ नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख): परादीप बन्दरगाह को समुद्री यातायात के लिये नवम्बर, 1966 में चालू किया गया था । अतः इससे 1966–67 के उत्तरार्ध में लाभ होगा । 1966-67 के राजस्व आय और खर्चे के आंकड़े (वास्तविक) और 1967-68 (संशोधित प्राक्कलन) इस प्रकार हैं;

	1966–67 (वास्तविक) (लाख रुपयों में)		1967–68 (आर०ई०) (लाख रुपयों में)
आयगत प्राप्तियां	8.32		100.3
परिचालन व्यय	14.68		91.9
घाटा	6.36	अधिकतम	8.4

उपर्युक्त व्यय के आंकड़ों में मूल्य ह्रास या राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था शामिल नहीं है । पत्तन ने अभी इतना लाभ नहीं कमाया है कि वह मूल्यह्रास और ब्याज को इसमें शामिल किया जा सके । यह आशा की जाती है कि जैसे-जैसे यातायात में वृद्धि होगी वैसे-वैसे परादीप बन्दरगाह के लाभ में भी वृद्धि होगी ।

"लिंक" तथा "पैट्रियट" समाचार पत्रों को विदेशी सहायता के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट

833. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **गृह–कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लिंक' तथा 'पैट्रियट' समाचार पत्रों को विदेशी सहायता मिलने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग): गत आम चुनाव में तथा अन्य उद्देश्यों के लिये विदेशी धन के प्रयोग के बारे में गुप्तवार्ता विभाग के प्रतिवेदन की अभी जांच हो रही है ।

Strike by Central Government Employees in Rajasthan

834. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government employees in the Rajasthan State also participated in the recent strike;

(b) if so, the total number of the Central Government employees who were on strike in Rajasthan;

(c) the number of those arrested in this connection department-wise; and

(d) the department-wise details of such employees who have been either suspended or dismissed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सुधार

835. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापडिया :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकायाध्यक्षों (फैकल्टी डीन्स), विश्वविद्यालय प्राध्यापकों और कालेज के प्रिंसिपलों के एक कार्यकारी दल ने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में आमूल सुधार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) परीक्षाओं की योजना के कार्य पर विचार करने के लिए, जिसमें लेक्चर वगैरह में उपस्थिति, बी० ए० (पास), बी० एस० सी० (सामान्य) पाठ्यक्रमों आदि का पुनर्निर्माण भी शामिल है, दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त की गयी समिति को अभी अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इस समिति में कुछ संकायाध्यक्ष (डीन फैकल्टीज), विभागों के प्रमुख कालेजों के प्रिंसिपल तथा अन्य भी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Pay Scales of Teachers in Bihar

836. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the pay scales of the teachers in different grades at the time of joint strike of teachers in Bihar; and

(b) the action taken during the period of President's rule in Bihar for implementing the recommendations of the Kothari Commission regarding the Dearness Allowance and other facilities.

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : The required information regarding teachers of recognised non-government schools, whose salary scales have been revised with effect from 1-4-68, is contained in the statement laid on the Table of the House. [**Placed in Library**. See No. L. T. 2122/68]

बिहार के अध्यापकों द्वारा हड़ताल

837. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के अध्यापक अब फिर हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा मांगी गई सुविधायें उन्हें उपलब्ध नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों के असंतोष के कारण स्कूलों में पढ़ाई में बाधा पड़ने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय को कोई सरकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) इसका सम्बन्ध मुख्य रूप से राज्य सरकार से है ।

Assurances to Non Gazetted Employees of Bihar

838. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Bibhuti Mishra ;

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government are not implementing the assurances given to non-gazetted employees of Bihar in connection with calling-off of their strike;

(b) whether it is a fact that Government are adopting an attitude of vengeance against the non-gazetted employees of Bihar;

(c) if not, whether as a token of their goodwill forwards the employees Government would treat the period of strike as the period of special leave; and

(d) If not, the value of the assurances given by the Union Minister of Home Affairs ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d): Attention in this connection is invited to (d), (e) and (f) of the Statement placed on the Table of the House in reply to starred question No. 658 on the 23rd August 1968. An extract of the reply given is enclosed for ready reference. [**Placed in Library**. See **No. L. T. 2131/68**]

It is not correct to say that the Government are adopting an attitude of vengeance against the non gazetted employees of Bihar.

Commission to Enquire into Indiscipline among Students

839. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri R. K. Amin :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether any effot has been made by the Central Government to find out the causes of indiscipline, discontentment and lawlessness rampant in student community throughout the country by appointing a Commission;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therfor;

(d) whether Government feel themselves unable to have such a survey conducted; and

(e) if so, the action Government intend to take for rooting out the tendency of indiscipline among students ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d): The question of student indiscipline has been discussed from time to time by Committees of the University Grants Commission, the Education Commission, the Conference of Vice-Chancellors and Educationists held in October, 1966 and the Vice-Chancellors' Conference which took place in September, 1967.

(e) The reports of the U. G. C. Committees and Education Commission have been communicated to the Universities and the State Governments for consideration and implementation of the recommendations. The University Grants Commission has also been assisting the Universities in implementing various development programmes, as well as programmes of students welfare with a view to providing a congenial atmosphere for study and research and to divert students' attention from undesirable activities.

छोटा नागपुर और संथाल परगनों में सड़क परिवहन का विकास

840. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष छोटा नागपुर और सन्थाल परगनों के पिछड़े हुये क्षेत्रों में सड़क परिवहन का विकास करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख): अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

बिहार सिविल सेवा में गैर-आदिम जातियों के व्यक्तियों का अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के रूप में प्रवेश

841. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सिविल सेवा में निम्नलिखित भारतीय ईसाई, जो कि आदिम जातियों के नहीं है, अनुसूचित आदिम जातियों के रूप में प्रवेश कर गये हैं :

1. कुमारी बेद डीन ।
2. श्री फरांसिस डीन ।
3. श्री सलील कायन ।
4. श्री हेनरी ब्राइट, और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध तथा उन्हें आदिम जाति का झूठा प्रमाण-पत्र देने वालों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीय पुस्तकालयों को प्रकाशनों का सम्भरण

842. श्री कार्तिक उरांव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पुस्तक प्रदान (प्रकाशन) अधिनियम, 1954 के 1956 में संशोधित रूप में प्रत्येक प्रकाशक को मुद्रणालय से अपने प्रकाशन के बाहर आने के तीस दिनों के अन्दर-अन्दर उसकी तीन प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालयों को भेजनी आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो 1956 में कितने प्रकाशन प्राप्त हुए थे; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में, वर्षवार, कितने प्राप्त हुए ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1656 में प्राप्त हुए प्रकाशनों की संख्या निम्नलिखित है:-

प्राप्त हुई पुस्तकों की संख्या

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता	31,381
कामेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, मद्रास	2,103
दी सेन्ट्रल लाइब्रेरी, टाउन हाल, बम्बई	8,738

(ग) पिछले पांच वर्षों में प्राप्त हुए प्रकाशनों की संख्या निम्नलिखित है:—

	नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता	कामेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, मद्रास	सेन्ट्रल लाइब्रेरी टाउन हाल, बम्बई	कुल संख्या
1963–64	24,569	13,412	15,775	53,756
1964–65	32,622*	10,778	12,752	56,152
1965–66	20,185	11,187	16,605	47,977
1966–67	19,980	12,120	17,767	49,867
1967–68	16,827	14,817	16,820	48,464

* इसमें 11,357 नक्शे भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में गोंडा में और अन्य स्थानों में पुलिस की ज्यादतियां

843. डा० सुशीला नैय्यर :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिवचरण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सीताराम केसरी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री गोंडा में पुलिस की कथित ज्यादतियों के बारे में 26 अगस्त, 1968 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इस बीच जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जांच रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) गोंडा में पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में 9 अक्तूबर, 1968 को राज्य सरकार ने बाराबंकी के जिला न्यायाधीश श्री आर० एस० भार्गव को नियुक्त किया है, इस समय जांच हो रही है ।

सरदार पटेल स्मारक निधि से धन का दुरुपयोग

844. डा० सुशीला नैयर :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार पटेल स्मारक निधि में से कुछ लोगों द्वारा लगभग 10 लाख रुपये के दुरुपयोग के बारे में अहमदाबाद नगर निगम के विरुद्ध हो रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने तथा कौन-कौन से व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग): राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

Exclusion of A Text Book from the Syllabus of Public School in Rajasthan

845. Shri P. L. Barupal :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a text book has been excluded from the syllabus of a public school in Rajasthan on the ground that Bhakt Meera Bai has been quoted as the wife of Maharana Pratap;

(b) whether it is also a fact that the India Foundation also expressed doubts about the character of Bhakt Meera Bai in the book;

(c) whether the State Government has sent any communication to the Central Education Board in this connection; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d): The Central Board of Secondary Education has not received any complaint in connection with the matter referred to in the Question. The requisite information has not been received from the State Government as well.

सम्बलपुर (उड़ीसा) में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्थापित किया जाना

846. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनकी उड़ीसा की हाल की यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने उन्हें सम्बलपुर, जो कि आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र का मुख्य स्थान है, वहां एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ज्ञापन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्य सरकार ने एक ज्ञापन पेश किया था और सुझाव दिया था कि केन्द्रीय सरकार सम्बलपुर अथवा बरहामपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में संभाल लें ।

(ख) केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव को शक्य नहीं समझती है ।

अर्जुनसिंह की मृत्यु

847. श्री म० ला० सौंधी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री रा० की० अमीन :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले श्री अर्जुन सिंह की मृत्यु को पुलिस द्वारा 'पांचवी' छत से धक्का दिया गया था और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धियों को शव देने से पूर्व उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उसकी मृत्यु के कारणों की जांच पूरी कर ली गई है और यदि, हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):(क)(घ)और(ङ) श्री अर्जुन सिंह की मृत्यु के बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता के सम्बद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत एक समक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा जांच पड़ताल की गई। वह इस परिणाम पर पहुंचे थे कि बहुत सम्भव है कि मृत्यु इन्द्रप्रस्थ भवन की तीसरी या चौथी मंजिल से गिरने के कारण हुई। बाद की जांच में डिप्टी कमीश्नर इस परिणाम पर पहुंचे थे कि श्री अर्जुन सिंह जब वे एक खिड़की के जाले में स्वयं को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, नीचे गिर गये।

(ख) और (ग): पोस्टमार्टम कर लेने के बाद ही शव सम्बन्धियों को दिया गया था।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल

848. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के लिये पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया;

(ख) कितने व्यक्तियों की पूर्व सेवा समाप्त की गयी; और

(ग) क्या इस हड़ताल के कारण जान व सरकारी सम्पत्ति की हानि हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) कोई नहीं।

(ख) 19 सितम्बर, 1968 को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इस मंत्रालय में 3590 कर्मचारियों को अनुपस्थिति के दिन का वेतन खोने के अतिरिक्त पेंशन तथा ग्रेचुइटी (उपदान) की दृष्टि से सेवा निच्छेद का भी नुकसान उठाना पड़ा है।

(ग) जी, नहीं, जहां तक पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय का सम्बन्ध है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल

849. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मन्त्रालय में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के लिये नौकरी से हटा दिया गया है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी पहले की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं; और

(ग) क्या हड़ताल के कारण सरकारी सम्पत्ति की हानि अथवा कोई जन हानि हुई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) एक भी नहीं।

(ख) 247

(ग) जी, नही।

द्वितीय पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति

850. श्री हेम बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार आसाम के पुनर्गठन की नवीनतम योजना के अनुसार नये राज्यों के गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिये दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग के नियुक्त करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी प्रस्तावित आयोग के कार्य क्षेत्र में आयेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला

851. श्री हेम बरुआ :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से यह मांग हो रही है कि पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले को या तो सिक्किम में मिला दिया जाये और या इसे पश्चिमी बंगाल से निकाल कर एक अलग छोटा राज्य बना दिया जाये, और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमण्डल

852. श्री हेम बरुआ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सांस्कृतिक शिष्टमण्डल शीघ्र ही रूस, मंगोलिया, पोलेण्ड, पूर्व जर्मनी आदि का दौरा करेगा;

(ख) यदि हां, तो इस मण्डल में भारत नाट्यम तथा उड़ीसी नृत्यों के कौन-कौन से कलाकार शामिल किये गये हैं; और

(ग) चुनाव किस आधार पर किया जाता है और उस मामले में दक्षता का निर्णय किस प्रकार किया जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एक सांस्कृतिक शिष्टमण्डल 15 सितम्बर, 1968 को भारत से विदेश गया है जो अभी विदेश में है । उस शिष्ट मण्डल में भारत-नाट्यम तथा उड़ीसी नर्तक भी शामिल हैं ।

(ख) कुमारी एस० पद्मा भारत नाट्यम और श्रीमती सोनल मानसिंह उड़ीसी ।

(ग) मुख्य मानदण्ड यह है कि सदस्य अपने क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त हों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भी उन्हें इस कोटि का माना जाता हो।

Qutab Minar, Delhi

853. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1383 on the 26th July, 1967 and state:

(a) the progress made in connection with the work proposed to be undertaken for the maintenance of the Qutab Minar and the amount so far made available for this purpose;

(b) whether the question of examining the Historical aspect of the Qutab Minar has been entrusted to Dr. Tara Chand Committee; and

(c) if not, the reasons therefor and when Government propose to refer it to that Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) An estimate amounting to about Rs. 1.20 lakhs has been prepared for the first phase of repairs, viz stabilization of the foundation and repairs not requiring scaffolding. No funds have been specifically earmarked for repairs to this monument during the current year, but the work of covering the area around the base with brickwork to prevent seepage of water in to the foundation has been executed. Further repair works at the monument will be undertaken during this year if it is found possible to allocate some amount for the purpose after the Survey has made a review of its requirements for essential and urgent works with reference to the budget grant.

(b) No. Sir.

(c) On further consideration Government felt that it is a matter on which even eminent historians and scholars may widely differ and it is not advisable to enter in to the controversy. The matter should, therefore, be left to be handled by scholars amongst themselves.

दिल्ली में अध्यापकों को आवास तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधायें

854. **श्री जनार्दनन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति दिल्ली में अध्यापकों को आवास तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं देने के बारे में योजना तैयार कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख): दिल्ली में अध्यापक भारत सरकार के नियमों के अनुसार अपने नम्बर पर 'सामान्य पूल" में आवास के लिए पहले से ही पात्र हैं। अध्यापकों को सामान्य पूल आवास के स्थान पर अलग आवास की तथा दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों सहित सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं की योजना के ब्यौरे दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन हैं।

बनारस विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थियों का निकाला जाना

855. **श्री रविराय :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 27 सितम्बर, 1968 के "पेट्रियट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बनारस विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थियों को उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने निकाल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस मामले की कोई जांच कराई है और उप कुलपति को निष्कासन आदेश वापस लेने के लिये परामर्श दिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। निष्कासन सम्बन्धी कुलपति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। क्योंकि यह मामला पूर्णतया उनके ही अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए कुलपति को इस बारे में कोई सलाह नहीं दी गई है।

अन्तर्देशीय जलपरिवहन प्रणाली सम्बन्धी समिति

856. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था के अध्ययन के लिये एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन, कौन हैं; और

(ग) समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) **समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :**

1.	श्री बी० भगवती, सदस्य, लोक सभा	अध्यक्ष
2.	श्री ज्योतिर्मय बसु, सदस्य, लोकसभा	सदस्य
3.	श्री चन्द्रिका प्रसाद, सदस्य लोकसभा	सदस्य
4.	श्री आनन्द चन्द, सदस्य, राज्यसभा	सदस्य
5.	श्री यू० एन० महीड़ा, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
6.	श्री टी० पी० कुतियाम्मुयु, सदस्य राज्य योजना बोर्ड, केरल	सदस्य
7.	श्री जी० के० विज, सदस्य केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग	सदस्य
8.	श्री टी० एन० धर अतिरिक्त सदस्य (कमर्शियल), रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	सदस्य
9.	श्री एस० रामानाथन, निदेशक (परियोजनाएं) परिवहन तथा नौवहन मंत्री	सदस्य
10.	श्री आर० रामाकृष्णा, आन्तरिक सलाहकार परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय	सदस्य
11.	श्री के० श्री निवासन, प्रबन्ध निदेशक, सेन्ट्रल इंग्लैंड वाटर ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लि०, कलकत्ता	सदस्य

(ग) **निर्देश की शर्तें**

देश में विद्यमान वर्तमान अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था का अध्ययन करना और देश के विभिन्न प्रदेशों में इस प्रकार के परिवहन में विकास के विरुद्ध, विकास के संगत कार्यक्रम का सुझाव देना और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए चुने हुए क्षेत्रों में विशेष योजनाएं तैयार करने की सम्भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना:—

(क) अन्तर्देशीय जल परिवहन की प्रदेश में परिवहन प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में समन्वित कार्य करने की आवश्यकता।

(ख) यातायात को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक सेवा को चालू करने की शक्यता, जलपरिवहन की लागत और विकास को बनाये रखना, प्रयोजन के लिये जलयान और उपयुक्त संगठन का चुनाव; और

(ग) 1. विभिन्न प्रकार के परिवहनों जैसे बुकिंग और नौकान्तरण में मूल्यों और किराये के द्वारा विभिन्न कार्यों का एकत्रिकरण की आवश्यकता।

2. इसके लिये जांच तथा सहायक उपायों का सुझाव देना, विशेषकर अल्पावधि उपाय जिनमें वित्तीय सहायता के नमूने भी शामिल हैं और विभिन्न प्रकार के परिवहनों द्वारा यातायात के मामले में उक्त विशेष योजना को क्रियान्वित करने के लिये सहयोग देना।

3. अन्य विचाराधीन सम्बद्ध मामलों के बारे में सिफारिश करना।

जलियांवाला बाग काण्ड के सम्बन्ध में मिला दस्तावेज

857. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इतिहास के एक प्राध्यापक को डिसआर्डस इन्क्वायरी कमेटी 1919 से सम्बन्धित एक दुर्लभ दस्तावेज मिला है, जो जलियां वाला बाग काण्ड पर एक नई रोशनी डालता है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है, और क्या इतिहास के इस प्राध्यापक के दावे को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं;

(ग) इतिहास के इस प्राध्यापक का नाम क्या है और इस दस्तावेज से कौनसी मोटी बातें सामने आई हैं; और

(घ) क्या इस दस्तावेज को प्रकाशित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ): यह सच है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के श्री वी० एन० दत्ता ने 22 सितम्बर, 1968 को "सन्डे ट्रिब्यून" में 'न्यू लाइट आन जलियावालां बाग ट्रैजेडी' नामक एक लेख दिया था। यह लेख अव्यवस्था जांच समिति की रिपोर्ट के, जो फरवरी 1920 में पूरी हुई थी, सबूत के कार्य-वृत्त के छठे खण्ड पर आधारित है। इस खण्ड में घिनके छपे हुए पूर्ण आकार के 418 पृष्ठ हैं। इसमें पंजाब सरकार द्वारा समिति को गुप्त रूप से (इन केमरा) दिए गए मौखिक सबूत और लिखित विवरण शामिल हैं, जो तीन भागों में हैं, अर्थात–

i. (क) पंजाब सरकार के मुख्य सचिव सम्माननीय श्री जे० पी० थामसन, और

(ख) पंजाब के भूतपूर्व ले० गर्वनर सर माइकल ओ डायर की मौखिक गवाही।

ii. (क) पंजाब सरकार और (ख) सर माइकल ओ डायर के लिखित विवरण।

iii. सम्माननीय मेजर मलिक सर उमर हयात खां की गवाही।
(मौखिक और लिखित दोनों)

मौखिक गवाही से, विशेष रूप से सर माइकल ओ डायर की गवाही से, इस कार्रवाई में जो अन्ततः अमृतसर दुर्घटना में परिवर्तित हुई तत्कालीन पंजाब सरकार तथा उनके अपने योगदान का स्पष्ट चित्रण मिलता है। पंजाब सरकार के लिखित विवरण में पंजाब की घटनाओं का जो दुर्घटना में परिवर्तित हुई निम्नलिखित तीन शीर्षकों के अन्तर्गत विस्तृत सर्वेक्षण दिया गया है–

i. भूमिका (पृष्ठभूमि का सार)

ii. आन्दोलन का रास्ता और उसके परिणामस्वरूप अव्यवस्था।

iii. सैनिकों का प्रयोग और मार्शल कानून।

iv. अशान्ति की अवधि और मार्शल कानून के वापस लेने के बाद की अवधि के दौरान नागरिक प्रशासन।

सामान्य सर्वेक्षण के बाद अशान्ति से प्रभावित सभी जिलों की घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है जिसके साथ 2 फरवरी, 1919 से 25 अगस्त, 1919 तक की घटनाओं का सार देते हुए कालक्रमानुसार विवरण नत्थी है। उसके बाद 24 परिशिष्ट हैं जिनमें पंजाब अशान्ति से सम्बन्धित महान सामग्री दी गई है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ, ये शामिल हैं–सरकारी गृह-युद्ध डायरियां (अप्रैल, 1919), सेना में फैली अशान्ति का उल्लेख करने वाली रिपोर्ट, अफगानिस्तान और भारत में चेतना के बीच सम्बन्ध सुझाने वाला नोट, निश्चेष्ट प्रतिरोध आन्दोलन की उत्पत्ति और संगठन से संबंधित तथा भूतपूर्व और पंजाब अशान्ति के बीच संबंध सुझाने वाला सरकारी नोट, निश्चेष्ट प्रतिरोध आन्दोलन की घटनाओं का कलेण्डर, मार्शल कानून के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार, मार्शल कानून आयोगों द्वारा पारित सजाओं का पूर्ण विवरण, सार (समरी) न्यायालयों और क्षेत्र अधिकारियों आदि द्वारा मुकदमों सम्बन्धी पूर्ण विवरण।

खण्ड इस दृष्टि से दुलर्भ हैं कि इसे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जनता को उपलब्ध नहीं किया था। अव्यवस्था जांच समिति की रिपोर्ट सात खण्डों में हैं जिसमें से पहले पांच प्रकाशित किए गए थे और जनता के लिए उपलब्ध किए गये थे। छठे और सातवें खण्डों को जिसमें गुप्त गवाहियां थी, जनता को उपलब्ध नहीं किया गया था। खण्ड vi और vii की प्रतियां सीमित संख्या में मुद्रित कराई गई थी और सरकारी विभागों और तत्कालीन स्थानीय सरकारों के बीच वितरित की गई थी। छठे खण्ड की एक पूर्ण प्रति 1923 की गृह राजनीतिक फाइल के साथ के० डब्ल्यू–i में रिकार्ड कर दी गई है और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए भारत के पुरातत्व अभिलेखागार में जनता द्वारा निरीक्षण के लिए प्राप्य है।

सरकार ने, "सण्डे ट्रिब्यून" में 'न्यू लाइट आन जालयांवाला बाग' नामक श्री वी० एन० दत्ता के लेख तथा साथ ही 11 सितम्बर, 1968 के 'नेशनल हेराल्ड' में छपी समा-

चार की खबरों को भी नोट कर लिया है । जैसा कि श्री दत्ता ने अपने लेख में स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें खण्ड का पता उनके एक विदेशी दोस्त के जरिए लग सका है और उन्होंने अपने आप दस्तावेज की खोज का दावा नहीं किया है ।

केन्द्र और राज्यों के बीच के सम्बन्धों के बारे में केरल का सिद्धान्त

858. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र और राज्यों के बीच के सम्बन्धों के बारे में केरल के मुख्य मंत्री द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त, जिसके बारे में समाचार पत्रों में खूब चर्चा हुई है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : केरल के मुख्य मंत्री ने अभी हाल में कहा है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाये गये अध्युपायों ने केन्द्र और राज्य के बीच के सम्बन्ध विकृत कर दिये हैं । केन्द्रीय सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि उनके द्वारा की गई कार्यवाही केन्द्र और राज्य के बीच के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के रास्ते में कठिनाइयां पैदा करने के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी है ।

भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र

859. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख-पोषण केन्द्र ने वैज्ञानिक तथा अन्य सामग्री की सप्लाई के लिए अमरीका के राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान के साथ हाल ही में अपने करार का नवीकरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के हित के विरुद्ध मूल्यवान सामग्री के बाहर जाने की संभावना समाप्त कर दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख-पोषण केन्द्र, नयी दिल्ली ने 20 जून, 1967 को राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान के साथ किये गये करार को 31 दिसम्बर, 1969 तक बढ़ा दिया है ।

(ख) मूल्यवान आंकडों का बाहर जाने का प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि इस करार के अधीन, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र, केवल राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान द्वारा भेजे गए विदेशी भाषाओं में प्रकाशित खुले वैज्ञानिक साहित्य का ही रूपान्तर करता है और भारत में प्रकाशित खुले साहित्य से भारतीय शैक्षिक सामग्री का एक व्याख्यात्मक त्रैमासिक ग्रंथ-सूची का संकलन करता है ।

मोहित चौधरी के विरुद्ध मुकदमा

860. **श्री मधु लिमये :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस सभा में गृह कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार सरकार ने मोहित चौधरी के विरुद्ध एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया है;

(ख) क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो मुकदमा बुलाये जाने पर न्यायालय में नहीं आये थे तथा जिस कारण मुकदमे को बर्खास्त करना पड़ा;

(ग) नया मुकदमा चलाने में कितनी प्राप्ति हुई है;

(घ) क्या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का एक भूतपूर्व कर्मचारी सुनील दास भी इस मामले में अभियुक्त है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस आश्वासन के पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जैसा कि 26-7-67 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1400 के उत्तर में उल्लेख किया गया है, 10 जुलाई, 1967 को एक नई शिकायत दर्ज की गई थी ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) मामला अभी भी न्यायालय में ही है ।

(घ) जी हां, श्रीमान ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर बिहार में कमला बालम नदी पर पुल

861. श्री मधु लिमये : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान सुरक्षा तथा औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर बिहार में कमला बालम नदी पर एक सड़क पुल बनाने के महत्व की ओर दिलाया गया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे पुल के निर्माण के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इसे कब पूरा किया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ): कमला बालम नदी पर निर्माण किये जाने वाला प्रस्तावित पुल राज्य सरकार की एक सड़क पर आता है । अतः इस मामले से मुख्यतया बिहार सरकार ही सम्बद्ध है । राज्य सरकार को इसकी महत्वता के बारे में जानकारी है और उसने इस पुल के निर्माण होने पर 70 लाख रुपये का अनुमान लगाया है । ऐसा पता लगा है कि आवश्यक जांच पूरी होने के बाद ही इस पर कार्य किया जायेगा । सम्बद्ध विभाग से प्रशासनिक और तकनीकि स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इस परियोजना पर कार्य करने के लिये धन की व्यवस्था कर ली गई है ।

मिजो नेशनल फ्रंट ग्रुप के व्यक्तियों का पूर्वी पाकिस्तान चले जाना

862. **श्री मधु लिमये :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र मिजो नैशनल फ्रंट ग्रुप के सैनिकों का एक जत्था त्रिपुरा के जमपई पहाड़ी क्षेत्रों के माध्यम से हाल में पूर्वी पाकिस्तान चला गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस जत्थे ने पाकिस्तान जाते समय जमपई पहाड़ियों के कुछ युवकों की सहायता प्राप्त की थी; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है ।

(ग) त्रिपुरा के जमपई पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा दलों द्वारा निगरानी कड़ी कर दी गई है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उपसचिवों की तालिका

863. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उपसचिवों की तालिका बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने उप सचिवों के रूप में नियुक्ति के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की एक तालिका बनाने का निश्चय किया है ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

बर्दवान विश्वविद्यालय का बन्द होना

864. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल में बर्दवान विश्वविद्यालय के बन्द होने के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में लगाये गये आरोपों की सरकार ने जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों में कदाचार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय ने आडिट आपत्तियों के अपने उत्तरों की प्रति भेज दी है, किन्तु "कार्यकारी परिषद्" अथवा "विश्वविद्यालय" की बैठकों की अन्तिम कार्यवाहियां अभी तक नहीं भेजी हैं, जिसमें इन उत्तरों पर विचार किया गया था। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से इन कार्यवाहियों के भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। मामले पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से उत्तर और संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

हरिजन लड़के की मृत्यु

865. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री बनसकंठा (गुजरात) में हरिजन लड़के की मृत्यु से सम्बन्धित 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6.08 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस मामले में अब छानबीन कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख): मामले की जांच पूरी कर ली गई है तथा आरोप-पत्र 4 जुलाई, 1968 को सम्बन्धित न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था। मुकदमा अभी चल रहा है।

Lathi Charge on Industrial Workers on Najafgarh Road Delhi

866. **Shri Yash Pal Singh :**
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri D. C. Sharma :
Shri J. M. Biswas :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri C. K. Chakrapani :
Shri Ganesh Ghosh :
Shri Mohammad Ismail :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

whether it is a fact that police made a lathi charge on the demonstration of thousands of industrial workers on Najafgarh Road in Delhi on the 6th Septembe 1968;

(b) whether it is also a fact that many employees were injured as a result thereof; and

(c) if so, the reason for resorting to lathi-charge and the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c): According to information furnished by the Delhi Administration, 500/600 workers staged a demonstration outside police station Moti Nagar, on September 6,1968. The demonstrators indulged in violent acts and pelted stones on the police personnel on duty. The Sub-Divisional Magistrate, who was present, declared the assembly unlawful and ordered them to disperse. When his warning had no effect, he ordered lathi charge. After lathi charge by the police the demonstrators receded a little, but continued pelting stones at the police. The Sub Divisional Magistrate then ordered tear-gas to be used. With the use of tear-gas the police was able to disperse the demonstrators. 29 demonstrators and 40 police officials on duty were injured 48 persons were arrested. Case FIR 465 dated 6.9.68 under Section 147/149/353/332/186/341 IPC was registered in the police station. It has now been committed for trial to the court of Sessions.

अन्तर्राष्ट्रीय विमान टिकटों का दुरुपयोग

867. **श्री श्रीधरन :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जहां यात्रा अभिकर्ता आने वाले यात्रियों से उनके उतरने के पहले स्थान पर कम दरों पर अन्तर्राष्ट्रीय टिकट खरीद लेते हैं तथा उन्हें देश में यात्रा करने के लिये अधिक दर पर बेच देते हैं, जिससे अभिकर्ताओं तथा ऐसे टिकट खरीदने वालों को इस सौदे में बचत होती है तथा कारपोरेशन को घाटा पड़ता है ;

(ख) क्या ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय टिकटों की अदला-बदली और दुरुपयोग को रोकने के लिये अपनी व्यवस्था में सुधार करके इस घाटे को न होने देने के लिये एयर इंडिया ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा वह कहां तक कारगर रही है ?

टन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस प्रकार का कोई मामला भारत सरकार अथवा दो एयर कारपोरेशनों की दृष्टि में नहीं आया है ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली के लिये पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति

868. **श्री श्रीधरन :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लिये एक ऐसा पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने का निश्चय किया है कि जिसकी शक्तियां इन्स्पेक्टर जनरल के बराबर होंगी;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन प्रस्तावों के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क)से(घ): सरकार द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

रजवाड़ों की निजी थैलियों को समाप्त करना

869. **श्री श्रीधरन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वे० कु० दास चौधरी :
श्री क० लकप्पा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री गणेश घोष :
श्री नम्बियार :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रजवाड़ों की निजी थैलियों को समाप्त करने के मामले में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : सरकार ने नरेशों की निजी थैलियां तथा विशेषाधिकार समाप्त करने का निश्चय सिद्धान्त रूप में ले लिया है । इस निर्णय को अमल में लाने के लिए, जिसमें संक्रमणकालीन प्रबन्ध के ब्यौरे भी शामिल हैं, आवश्यक उपाय तैयार किये जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Leaders' Statues in Delhi

870. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Himatsingka :
Shri Rrghubir Singh Shastri :

Will the Minister of **Home-Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the leaders whose statues are proposed to be installed by Government in Delhi during the next two years and the places where these are to be installed;

(b) the site where Government propose to install the statue of Chhatrapati Shivaji; and

(c) the reasons for delay in arriving at a decision in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) At present there is only one proposal to erect a statue of Mahatma Gandhi at India Gate.

(b) It is generally for non-official organisations to come up with suitable schemes for installation of statues of acceptable artistic standard backed by offer of necessary finance. No such proposal for installing a statue of Chhatrapati Shivaji has been received so far.

(c) Does not arise.

Delhi Municipal Corporation

871. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been an increase in the amount of arrears and collection of revenue by the Delhi Municipal Corporation which has also tapped new sources of revenue for the Corporation during the last one and a half years;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by the Corporation to remove the difficulty of public in regard to the inadequacy of bus service, to repair the damaged roads and also to remove the difficulties regarding the issue of licences to the factories ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b): During the period from April, 1967 to September 1968, the Municipal Corporation has realised Rs. 555.92 lakhs towards property taxes of which Rs. 258.94 lakhs were in respect of arrears, as against the realisation of Rs. 414.84 lakhs including Rs. 186.00 lakhs of arrears for the corresponding period of 1½ years from April, 1965 to September 1966. The realisations in respect of other taxes and fees were as follows :

Particulars	April 1965 to September, 1966	April 1967 to September, 1968
Other Taxes	168.70 lakhs	302.79 lakhs
Rents, Fees and Fines	106.08 ,,	157.51 ,,
Other Misc. Receipts.	38.57 ,,	47.10 ,,

During the last 1½ years, the rates of the Terminal Tax have been revised upward. The property tax has been imposed on slab basis. Separate higher rates of property tax have been levied in respect of properties utilised for commerce and trade. The Factory licensing has been liberalised, and the rates raised. The rates of Tehbazari and Takhat fees have been increased and the slaughter fees have been revised upward.

(c) In order to improve the transport service, the Delhi Transport Undertaking is seeking assistance of private bus operators by engaging their buses on hire. The Undertaking is also making efforts to utilize its own buses to the maximum possible extent and has also planned to acquire 163 new buses during the current financial year.

The Municipal Corporation has spent Rs. 142.88 lakhs on repairs of roads from April 1967 to September, 1968 as against Rs. 79.73 lakhs, during the corresponding period from April 1965 to September, 1966.

The licensing system has been simplified. A procedure has been evolved prescribing time limits for the issue of fresh licences and for the expenditious disposal of applications from the public regarding renewal as well as grant of fresh licences. A complaint register has been placed outside and a clerk set apart to give all material information to the public for their information and convenience. Objections if any, are pointed out to the Public as soon as applications are presented.

भारत में सड़क दुर्घटनाएं

872. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में घातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पर्यटकों के विचारों का सर्वेक्षण

873. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री मुरासोलीमारन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैसिफिक एरिया ट्रैवल एजेंट्स एसोसियेशन तथा नैशनल ज्योग्राफिक एण्ड टाइम मैगजीन ने संयुक्त रूप से पर्यटकों की राय के बारे में सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या इस मतसंग्रह में भारत की भी कटु आलोचना की गई थी जबकि जापान, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, हांग-कांग, मलयेशिया तथा आस्ट्रेलिया को अधिक आकर्षक केन्द्र समझा गया था; और

(ग) भारत के पर्यटन व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये इन आकर्षक देशों के स्तर पर आने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सर्वेक्षण के जांच परिणाम के अनुसार पर्यटकों के गंतव्य 26 देशों में से जिनका कि सर्वेक्षण किया गया, भारत का स्थान अत्यन्त निम्न है ।

(ग) यद्यपि भारत सरकार इन जांच परिणामों को पूर्णतया स्वीकार नहीं कर सकती, तथापि वह अपने पर्यटन के आधार-भूत उपादानों की स्थिति में कमियों के प्रति जागरूक है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान साधनों की उपलब्धि के सापेक्ष इस स्थिति में पर्याप्त सुधार करने के लिये केन्द्रीभूत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आन्ध्र-सीमा उडीसा विवाद का निपटाया जाना

874. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री रवि राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के प्रमुख मंत्रियों ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद हल करने के लिये बातचीत की थी;

(ख) क्या बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विवादग्रस्त क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय सीमा का निर्धारण 1943 में कर दिया गया था तथा इस सीमा-रेखा को संबंधित राज्य सरकारों ने मान लिया था तथा भारत सरकार ने इस पर स्वीकृति दे दी थी। इस सीमारेखा के अनुसार विवादास्पद क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश में पड़ता है। विवाद को वास्तविक स्थिति के आधार पर हल करने की दृष्टि से बातचीत की गई थी किन्तु उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 1943 के सीमा-निर्धारण को अन्तिम नहीं मान सकती तथा यह कि राज्य सरकार मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजने के लिये विचार करेगी।

(ग) जो कुछ भाग (ख) में कहा गया है, उसको देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Smuggling of Ancient Idols and Paintings to Foreign Countries

875. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the tendency of smuggling of ancient idols and paintings etc to foreign countries is on the increase;

(b) whether it is a fact that some gangs are engaged in this business in an organised manner; and

(c) if so, the action so far taken by Government against them ?

The M nister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c) : No official evidence is available of any large scale gang activity but a report from the Government of Madras had referred to a gang of idol thieves from whom 34 stolen idols were recovered. Reports have, however, been appearing in the Press from time to time

of organised thefts of art treasures including idols and antique pieces from temples by individuals and gangs. All State Governments have been alerted to be more vigilant and gear up their police machinery. Watch and ward staff have also been strengthened at centrally protected monuments to the extent possible within the limitations of funds. Customs authorities at ports and Customs Appraisers at Foreign Post Offices have also been asked to be more watchful. The Antiquities (Export Control) Act, 1947, will also be amended and more deterrent punishments will be provided therein for smugglers of antiquities.

National Integration Council

876. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri D. N. Patodia :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made so far in implementation of the decision taken at the National Integration Council;

(b) whether any of the State Governments has disagreed with the decisions taken by the Council; and

(c) if not, the reasons for so much delay in implementing those decisions ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement indicating the action taken on the recommendations of the National Integration Council is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT-2123/68]**

(b) No State Government has expressed disagrement with the decisions of the Council.

(c) The implementation of the decisions of the Council is a continuing process and is subject to review by the Standing Committee of the National Integration Council. The last review was made when the Committee met on October 26, 1968.

Commission for Scientific and Technical Terminology

877. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the incumbents of the posts of Senior Research Officers, Research Assistants in the Commission for Scientific and Technical Terminology possess requisite qualifications in the respective subjects: and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b): All the incumbents of the posts of Research Officers and some incumbents of the posts of Senior Research Officers and Research Assistants in the Commission for Scientific and Technical Terminology, appointed on regular basis, possess requisite qualifications in the respective subjects. Some Senior Research Officers and Research Assistants, who do not possess the requisite qualifications have been appointed on ad-hoc basis in accordance with the normal rules in the interest of exigencies of work, pending selection of suitable persons on regular basis.

National Institute of Education

878. **Shri T. P. Shah :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of schemes so far undertaken in the Department of Science of the National Institute of Education;

(b) the details of progress made regarding various schemes; and

(c) the schemes proposed to be undertaken in 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : A statement is attached.

(c) All existing schemes will be continued except "out-of-class Science activities".

Statement

The overall objective of the Department of Science Education is the improvement of Science Education at the School level. Various schemes undertaken by the Department for the purpose are :

I. Production of educational materials :

(a) General Science-2 Syllabii.

4 Teachers Handbooks and 1 textbook have been prepared for primary/ middle/secondary schools.

(b) For introducing Science subjects as separate disciplines from Class VI onwards, 26 titles/taxtbooks/teachers guides/curriculum guides, have been prepared.

(c) Trial editions of nine textbooks, laboratory manuals, teachers guides have been prepared for middle schools by Study Groups set-up to identify basic concepts of various Science subjects.

(d) Seven titles out of a projected number of 80 have been prepared for Supplementary Reading Materials in Science.

II. Production of Prototypes of Science Laboratory equipment for schools– Two Science Kits, and Prototypes of 50 items have been developed.

III. Production of out-of-class activities in Science.

Assistance was given for the organisation of 780 Science Fairs, and to 1000 Secondary Schools and 50 Training Colleges for establishing Science Clubs.

IV. Science]Talent Search,

Eight-hundred and fifteen students are receiving scholarships for higher studies (B. Sc. to Ph. D.) in Science subjects.

51 Summer Schools have been organised so far for nurturing the talent of scholars.

V. Research Studies :

Two studies have been conducted regarding the position of training of Science Teachers in Training Colleges and Training Schools.

VI. Organizations of Science and Mathematics Teachers and Voluntary Organizations are furnished financial assistance and academic guidance.

आसाम नागालैंड की सीमा की सीमांकन

879. श्री महाराज सिंह भारती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री प्र० ना० सोलंकी :
श्री रा० की० अमीन :
डा० सुशीला नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम-नागालैंड सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में 22 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय गृह-मन्त्री से भेंट हुई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुख्य मंत्री ने आगजनी तथा नागालैंड की सीमा के साथ रहने वाले लोगों को आसाम की सशस्त्र पुलिस द्वारा धमकाये जाने की घटनाओं का भी उल्लेख किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : नागालैंड के मुख्य मंत्री ने 22-9-68 को गृह-मंत्री से भेंट की थी और तब उन्होंने आसाम-नागालैंड सीमा के निर्धारण का प्रश्न उठाया था तथा आगजनी तथा लोगों को धमकाये जाने की कुछ गतिविधियों का भी हवाला दिया था । गृह मंत्री जी ने समस्या से निपटने में पारस्परिक सदभावना मेल-मिलाप तथा संयम की आवश्यकता पर बल दिया ।

I. A. C. Air Services

880. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state the improvements effected in the inland air services during the current financial year after August and the approximate expenditure incurred thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : With the introduction of the Winter Schedule effective 11th November, 1968, the following improvements have been effected in Indian Airlines services :

1. Introduction of Viscount service between Delhi and Kathmandu in lieu of F-27.
2. Provision of Varanasi/Kathmandu service six times a week instead of thrice weekly.
3. Introduction of Delhi/Lucknow/Patna/Calcutta service by Viscount on daily basis.
4. Two Viscount services between Madras and Bangalore on daily basis instead of once weekly.
5. Two HS-748 services between Madras and Hyderabad instead of one.
6. Withdrawal of Dakotas and introduction of F-27/HS-748 services on Night Airmail. These services will carry passengers in addition to mails.

7. Introduction of Madras/Coimbatore/Madurai service thrice weekly on HS-748 instead of DC-3.

8. Introduction of Madras/Cochin/Trivandrum service by HS-748, thrice a week.

9. Introduction of bi-weekly Calcutta/Port Blair service by Viscount instead of DC-4, once a week.

10. Bombay/Belgaum service by Viscount in place of DC-3.

11. Introduction of Culcutta/Bagdogra/Patna/Kathmandu service by F-27, thrice a week.

12. Calcutta/Agartala/Khowai/Kamalpur/Kailashahar Janta DC-3 service frequencies increased to daily instead of thrice a week.

The additional expenditure for these improvements would be approximately Rs. 92.25 lakhs.

Alleged Excesses of Police in Agra

881. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Police Officials allegedly looted 11 houses of Nisads for 36 hours in village Taufalpur Saujhipur, Thana Firozabad, District Agra (U.P.) on the 1st June, 1968 and took away the ornaments made of gold and silver valuing at lakhs of rupees; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : According to information received from the State Government the allegations against police officials are being inquired into by the C.I.D. The Inspector in-charge of the police station and a Sub-Inspector have been placed under suspension.

Complaint against Police Inspector in Gonda

882. Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Rabi Ray :
Shri A. Sreedharan :
Shri R. K. Amin :
Shri B. K. Das Chowdhury :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Onkar Singh :
Shri Sharda Nand :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Police Inspector (Thanedar) had criminally assaulted a 19 year old woman of village Dera, District Gonda, on the 5th September, 1968;

(b) whether it is also a fact that this young woman (Ramurti) has told her woeful tale to the U. P. Governor;

(c) whether the U. P. Governor has assured the young woman that stern action will be taken against the alleged culprit police official; and

(d) if so, the action so far taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : Shrimati Ram Murti Devi had presented a petition to Governor, U. P. alleging that she had been apprehended by the Station Officer of Police Station Paraspur on

September 5, 1968 and had been taken to the police station and that during the night she had been criminally assaulted.

(b) Inquiry into the allegations was made by the Sub Divisional Magistrate who came to the conclusion that there was prima facie circumstantial evidence to show that Shrimati Ram Murti Devi had been brought to the Police Station. Further inquiries regarding the allegation of criminal assault are being made by the C. I. D. The concerned Station Officer has been suspended and his headquarters have been shifted out of Gonda District.

I. A. C. Plane for Minister's use

883. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri J. B. Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Minister of State of the Central Government recently booked an aeroplane of the Indian Airlines Corporation for official work;

(b) whether it is also a fact that it was later found that the aeroplane was used for private work and not for official purpose; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. No charter was operated by the Indian Airlines for the exclusive use of any Minister of the Central Government.

(b) and (c) : Do not arise.

Rejection of Decisions taken by the Gill Ministry

884. **Shri Ranjit Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several decisions taken by Gill Government have been rejected after imposition of President's Rule in Punjab; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b): Some of the decisions taken by the Government during the period when Shri L. S. Gill was the Chief Minister of Punjab, have been revised after the imposition of President's Rule in Punjab. These cases which mostly relate to service matter like appointments, promotions, reversions, retirements, pay fixation, etc. were reviewed so as to ensure that orders were in accordance with the rules and regulations in force. Some orders of posting and transfers of Government servents were also revised due to exigencies of administration. There are other instances like issue of excise licences, restoration of site for bus stand, allotment of scooters from Government quota, reconstitution of market committees, validation of sale of land in auction, etc. where the Government after careful consideration found it necessary to revise earlier orders.

समुद्री परियोजना, कोचीन बन्दरगाह

885. श्री मंगलायुदाडोम : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के एक उपक्रम को, जो इंजीनियरी की एक फर्म है कोचीन बन्दरगाह के लिये समुद्री परियोजनाओं का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार से भी पूछा गया था कि इस काम को कर सकते हैं; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। कोचीन पत्तन ट्रस्ट ने कोचीन रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल लाने वाले गहरे डुबाव वाले तेल पोतों से माल से माल धरा उठाई के लिए जलमग्न पाइपलाइन युक्त एक अपतट तेल टरमिनल के लिए एक शक्यता अध्ययन करने के लिए मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड जो भारत सरकार का एक संस्थान हैं, को नियुक्त किया था।

(ख) जी नहीं। राज्य सरकार से परामर्श करने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि मामला पूर्णरूप से भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ग) जी हां। शक्यता अध्ययन करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति करते समय उनकी तकनीकी क्षमता और अनुभव को दृष्टि में रखा गया था।

विश्व की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना

886. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बन्धित राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग से विश्व की समस्याओं के अध्ययन के लिये कई देशों में अनुसंधान संस्थाएं स्थापित करने का निर्णय हाल ही में इन्टरलेकन (स्विटजरलैंड) में हुए विश्व संवैधानिक सम्मेलन में किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख): भारत सरकार न तो विश्व संवैधानिक सम्मेलन में (जो हाल ही में इन्टरलेकन में हुआ था) भाग लेने के लिए आमन्त्रित की गयी थी और न भारत ने ही सरकारी स्तर पर इसमें अभ्यावेदन किया था। इस मंत्रालय की जानकारी में यह आया है कि कुछ भारतीय राष्ट्रिकों ने अपने व्यक्तिक तथा निजी हैसियत से सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन के बारे में अधिक ब्यौरेवार जानकारी प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

887. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 21

बलिया में गोली चलने की जांच करने के लिये आयोग

888. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अगस्त, 1968 में बलिया (उत्तर प्रदेश) में महाबीर दल के झंडा समारोह के अवसर पर गोलीकाण्ड की जांच करने के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया है;

(ख) क्या इस जांच आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है, और यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं: और

(ग) यदि हां, तो यह अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार ने राजस्व मन्डल के सदस्य श्री एम० लाल को जांच करवाने के लिए नियुक्त किया था ।

(ख) और (ग) उन्होंने अपना प्रतिवेदन 31 अक्तूबर, 1968 को प्रस्तुत किया है और यह अब राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

रुद्रप्रयाग (उत्तर प्रदेश) में भूमि-स्खलन

889. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में रुद्र-प्रयाग (उत्तर प्रदेश) में भूमि-स्खलन दुर्घटना से अनेक व्यक्ति मर गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरुप तीर्थ यात्रियों समेत कितने व्यक्ति मरे थे तथा कुल कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई थी;

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(घ) इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग): उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 15 और 16 सितम्बर, 1968 के बीच की रात को

भारी वर्षा के कारण पौड़ी-गढ़वाल जिले में रुद्रप्रयाग स्थित बस के अड्डे में एक भू-स्खलन हुआ जिसके कारण 12 व्यक्ति मर गये जो मलवे में दब गये थे । सभी शव बरामद कर लिये गये थे । कोई तीर्थ-यात्री अन्तर्ग्रस्त नहीं हुआ ।

प्रभावित सम्पत्ति की कुल हानि का अनुमान 59,600 रु० का लगाया गया है ।

(घ) गृह-निर्माण के लिये ऋण के रूप में वितरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 15,000 रु० की राशि स्वीकृत की है । जिला प्राकृतिक दुर्घटना सहायता निधि से 5 व्यक्तियों को तत्काल सहायता के रूप में 400 रु० की एक राशि दी गई । 16 सितम्बर को सायं 8 बजे यातायात के लिये मार्ग खोल दिया गया था ।

Hotel Development Loan Fund

890. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to create a Hotel Development Loan Fund; and

(b) if fo, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir, A sum of Rs. 50 lakhs has been provided for this purpose during 1968-69.

(b) The details are contained in the Instructions framed for this purpose, copies of which are placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2124/68].**

Lateral Roads in Champaran District (Bihar)

891. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that work on lateral roads in Champaran District of Bihar has been suspended;

(b) whether it is also a fact that the material lying on the road sides is being pilfered by people; and

(c) if so, the action being taken by Government to prevent the pilferage and to complete the construction immediately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) (a) The work has not been suspended, but due to acute financial stringency the progress of work on the Lateral Road, including the portion lying in Champaran District had to be slowed down.

(b) and (c): All the works relating to the Lateral Road Project in Bihar are being executed by the State Goverament. On a report received from the Honourable Member that bricks and other building material stacked on the sides of the Lateral Road in Champaran istrict are being pilfered, the Government of Bihar were requested to take steps to check pilferage and to forward a detailed repo t in the matter to the Government of India, which is awaited.

It is now proposed to complete the project as early as possible in such a way that the road will be fit for vehicular traffic. For this purpose, a Committee was appointed and the report submitted by it recently is under active consideration.

Pay Scales of Teachers of Kashi Vidyapeeth, Varanasi

892. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pay Scales of the teachers of the Kashi Hindu Vidyapeeth, Varanasi were revised in April, 1964;

(b) whether it is also a fact that the Payment in accordance with the n w Scales was made with effect from January, 1965;

(c) if so, whether it is a fact that arrears of pay and allowances for the period April, 1964 to January, 1965 have so far not been paid to the teachers;

(d) whether this non-payment is due to non-receipt of the Funds from the University Grants Commission and the Ministry of Education; and

(e) the action Government propose to take to ensure payment of arrears to the teachers ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b): Yes, Sir.

(c) While payment of arrears is still pending in a few cases only, excess amount remains to be recovered from a majority of teachers, as a consequence of re-fixation of salaries.

(d) No. Sir.

(e) The Kashi Vidyapeeth, which is responsible in this matter, is being asked to expedite the payment.

Books Stored in the Central Secretariat Library

893. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of books have been stored in the basement of South Block by the Central Secretariat Library due to the shortage of accommodation;

(b) whether these books are getting damaged; and

(c) if so, the action Government propose to take to keep these books at suitable place ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) and (c): There has been no apparent damage the Library is in the process of being shifted to a newly-constructed building for the purpose in Shastri Bhawan.

दरभंगा (बिहार) जिले में माधोपुर नामक स्थान पर हुए झगड़े की जांच

894. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री बिहार में एक हरिजन की मृत्यु के सम्बन्ध में 2 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हत्या के इस मामले की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या महन्त (भूपति) द्वारा न्यायालय से कानूनी आदेश लिये बिना बटाईदारों को बलात् बेदखल करने से रोकने के लिये तथा न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश दिये जाने तक बटाईदारों का कब्जा बहाल रखने हेतु कोई कानूनी उपबन्ध किये गये हैं; और

(घ) क्या मधुबनी के एस० डी० ओ० के आचरण के बारे में जांच के आदेश दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ): राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

पारादीप पत्तन

895. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पारादीप पत्तन को कब अपने अधिकार में लिया था; और

(ख) जब से सरकार ने उसे अपने अधिकार में लिया है तब से उस पर कुल कितना धन खर्च किया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1, जून, 1965 से ।

(ख) पत्तन को अपने हाथ में लेने के समय से केन्द्रीय सरकार ने 9,36,60,346 रु० और 75 पैसे की राशि इस पत्तन पर लगाई है ।

उड़ीसा में परियोजनाओं का विकास

896. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा राज्य में विकास हेतु अपने अधिकार में ली गई परियोजनाओं में से यदि किसी परियोजना को छोड़ दिया गया है, तो उस परियोजना का नाम क्या हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) चौदवार के आस-पास राष्ट्रीय मुख्य मार्ग 5 और राष्ट्रीय मुख्य मार्ग 42 के बीच एक लिंक मार्ग को निर्माण करने का काम बंद कर दिया गया है, क्योंकि फिलहाल मौजूदा राष्ट्रीय मुख्य मार्ग लिंक सड़क से काम चल सकता है । इसके अलावा इस योजना की लागत के 1.87 लाख रुपए के मूल अनुमानों से बढ़कर 8.60 लाख होने की सम्भावना थी ।

चन्डीगढ़ में रिहायशी प्लाटों का आवंटन

897. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के प्रसाशन ने सहकारिता के आधार पर बनाई गई गृह-निर्माण संस्थाओं को रिहायशी प्लाटों का आवंटन करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन सहकारी संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिन्होंने भूमि के आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) सब मिला कर 22 सहकारी संस्थाओं ने प्लाटों के आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र दिये हैं । उनके नाम अनुलग्नक में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2125/68]**

अशोक होटल

898. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है;

(ख) क्या अधिक वेतन वाले अधिकारियों की महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पदों का विज्ञापन दिये बिना की गई है;

(ग) क्या "कोटेशन" बिना ही बम्बई की एक फर्म से कीमती डायरियां तथा कैलेंडर छपवाये गये हैं; और

(घ) इस होटल पर कितनी पूंजी लगाई गई है तथा उससे वार्षिक लाभ कितना होता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुछ नियुक्तियां, जिनके करने में होटल का बोर्ड स्वयं सक्षम था, पदों के बिना औपचारिक विज्ञापन दिये, की गयी ।

(ग) यद्यपि समयाभाव के कारण टैंडर नहीं मंगवाये जा सके, तथापि दरों के औचित्य की संतुष्टि कर लेने के बाद होटल ने बम्बई की एक फर्म को 1968 के वर्ष के लिये 5000 कैलेंडर तथा 2000 डायरियां छाप कर देने का आर्डर दिया था ।

(घ) 31.3.68 को होटल में कुल धन-विनियोजन तथा 1967-68 के लिये लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है :-

		रुपये
(i)	(क) सरकार के शेयर	2,34,14,900
	(ख) निजी शेयर	15,85,100
	योग :	**2,50,00,000**
(ii)	ऋण	1,25,00,000
(iii)	मूल्यह्रास विषयक व्यवस्था कर लेने के बाद लाभ, जिस में आय-कर प्रभार की व्यवस्था अभी नहीं की गयी	पिछले साल, अर्थात् 1966-67 में, हुए 27.49 लाख रुपये के लाभ के मुकाबले 35.57 लाख रुपये।

पांडिचेरी में राष्ट्रपति का शासन

899. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन परिस्थितियों के कारण संघ-राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था;

(ख) क्या सरकार उस संघ राज्य क्षेत्र में नये चुनाव कराने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ये चुनाव कब होने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विवरण संलग्न है ?

(ख) और (ग) : मुख्य चुनाव आयुक्त से पांडिचेरी में, 17 मार्च, 1969 से पूर्व जबकि वहां राष्ट्रपति शासन समाप्त होना है, चुनाव कराने की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

दल बदलने तथा पुनः दल बदलने के कारण मार्च, 1967 से पांडिचेरी विधान सभा में दलों की स्थिति बदलती रही है, कांग्रेस विधान मण्डल दल से अन्य दलों में शामिल होने तथा विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण 30 सदस्यों की सभा में कांग्रेस दल के सदस्यों की संख्या 19 से घट कर 14 हो गई थी। इसलिये मुख्य मन्त्री ने 10 सितम्बर, 1968 को अपने मन्त्रीमण्डल का त्याग पत्र दे दिया था। उस समय विधान सभा में विरोधी दल, अर्थात यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदस्यों की संख्या

15 थी। उपराज्यपाल का अनुमान यह था कि विधान सभा में कांग्रेस दल की तुलना में एक सदस्य के मामूली बहुमत से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एक स्थायी प्रशासन देने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसे सदस्य थे, जो बारबार अपना दल बदलते रहे थे। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन हो गई थी, जिसमें इस संघराज्य क्षेत्र का प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने 18 सितम्बर, 1968 से पांडिचेरी की मन्त्रि–परिषद का त्याग पत्र स्वीकार किया, साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत एक आदेश द्वारा संघराज्य क्षेत्र की विधान सभा को भंग कर दिया और पांडिचेरी की विधान सभा और मन्त्रि-परिषद के सम्बन्ध में इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों का लागू किया जाना 6 महीनों के लिये निलम्बित कर दिया।

चण्डीगढ़ में नगरीय किराया-नियंत्रण अधिनियम लागू करना

900. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चण्डीगढ़ में नगरीय किराया-नियंत्रण अधिनियम को लागू करने के बारे में चण्डीगढ़ के लोगों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

पटियाला संग्रहालय में चोरी

901. श्री अदिचन :
श्री रंजीत सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष पटियाला संग्रहालय से प्राचीन वस्तुओं तथा रक्षित वस्तुओं जिनमें सम्राट जहांगीर की व्यक्तिगत कटारी भी शामिल है, चोरी चली गई है;

(ख) यदि हां, तो चोरी चली गई वस्तुओं का ब्यौरा तथा उनका अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) क्या इन चोरियों की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भवष्यि में इन चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ): पटियाला संग्रहालय पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि संग्रहालय

में दिसम्बर, 1966 में एक चोरी हुई थी। जो वस्तुएं चुराई गई थीं उनमें पुरातत्व महत्व की पांच कटारें थीं। इनका मूल्य 9000/- रुपए आंका गया है। राज्य सरकार ने पुलिस में मामला रजिस्टर करा दिया है और जांच पड़ताल हो रही है। पटियाला संग्रहालय में सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति भी नियुक्त की है।

ईसाई बनाना

902. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश तथा कुछ दूसरे राज्यों में अनेक आदिवासियों तथा दूसरे जन-जाति लोगों से बलात अथवा प्रलोभन देकर ईसाई धर्म ग्रहण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में स्वतन्त्रता से लेकर अब तक की अवधि के दौरान कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है; और

(ग) इस प्रकार के धर्म परिवर्तन को त्रिपुरा, अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह जैसे संघ राज्य क्षेत्रों में तथा सीमा क्षेत्रों में रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आर्थिक प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाए जाने की कुछ सूचनाएं मिली हैं।

(ख) एक धर्म से दूसरा धर्म परिवर्तन करने पर पंजीकरण करने के लिए किसी कानून में व्यवस्था नहीं है। अतः पूछी गई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) ध्यान में आने वाले प्रत्येक मामले में परिस्थितियों को देखते हुए उचित कार्यवाही की जाती है।

मंगलौर पत्तन परियोजना

904. **श्री लोबो प्रभु :** क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलौर पत्तन परियोजना के पिछले मुख्य इंजीनियर ने ठेके की दरों में पूर्वानुमानित दरों की तुलना में 25 प्रतिशत की कमी कर दी थी;

(ख) कुल कितने ठेके थे तथा अनुमानित राशि में कितनी कमी की गई है;

(ग) इस प्रकार दरों में कमी करने के लिए कौन से तरीके अपनाये गये थे; और

(घ) क्या ग्रामीण संचार व्यवस्था का कार्य पूरा करने के लिये, जो कि रख रखाव इत्यादि की कमी के कारण काम में नहीं लाई जा रही है, ठेकेदार मिलने तक ठेकों की राशि अनुमानित राशि से 25 प्रतिशत कम नहीं रखा जा सकता है ?

परिवहन तथा नौहवन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ): भूतपूर्व इंजीनियर और प्रशासक के कार्यकाल में 1 लाख रुपये से अधिक के छः ठेके दिये गये थे। उनमें से 5 ठेके अनुमानित राशि से कम थे। उन पांच ठेकों की अनुमानित लागत और

उनके टेन्डर की कीमत लगभग 14.63 लाख रुपये है । केवल कणन जल के .04 एम० कंटूर से 2.0 एम कंटूर तक के निर्माण करने के मामले में टेन्डर दर अनुमानित दरों से 25 प्रतिशत कम थी । इसका कारण यह है कि टेन्डर के समय कार्य के थोड़े भाग अर्थात तट .04 एम कंटूर से कार्य चल रहा था और भावी टेन्डर लेने वालों को यह अवसर था कि वे स्वयं कार्य के वास्तविक स्वरुप, कार्य के परिचालन, मशीन की आवश्यकता आदि के बारे में टेन्डर लेने से पहले देखें ।

Appointments in Banaras Hindu University

905. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether new appointments to the posts of Lecturers in the Hindi Department of the Banaras Hindu University were made during 1968 without any advertisement;

(b) if so, the reasons for making appointments without advertising the posts;

(c) whether it is a fact that all the appointments have been made on the basis of Caste;

(d) if so, the details thereof; and

(e) whether it is also a fact that some Research Assistants have been retrenched from their posts in the Grammar Section of the Hindi Department due to old prejudices?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b): Temporary appointments against 6 vacant posts of Lecturers in the Department of Hindi were made in July, 1968, without advertisement, on the recommendation of the Head of the Department. As appointment to regular posts in accordance with the prescribed procedure takes time, temporary appointments are made to ensure regular instrucation.

These posts have since been advertised and selection for permanent appointments is to be made shortly.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) No, Sir. However, the fact is that on the discontinuance of the scheme of Historical Grammar of Hindi Language, which was sanctioned by the University Grants Commission only upto the 30th June, 1968, services of the Research Assistants working under the scheme were terminated.

Hotel Charges at Delhi and Bombay

906. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the charges of hotels at Delhi and Bombay are higher than those in New York and Chicago;

(b) if so, whether the higher charges of hotels are badly affecting the foreign tourist traffic to India; and

(c) if so, the measures proposed to be taken by Government to solve the problem ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(d) and (c): Do not arise.

Eligibility for Becoming Chief Justice of Calcutta High Court

907. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Justice of Calcutta High Court has pointed out to the Chief Justice of India that Advocates community is lower than the Barrister community;

(b) whether it is also a fact that according to a proposal made by the Chief Justice of Calcutta High Court, only a barrister would be able to become a Chief Justice of Calcutta High Court in further; and

(c) if so, the reaction of Government there to ?

The Minister of State in the Ministry of Home-Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir.

(b) No such proposal has been made by the Chief Justice of Calcutta High Court.

(c) Does not arise.

National Integration Promised in Zonal Councils

908. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) the efforts made so far to bring uniformity in law courts and the police departments of the States participating in Zonal Councils;

(b) the extent to which the national integration has been achieved which was promised at the time of the formation of these Councils; and

(c) whether Government have under consideration any scheme to make the work of the Council more effective in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The functions of the five Zonal Councils under the scheme of the States Reorganisation Act, 1956 are specified in section 21 of that Act. In none of the Zonal Councils the participating States have so far suggested such items for consideration of the Councils.

(b) The Zonal Councils in their meetings have paid particular attention to the implementation of the policy decisions laid down by the Chief Ministers' Conference held in August 1961 to consider the question of national integration and language in its various aspects. The Committee of Zonal Councils for National Integration with the Union Home Minister as its Chairman and the Vice-Chairman or the Zonal Councils as members keeps in touch with the working of the various safeguards for linguistic minorities and the promotion of national integration.

(c) The Zonal councils are functioning in accordance with the scheme of these Councils embodied in the States Reorganisation Act, 1956 and have been playing a useful role in dealing with matters of common interest.

Burning of Postal Bags in General Post Office Delhi

909. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some postal bags were set on fire in the General Post Office. Delhi after the token strike on the Central Government employees on the 19th September, 1968; and

(b) if so, the action taken by Government to trace out the persons responsible for burning the postal bags ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

डा० जार्ज थामस द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से धन की प्राप्ति

910. **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री इ० के० नायनार :
श्री के० एस० अब्राहम :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 23 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5194 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के डॉ० जार्ज थामस के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, जिन्होंने 'केरल ध्वनि' समाचार पत्र के लिये 50 हजार डालर से अधिक तथा फरवरी, 1960 से आगे प्रतिमास छः हजार डालर प्राप्त किये;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग): केरल के आयकर आयुक्त ने सूचित किया है। 1959 से 1962 तक भेजे गये धन को डा० जार्ज थामस की आय समझ उस पर कर पहले ही लगाया गया है। 1963 से आगे के वर्षों के लिये मूल्यांकन अभी करना है। प्रवर्तन निदेशालय आगे और जांच कर रहा है।

झंडेवाला मन्दिर, नई दिल्ली से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

911. **श्री सूरज भान :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जिन्होंने नई दिल्ली में झंडेवाला मन्दिर में शरण ली थी, गिरफ्तार कर लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने उन कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं किया था जिन्होंने कुछ अन्य धार्मिक स्थानों में शरण ली थी; और

(ग) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) कर्मचारियों के कुछ अन्य धार्मिक स्थानों में शरण लेने के उदाहरण पुलिस के ध्यान में नहीं आये हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध जांच

912. श्री के० एम० अब्राहम :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री इ० के० नायनार ;

क्या गृह–कार्य मन्त्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच कार्यवाही कब पूर्ण होने की संभावना है ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ): जांच कार्यवाही अपने अन्तिम चरण में है ।

कलकत्ता में असैनिक सुरक्षा उपाय

913. श्री समर गुह : क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में प्रतिदिन भौंपू परीक्षण किये जाते हैं और आकस्मिक परीक्षण भी प्रायः किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे यह संकेत मिलता है कि नगर पर किसी शक्तिशाली शत्रु का कोई आकस्मिक विमान का आक्रमण हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो लोगों से ऐसी सम्भावना के बारे में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया जाता और जो भौंपू परीक्षण की भ्रान्ति असैनिक सुरक्षा के अन्य उपायों को कारगर ढंग से तैयारी क्यों नहीं की जाती;

(घ) क्या प्रतिदिन और बार-बार भौंपू बजाने के कारण शत्रु विमानों के आकस्मिक आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोग यही समझेंगे कि भौंपू का आकस्मिक बजाया जाना तो केवल उसका परीक्षण ही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) प्रतिदिन प्रातः 9 बजे 'पूर्ण निर्बाधता' संकेत ध्वनित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पहले 'पूर्ण निर्बाधता' संकेत बजाकर बाद में हवाई हमले का संकेत देने का प्रयोग माह में चार बार किया जाता है किन्तु ऐसा पूर्व प्रचार के बाद न कि अकस्मात किया जाता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जब भी किसी आक्रमण की सम्भावना का अनुमान हो, वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तनों के साथ-साथ उपयुक्त पूर्वोपाय किये जा सकते हैं। अतः वास्तविक आपातकाल में भी संकेतों की अपेक्षा होने की सम्भावना नहीं है।

केरल के पास गोला बारुद का पाया जाना

915. श्री रा० कृ० सिंह : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के पास समुद्र में एक मछुवे को हाल में चीन के चिन्ह वाले गोला बारूद का एक सन्दूक मिला था;

(ख) यदि हां, तो इसका पता लगाने के लिये कि यह संदूक वहां कैसे आया, कोई जांच की गई है; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक संदूक, जिसमें 4 पैराशूट सिगनल थे, 7 अप्रैल, 1968 को अझाकोडे के समीप समुद्र में कांचू कोदूर नामक एक मछुवे को मिला था। अपने घर पर जब वह उन्हें खोलने का प्रयत्न कर रहा था तो दो सिगनल फट गये। वे सिगनल पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिये गये तथा कोचीन में नौसेना अधिकारियों को दे दिये गये। उन सिगनलों पर चीन के चिन्ह नहीं थे। नौसेना अधिकारियों द्वारा की गई जांच से पता लगता है कि सिगनल जापानी मूल के थे और उनकी प्रामाणिकता जून, 1967 में समाप्त हो गई थी। यह पता नहीं लगाया जा सका कि सिगनल अझीकोडे के समीप कैसे पाये गये।

दिल्ली में प्रदर्शन

916. श्री रा० कृ० सिंह : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 अक्तूबर, 1968 को चांदनी चौक, दिल्ली में कोतवाली के सामने जब हजारों सिक्खों ने प्रदर्शन किया तो उसमें अनेक व्यक्ति घायल हुए;

(ख) क्या यह बात पहले ही मालूम नहीं थी कि प्रदर्शन के लिये तैयारियां की जा चुकी थीं; और

(ग) यदि हां, तो पुलिस ने इन बुरी घटनाओं को रोकने के लिये पर्याप्त तैयारियां क्यों नहीं की थीं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जबकि जनता का कोई व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ, भीड़ के एक भाग द्वारा, जो 2 अक्तूबर, 1968 को कोतवाली इमारत के बाहर एकत्रित हो गई थी, पथराव के परिणामस्वरूप एक दण्डाधीश, एक पुलिस के उप-अधीक्षक तथा चार पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं ।

(ख) जिला प्रशासन के पास इसकी पूर्व सूचना थी कि अकालियों का एक वर्ग कोतवाली इमारत पर 'निशान साहिब' फहराने का प्रयत्न करेगा ।

(ग) पर्याप्त पुलिस व्यवस्था कर दी गई थी ।

फैजाबाद में महिला कालेज का भवन

917. श्री रा० कृ० सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैजाबाद में महिला कालेज के भवनों की हालत बहुत खराब और चिन्ताजनक है; और

(ख) यदि हां, तो उस भवन की मरम्मत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं । केवल तीन कमरों के लिये विशेष मरम्मत की आवश्यकता है । जिसमें छतों को बदलना और दीवारों पर प्लास्टर करना शामिल है । अन्य कमरों की छतों के लिये केवल प्लास्टर की आवश्यकता है ।

(ख) राज्य सार्वजनिक विभाग से मरम्मत के खर्च के प्राक्कलन तैयार करने की प्रार्थना की गई है । इन प्राक्कलनों के प्राप्त होते ही, आवश्यक मरम्मत करने के लिये निधि की व्यवस्था की जायेगी ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन

918. श्री रा० कृ० सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फैजाबाद जिले में सम्बद्ध कालेजों में एम०ए० और एम० एस० सी० की शिक्षण की अनुमति देने के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संशोधन के कब तक होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख): उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा 3 के हटाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, जो कि स्नातकोत्तर उपाधि के शिक्षण के लिए किसी भी कालेज को सम्बद्धता प्रादन करने से रोकता है । गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

Use of official Language in Delhi Administration

919. **Shri Valmiki Chaudhary :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has made some changes in its official language policy sometime back under which the use of English would continue along with Hindi;

(b) whether the period which was fixed by the Delhi Administration for its employees to learn Hindi has been extended; and

(c) if so. the reasons for changing the policy ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):(a) No, Sir. The subsequent orders clarify that while gradually increasing use of Hindi would be made by Delhi Administration, their language policy would conform to the provisions of the Constitution and the Offical Languages Act.

(b) No final date for learning Hindi had been fixed,

(c) Does not arise.

अम्बाला नगर पुलिस की हवालात में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जूतों से मारना

920 **श्री सूरज भान :**
श्री बूटा सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18-9-1968 को गिरफ्तार किये गये केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों को अम्बाला नगर पुलिस की हवालात में जूतों से मारा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अम्बाला सिटी पुलिस द्वारा केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस द्वारा जूतों से मारने के आरोप सही नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के जलूस पर लाठी चार्ज

921. **श्री सूरज भान :**
श्री बूटा सिंह :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 सितम्बर, 1968 को पुलिस ने अम्बाला छावनी (हरियाणा) में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के शांतिपूर्ण जलूस पर लाठी चार्ज किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण थे और इससे कितने व्यक्ति जख्मी हुए थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान परिचारिकायें

922. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में इस समय कितनी विमान परिचारिकायें काम कर रही हैं;

(ख) उनका वेतनमान क्या है तथा उन्हें उड्डयन भत्ता तथा कार्योपरि भत्ता कितना मिलता है;

(ग) क्या विमान परिचारिकाओं को विवाह करने की अनुमति दी जाती है तथा क्या वे प्रसूती की सभी सुविधाओं के साथ सेवा में रह सकती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या विमान परिचारिकाओं को विवाह करने की अनुमति देने तथा अन्य लाभ प्रदान करने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) 185।

(ख) विमान परिचारिकाओं के वेतन मान, उड़ान भत्ते, तथा समयोपरि भत्ते निम्न प्रकार से हैं:-

वेतन मान : 385-25-560-40-720-50-770 रुपये।

	न्यूनतम	अधिकतम
	रु०	रु०
महंगाई भत्ता	80/-	95/-
दक्षता बोनस	50/-	50/-
*कारवेल भत्ता	50/-	50/-
	565/-	965/-

*केवलमात्र कारवेल संवर्ग के व्यक्तियों को ही देय।

समयोपरि भत्ता : मास में 50 घंटों से ऊपर प्रति-घंटा 7.50 रुपये की दर पर।

(ग) जी, नहीं।

(घ) क्योंकि कारपोरेशन एक स्वायत निकाय है, ये मामले पूर्णतया उसी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। जहां तक सरकार की जानकारी है, कारपोरेशन की इस शर्त में ढील देने की कोई योजना नहीं है।

Ayyar Commission

923. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3341 on the 9th August, 1968 and state :

(a) the reasons for which Ayyar Commission appointed by the Bihar Government have not so far undertaken any special enquiry about the movable or immovable property of former Ministers;

(b) whether the orders issued to the Commission to examine the documents partaining to specific charges levelled by the State Government against the former Minister and present a report upto the 2nd September, 1968 have since been complied with by it; and

(c) if so, the reasons for part (a) of the question and the complete details of part (b) ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Commission is presently engaged in the investigation of the specific charges submitted before it by the Bihar Government and the Public.

(b) and (c) At the request of the respondents, the Commission extended the time for the examination of the documents and submission of written statements by the respondents upto 22nd October, 1968. Written statements have since been submitted by the respondents.

Foreign Wives of Government Officials

924. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2265 on the 2nd August, 1968 and state :

(a) whether the information regarding foreign wives of Government officials has since collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for this inordinate delays ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : Information is being collected from Ministries/Departments of the Government of India. While a number of Ministries/Departments have already furnished the information, replies from others are awaited. A statement giving the information received so far is laid on the Table. [Placed in Library. See **No. LT-2126/68**]. Since the Ministries have to ascertain from the concerned official the information regarding nationality, citizenship etc. of their wives, sometime is being taken by them to furnish the information.

Gradual Decay of Hindus

925. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3345 on the 9th August. 1968 and state :

(a) the alternative methods to remove the drawbacks of the Hindu Society to which the attention of the country and the Society has been drawn; and

(b) the action taken or proposed to be taken by Government besides the Society, to introduce internal Social reforms in the Hindu Society in accordance with national ideals of Secularism and democracy ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) : Ministry of Education have no proposals in this regard as this is a matter of internal social reform for the community to consider consistently with our national ideals of secularism and democracy.

Disparity in Pay Scales of Primary Teachers

926. **Shri Molahu Prasad** - Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No, 1118 on the 26th July, 1968 and state :

(a) the names and designations of various officers competent to sanction pay scales;

(b) the details regarding the difference in the cost of living in various States;

(c) the details regarding the difference in economic potentiality of various States; and

(d) the measures being adopted by various States to solve the problem of collecting sufficient funds ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The scales of pay of school teachers are sanctioned by each State Government in respect of the teachers employed in Government schools in that States.

(b) and (c): This information is not readily available with the Education Ministry.

(d) The measures vary from State to State.

Pay Scales of Teachers in District Garhwal U.P.

927. **Shri Shiv Charan Lal** :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the District School Inspectors have power to take final decision in regard to pay Scales of the teachers working in the Districts under their control;

(b) if so, whether the Director of Education also has been empowered to demote a teacher without and reasons from the post carrying pay-scale approved by the District Inspector of Schools;

(c) if so, whether it is a fact that some Language teachers of District Garhwal (Uttar Pradesh) appointed by the School Education Committee in the L. T. Grade and whose appointments were approved by the District Inspector of Schools, were demoted to the C. T. Grade by the Departmental Officers; and

(d) if so, whether this demotion is not against the decision of the Managers of the schools ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d): The information is being obtained from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Riot in Pupri

928. **Shri Ramavatar Shastri** : **Shri Vishwa Nath Pandey** :
Shri Shiva Chandra Jha : **Shri Ram Avtar Sharma** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Communal riot broke out in the 1st October in Pupri town in Muzaffarpur District, Bihar;

(b) if so, the reasons therefor and the organisations behind the riot;

(c) the number of persons Killed and the number out of them belonging to the minority Community and the loss of property involved;

(d) whether it is also a fact that the Secretary of the local unit of the Communist Party was also assassinated in the riot and, if so, the name of the assassin; and

(e) the measures taken or proposed to be taken by Government for the suppression of rioters ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The criminal cases registered in connection with the incident are being investigated.

(c) Seven Persons belonging to the minority community were Killed Twelve residential houses and six shops were affected by loot and arson. The estimated value of property damaged is Rs. 5,900/-

(d) No, Sir.

(e) 36 criminal cases have been registered in connection with the incidents in the riot. 44 Persons have been arrested. A special team of investigating officers has been constituted to complete the investigation of the cases expeditiously.

बिहार में दानापुर-नौबतपुर सड़क

929. श्री रामावतार शास्त्री : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला पटना (बिहार) में दानापुर-नौबतपुर सड़क की पिछले कई वर्षों से मरम्मत नहीं की गयी है;

(ख) क्या उक्त सड़क टूटी-फूटी अवस्था में है और मोटर-गाड़ियों के यातायात के उपयुक्त नहीं है;

(ग) क्या जिला विकास समिति पटना ने उक्त सड़क की मरम्मत के लिये अपना अनुमोदन दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो उनके लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है; और

(ङ) इसकी मरम्मत के कार्य को कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) ; (क) जी, नहीं । सड़क सामुदायिक विकास तथा पंचायत के नियंत्रण में है । राज्य सरकार के राज विभाग जिसने पांच कुली और तीन नौकर कुलियों की व्यवस्था की है, सड़क की प्रति दिन की व्यवस्था के लिये पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित व्यय किया है :-

	व्यय (रुपयों में)
1964-65	21,356
1965-66	11,260
1966-67	37,967
1967-68	16,224

(ख) जी, हां। सड़क भारी यातायात और धन की कमी के कारण बुरी दशा में है। कुछ वर्ष पूर्व सस्ते तरीके अपना कर, जो वर्तमान भारी यातायात के लिये उपयुक्त नहीं है, द्वारा सड़क में सुधार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सड़क नहीं बन सकी और उसमें बहुत सी जगह पर बड़े गढ्ढे हो गये हैं।

(ग) से (ङ) : ज्ञात हुआ है कि पटना जिला बोर्ड ने सड़क में सुधार करने के लिये 2,50.000 रुपये की धनराशि की मांग की थी और जिला विकास समिति, पटना ने उस आवेदन का समर्थन किया है। राज्य सरकार द्वारा धनराशि को अलाट किये जाने के बाद ही यह कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

विद्यार्थियों के लिये पर्यटन के दौरान आवास स्थान की व्यवस्था

930. श्री लोबो प्रभु : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा करने वाले विद्यार्थियों के दलों के लिये पर्यटन विभाग द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं और क्या तत्सम्बन्धी सूचना सब को दी गई है।

(ख) क्या विभाग द्वारा ऐसा प्रबन्ध किया जाता है कि ऐसे दल स्थानीय विद्यार्थियों के होस्टलों का प्रयोग कर सकें; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुविधा तथा अन्य सुविधाओं के बारे में विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का है; क्योंकि विद्यार्थियों की यात्राएं केवल मनोरंजन के लिये ही नहीं, अपितु देश की जानकारी प्राप्त करने के लिये भी होती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग के विभिन्न स्थानों पर पर्यटक कार्यालय है जो मांग किये जाने पर छात्र-दलों को आवश्यक सूचना एवं सहायता प्रदान करते हैं। परन्तु पर्यटक कार्यालय इन दलों के लिये कोई भौतिक प्रबंध नहीं करते।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

गोहाटी हवाई अड्डा

931. श्री बसुमतारी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी हवाई अड्डे का विकास करने का प्रस्ताव है ताकि केरेविल जैसे जेट विमान भी वहां से उड़ सकें; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गौहाटी हवाई अड्डा अच्छे मौसम में कारवेल विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के पास कलकत्ता-गौहाटी मार्ग पर चलने के लिए फिलहाल फालतू कारवेल विमान नहीं हैं। जब कोई कारवेल विमान उपलब्ध हो जायेगा, गोहाटी के लिए एक कारवेल विमान सेवा परिचालित करने के बारे में विचार किया जायेगा।

पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता दिया जाना

933. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद से अब तक भूतपूर्व पाकिस्तानियों से भारतीय नागरिकता के लिये उनके मंत्रालय को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी गई है और कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं;

(ग) भारतीय नागरिकता दिये जाने वाले व्यक्तियों में कितने मुसलमान हैं;

(घ) भारतीय नागरिकता किन विशिष्ट अधिकारों पर दी गई;

(ङ) भारतीय नागरिकता दिये गये कितने व्यक्तियों की पाकिस्तान में सम्पत्ति है;

(च) भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन पत्र देने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो नीति में क्या मुख्य परिवर्तन किये गये हैं और उनके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1-9-1965 से 31-10-1968 की अवधि में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिये 1,211 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 31 अक्तूबर, 1968 तक 533 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी तथा उस तिथि को 70 मामले विचार के लिये लम्बित पड़े थे।

(ग) 25७ ।

(घ) महिलाओं के मामले में, मुख्यतया भारतीय राष्ट्रिकों से उनके विवाह के कारण/अन्य मामलों में, भारत में उनके संबन्धों तथा हितों को ध्यान में रखते हुए।

(ङ) सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

(च) जी नहीं, श्रीमान।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

पोप द्वारा उपहार में दिये गये ट्रक

934. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि 1966 के दुर्भिक्ष-वर्ष में पोप पाल तथा कैथोलिक जगत के कई अन्य धर्मार्थ संगठनों द्वारा भारत को उपहार के रूप में दिये गये 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 150 ट्रकों में से अधिकतर सेवरी में कबाड़ में बेचे जाने के लिये उपेक्षित पड़े है;

(ख) यदि हां, तो इस उपेक्षा के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ की मरम्मत करके प्रयोग के योग्य बनाने का है, और यदि हां, तो कब; और

(घ) इन ट्रकों को खराब होने तथा जंग लगने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं।

(ग) और (घ) कुछ ट्रकों को सेवा योग्य बनाने के लिये आवश्यक मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा हो जायेगा। विभिन्न प्रकार के आयातित ट्रकों की बड़ी संख्या में बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम द्वारा पूरे उपकरणों और अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से युक्त एक वर्कशाप बनाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

नागा विद्रोहियों द्वारा करों की वसूली

935. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के उत्तरी कछार जिले में सीमावर्ती गावों के लोगों से नागा विद्रोहियों द्वारा गृह-कर ज़बरन वसूल किये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) तथ्यों का असम राज्य सरकार से पता लगाया जा रहा है तथा सूचना यथासमय सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहयोग से भव्य होटल

936. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी सहयोग से भारत में भव्य होटल स्थापित करने के लिये कितने और किन-किन भारतीय उपक्रमों को अनुमति दी गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : तीन--अर्थात नई दिल्ली में एक लक्ज़री होटल बनाने के लिए (I) ईस्ट इंडिया होटेल्स लिमिटेड (ओबेरायज़) और यू० एस० ए० के इन्टरकान्टिनेण्टल होटेल्स कारपोरेशन के बीच सहयोग का सितम्बर, 1962 में अनुमोदन किया गया था और होटल 1965 से कार्य कर रहा है; (II) बम्बई में एक नये होटल बनाने और मौजूदा ताज होटल का विस्तार करने के लिए इंडिया होटेल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटाज़) और यू० एस० ए० के इन्टरकान्टिनेण्टल होटेल्स कारपोरेशन के बीच सहयोग का अगस्त, 1967 में अनुमोदन किया गया, और (vi) बम्बई में एक होटल बनाने के लिए ईस्ट इंडिया होटेल्स लिमिटेड (ओबेरायज़) और यूनाईटेड स्टेट्स के शेराटन इन्टरनेशनल के बीच प्रस्तावित सहयोग का कुछ शर्तों के अधीन हाल में अनुमोदन किया गया है।

Grants to School of Buddhist Philosophy, Leh

937. **Shri Kushak Bakula :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give more grants to the School of Buddhist Philosophy situated at Leh and to develop the same as a full-fledged University; and

(b) whether Government propose to convert the said school into an inter-national institution for the study of Buddhist literature and philosophy ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) There is no such proposal at present,

Expenditure on Transportation of Coal

938. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the comparative figures of the expenditure on the transportation of coal by railways and waterways over long distances; and

(b) whether it is a fact that the development of coastal shipping is dependent on the regular supply of coal ?

The Minister of Transport and Shipping (Shri V. K. R. V. Rao) : (a) Based on the current freight rates, port charges etc., the expenditure per tonne on the transportation of coal by the all-rail route and the rail-cum-sea route to various coastal ports works out approximately as shown below;--

Destination port	If coal is despatched from Raniganj		If coal is despatched from Jharia	
	all--rail route	rail-cum-sea-route	all-rail route	rail-cum: sea route
Madras	50.28	68.26	49.76	70.92
Tuticorin	60.86	66 26	60.86	68.92
Cochin	60.36	71.38	59.76	74.04
Bambay	52.36	81.97	52.36	84.63
Bhavanagar	57.86	72.18	59.66	74.84

(b) Yes, Sir.

पैट्रोलियम से प्रोटीन के सूक्ष्मजीव संश्लेषण का अध्ययन

939. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पैट्रोल संस्थान ने इंस्टीट्यूट फ्रैन्केज ड्यू पैट्रोल के सहयोग से पैट्रोलियम से प्रोटीन के सूक्ष्मजीव संश्लेषण के अध्ययन का कार्य हाथ में लिया है,

(ख) यदि हां, तो सहयोग करार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में खाद्य की कमी को दूर करने की दिशा में ऊंचे स्तर पर इस अध्ययन के परिणामों का किस हद तक ठोस लाभ होगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) करार की प्रति सभा पटल पर रखी गई [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2127/68**] ।

(ग) इस समय इस उत्पादन का सिधा उपयोग मुख्य खाद्य सामग्रियों के बदले में नहीं किया जा सकता है । यह ऐसे कार्यों के लिए लाभदायक हो सकेगा जैसे दूध बढ़ाने के लिए पशुओं के चारे को पौष्टिक बनाना । मनुष्यों के लिए इसका उपयोग तब होगा जब इसकी रुचिरता तथा विषाक्तता के परीक्षण किये जायेंगे जिनका काम अब हाथ में लिया जा रहा है ।

मिट्टी का तेल निकालने के बारे में अनुसंधान

940. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून के भारतीय पैट्रोलियम संस्थान द्वारा सदा ही दुर्लभ रहने वाले मिट्टी के तेल को हाड्रोकेकिंग तथा अन्य तरीकों से अवशिष्ट पदार्थों से निकालने के लिये किये गए अध्ययन कार्य से क्या मूर्त परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या इसको व्यापारिक उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) हाइड्रोक्रेकिंग संबंधी अनुसंधान कार्य अभी तक प्रारम्भिक स्तर पर है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय शीशा तथा चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्थान

941. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शीशा तथा चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्थान द्वारा अमेरिका के सहयोग से बेकार अभ्रक के उपयोग के बारे में किये अनुसंधान कार्य का अब तक क्या परिणाम निकला है;

(ख) इस अनुसंधान कार्य के लिये अमेरिका की सहायता से कितना ऋण प्राप्त हुआ है; और

(ग) व्यावहारिक जीवन में इस अनुसंधान कार्य से किस सीमा तक लाभ होगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) केन्द्रीय शीशा तथा चीनी मिट्टी अनुसंधान सस्थान कलकत्ता द्वारा अमरिका के सहयोग से बेकार अभ्रक के उपयोग के बारे में अब तक कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी मुद्रा कमाने के लिये पर्यटन के विकास की योजनायें

942. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में पर्यटन के विकास पर 450 प्रतिशत व्यय और इससे सरकार की विदेशी मुद्रा की आय में केवल 147 प्रतिशत की वृद्धि होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने कोई प्रभावी तथा ठोस योजनायें बनाई हैं जिनसे किये गये व्यय के अनुपात में विदेशी मुद्रा की आय में भी तत्समान वृद्धि हो ;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उन्हें किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है अथवा क्रियान्वित किया जा रहाहै?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) क्योंकि भारत में पर्यटन के आधार–भूत उपादानों का अभी पूर्णतया विकास नहीं हुआ है, पर्यटक यातायात से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय के अभी इस स्थिति में उसी अनुपात में बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती जिसमें कि इस प्रयोजन के लिए धन विनियोजन किया गया हो ।

(ख) और (ग) । प्रश्न नहीं उठते ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के माल यातायात में कमी

943. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1966-67 को समाप्त होने वाले गत दस वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के माल यातायात में 40 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) क्या उनको यह भी पता है कि माल यातायात में यह कमी विमान सेवाओं की समय सारिणी के गलत आयोजन, माल भेजने में विलम्ब तथा आवश्यकता के समय माल की ढुलाई तथा माल के पहुंचाने में उचित विश्वास प्राप्त करने में असमर्थता के कारण है; और

(ग) यदि हां, तो इस असंतोषजनक स्थिति को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वहन किया जाने वाला माल 1956-57 में 50,194 टन से कम होकर 1965-66 में 15,071 टन रह गया। उसके बाद उसमें लगातार वृद्धि हुई है। 1966-67 में वहन किया गया माल 19,454 टन था, और 1967-68 में वह 21,289 टन था। 1968-69 में कारपोरेशन के 25,000 टन माल वहन करने की आशा है।

(ख) माल यातायात में कमी का मुख्य कारण इंडियन एयरलाइन्स के पास उपलब्ध विमानों में माल वहन क्षमता की कमी है जिसके परिणामस्वरूप करपोरेशन आवश्यकतानुसार माल परिवहन की इस सीमा तक व्यवस्था करने में असमर्थ रहते हैं कि उन पर पर्याप्त भरोसा किया जा सके।

(ग) कारपोरेशन के विमान बेड़े को न केवल यात्रियों की अपितु माल वहन संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए बढ़ाने के प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल के नागरीय क्षेत्रों में जनगणना

944. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हुई प्रगति तथा विकास सम्बन्धी प्रयत्नों के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जनगणना प्राधिकारियों का विचार पश्चिम बंगाल के कुछ चुने हुए नगरों में गहरा अध्ययन तथा सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो चुने गये नगरों के नाम क्या है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(घ) इस कार्य पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है;

(ङ) इस प्रयास से होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इसी प्रकार का अध्ययन और सर्वेक्षण चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) पश्चिम बंगाल सहित भारत के विभिन्न भागों में लगभग 200 नगरों के गहन अध्ययन के अतिरिक्त 1971 की जनगणना के सहायक के रूप में भारत के समस्त नगरों के सम्बन्ध में एक निदेशिका तैयार करने का प्रस्ताव है ।

(ख) नगरों के चयन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी पश्चिम बंगाल में उत्तरपाड़ा कोतुंग नगर में एक निदेशक अध्ययन (पायलट स्टडी) का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ग) 1971 की जनगणना की मुख्य कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के बाद कार्य के पूरे होने को सम्भावना है ।

(घ) 4 लाख रुपये ।

(ङ) प्रस्तावित शहरी अध्ययन ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालेगा जैसे नगरों के विकास का इतिहास, उनका आकारिकी रहन-सहन का स्तर, सामाजिक सम्बन्ध पुर्वाभिमुखाकरण का विकास तथा अन्तः शक्ति का विकास तथा शहरी तथा आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच पारस्परिक क्रियाओं तथा सामाजिक परिवर्तन ।

(च) 1961 की जनगणना के सहायक कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों के लगभग 500 ग्रामों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को पहले ही सम्मिलित कर लिया था । 1971 की जनगणना के सहायक के रूप में इस प्रकार सम्मिलित किये ग्रामों के 10 प्रतिशत ग्रामों को उनके पुनः अध्ययन करने के लिए लेने का प्रस्ताव है जिससे इन दस वर्षों में उन ग्रामों में परिवर्तन की दिशा तथा मात्रा के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके ।

Lathi Charge in Etawah Jail

945. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of times jail authorites resorted to lathi charge on prisoners under trial in Bakewar case in District Jail, Etawah, beat them and misbehaved with them between 12th September to 15th October, 1968.

(b) the names and number of prisoners who observed fast in protest against maltreatment by Jail authorities and for how many days this fast continued; and

(c) the action taken against the officers concerned or the punishment proposed to be awarded to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) (a) to (c): Facts are being ascertained from the State Government.

दिल्ली परिवहन उपक्रम को ऋण देने से इन्कार करना

946. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या परिवहन तथा नौहवन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली परिवहन की ऋण की प्रार्थना अस्वीकार कर दी है और इस परिवहन को किराये में वृद्धि करके अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन का कार्य बहुत असंतोषजनक है "और किराये में अधिक वृद्धि का अर्थ अदक्षता को और बढ़ावा देना होगा; और

(घ) केन्द्रीय सरकार परिवहन को यह सुझाव देना क्यों उचित नहीं समझती कि वह बचत तथा बिना टिकट यात्रा से होने वाली हानि को रोककर अतिरिक्त धन जुटाये ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन द्वारा ऋण के लिए भेजी गई प्रार्थना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। उपक्रम को सलाह दी गई है कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि सिटी ट्रांस्पोर्टों द्वारा लिये जा रहे किराये को ध्यान में रखते हुए वह अन्य बातों के अलावा किराये में वृद्धि की शक्यता के बारे में भी विचार करे ताकि वह बकाया ऋण की किश्त और उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान कर सके। उपक्रम के जनरल मैनेजर ने किरायों में वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा था लेकिन जब 1968-69 के बजट प्रस्ताव तैयार किये जा रहे थे तब 1967 में दिल्ली परिवहन समिति इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई थी।

(ग) जी, नहीं। अतिरिक्त स्रोतों से उपक्रमों को अपनी बसें बढ़ाने और अपनी सेवा में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

(घ) उपक्रम को मितव्ययता से काम करने के लिये उचित कार्यवाही करने और अपनी आय का दुरुपयोग न करने की सलाह दी गई है।

चंडीगढ़ में सेवा कर रहे अधिकारी

947. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी को नहीं रखा जा सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब संवर्ग के अधिकारियों को अवसर न देने के लिए चंडीगढ़ में अन्य संवर्गों के अधिकारी रखे जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। पंजाब संवर्ग के अधिकारी भी चन्डीगढ़ में नियुक्त किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग में एक सिख सदस्य के रूप में नियुक्ति

948. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग में उसकी स्थापना से अब तक कोई सख नहीं लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) आयोग की सदस्यता में किसी विशेष सम्प्रदाय के व्यक्तियों के लिये कोई आरक्षण नहीं है ।

चंडीगढ़ में कानून और व्यवस्था

949. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ-राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कानून तथा व्यवस्था की समूची व्यवस्था हरियाणा संवर्ग के अधिकारियों के हाथों में है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय

950. **श्री लोबो प्रभु** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में प्रौढ़ शिक्षा पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितने प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा दी गई;

(ग) अनुदान की मंजूरी देने से पहले वास्तविक जाँच के लिए कोई व्यवस्था है, यदि हां तो वह क्या है; और

(घ) प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करने पर प्रति व्यक्ति कितनी राशि खर्च हुई ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ): सभी के बारे में अपेक्षित सूचना केवल तीसरी आयोजना के पहले तीन वर्षों अर्थात 1961-62, 1962-63 और 1963-64 के लिए उपलब्ध है । वह नीचे दी जाती है :—

वर्ष	किया गया खर्च रुपये	शिक्षित किए गए प्रौढ़ व्यक्तियों की संख्या	शिक्षित किए गए प्रति व्यक्ति पर लागत रुपये
1961-62	1,01,90,016	12,22,176	8.3
1962-63	85,83,069	10,25,515	8.4
1963-64	79,10,602	9,11,116	8.7

(ग) सामान्य रूप से अनुदान पिछले कार्य पर विचार करने के बाद और अनुदान पाने वाले के भविष्य के कार्यक्रम की संवीक्षा कर लेने पर मंजूर किये जाते हैं।

विज्ञान के विषयों के अध्यापकों की कमी

951. श्री लोबो प्रभु : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में विज्ञान के विषयों के 40 परसेन्ट अध्यापकों और तकनीकी संस्थाओं में 30 परसेन्ट से लेकर 40 परसेन्ट तक अध्यापकों की मानी हुई कमी के परिणामों पर विचार किया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप विज्ञान की पढ़ाई के प्रति लोगों में निराशा उत्पन्न नहीं हुई है, जब कि अन्य विषयों की पढ़ाई भी रुक गई है, जिनके अध्यापक उपलब्ध हैं; और

(ग) इन परिस्थितियों में विज्ञान को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, एक विषय में अध्यापकों की कमी से अन्य विषयों की पढ़ाई बन्द नहीं हो जाती। तथापि, प्रश्न के भाग (क) में उल्लखित आंकड़े शिक्षा आयोग की 1964-66 की रिपोर्ट के हैं, स्तर में सुधार करने के लिये उसके बाद से बहुत से कदम उठाए गए हैं और कमी को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन

952. डा० अ० ग० सोनार : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार अन्य राज्यों के समान कार्य न करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या सरकार उन्हें आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इसके कारण विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रणालियां जारी नहीं रहेंगी ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अब तक केरल राज्य ही ऐसा है जिसने शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार 10+2+3 की प्रणाली को पूर्णतया अपनाया है। सुझाव अन्य राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार को आशा है कि कुछ वर्षों में सब राज्य सरकारें शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश की गई प्रणाली को स्कूल और कालेजों में लागू कर लेगी।

Commission received on Tata Mercedes Buses by Transport Commissioner of Uttar Pradesh

953. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Transport Commissioner of Uttar Pradesh Government has received a cheque of three lakhs and forty thousand rupees from Tata Mercedes as commission ;

(b) whether it is also a fact that a sum of one crore and 74 lakh rupees was paid by the State Government this year as price of Tata Mercedes Buses and this commission was paid in this connection ;

(c) whether it is also a fact that when the Transport Commissioner ordered the commission to be desposited in the Treasury, a problem arose as to the Head under which this amount was to be deposited as such commission came to light for the first time ;

(d) whether it is also a fact that such a commission was paid to the State Government on every such purchase each year ;

(e) if so, whether such commission was deposited in the past or the articulars of the officials who had been defalcating this amount ; and

(f) whether Government propose to look into each deal of Tata Mercedes Vehicles by the State Government and find out all the facts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (f) : The required information is being collected from the Government of U. P. and will be laid on Table of the Sabha, when received.

गांधी शताब्दी समारोहों के बारे में राज्यों को हिदायतें

954. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गांधी शताब्दी समारोहों के बारे में राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Restriction of Higher Education

955. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Education be pleased to state :

whether Government have under consideration any proposal to restrict higher education, to stop education of most of the students at secondary standard and to make the educatation system industry-based with a view to cheak increasing un-employment ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : A Statement is attached.

Statement

The Government Resolution on the National Policy on Education contains provisions (a) to relate the enrolments in colleges and university departments to the facilities actually available ; (b) to exercise restraint in the establishment of new universities ; (c) to vocationalise the secondary stage with a view to reducing pressures on admissions for higher education, and (d) to lay special emphasis on the development of education for agriculture and industry.Given an adequate rate of economic growth and some diminution in the rate of population increase, these may be able to checak increasing unemployment

For convenience of reference, the relevant provisions from the Resolution on the National Policy on Education are quoted below :

University Education : (a) The number of whole-time students to be admitted to a college or university department should be determined with reference to the Laboratory, library and other facilities and to the strength of the staff.

(b) Considerable care is needed in establishing new universities. These should be started only after an adequate provision of funds has been made for the purpose and due care has been taken to ensure proper standards.

Vocationalisation of Secondary Education : There is need to increase facilities for technical and vocational education at the secondary stage. Provision of facilities for secondary and vocational education should conform broadly to requirements of the developing economy and real employment opportunities. Such linkage is necessary to make technical and vocational education at the secondary stage effectively terminal. Facilities for technical and vocational education should be suitably diversified to cover a large number of fields such as agriculture, industry, trade and commerce, medicine and public health, home management, arts and crafts, secretarial training, etc.

Education for Agriculture and Indusry : Special emphasis should be placed on the development of educarion for agriculture and industry.

Raising of Socials and Economic Status o Teachers

956. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Educattin be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that he has expressed this view time and again in his speeches that the social and economic status of teachers need to be raised ;

(b) the steps taken by Government in this regard ; and

(c) the standard fixed by Government therefor and the time which it is likely to be reached ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The Education Commission has made a number of recommendations in this regard and these have been sent to the state Governments, who are primarily concerned.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विज्ञापन

958. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विज्ञापनों पर बहुत व्यय किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में प्रत्येक पद पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को देशांतर्गत सेवा में एकाधिकार प्राप्त है और विज्ञापन की अनेक मदों को घटाया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो मितव्ययता करने के लिये इस कारपोरेशन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : 1965-66 से 1967-68 तक के वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विज्ञापनों और प्रचार पर व्यय की गयी राशियां निम्न प्रकार है :–

1965-66	10.70 लाख रुपये
1966-67	14.40 लाख रुपये
1967-68	18.30 लाख रुपये

मद-वार व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है लेकिन इसमें प्रचार और जन सम्पक कार्यों पर किया गया व्यय भी सम्मिलित है ।

(ग) और (घ): यद्यपि इण्डियन एयर लाइन्स का देशीय हवाई परिवहन पर व्यावहारिक रूप से एकाधिकार है, फिर भी स्वस्थ जन सम्पर्क बनाये रखने और देश में विदेशी पर्यटकों के आने को बढावा देने के उनके लिए यात्री और इससे भी अधिक माल के हवाई यातायात की अभिवृद्धि करना आवश्यक है । जन सम्पर्क कार्यों एवं प्रचार पर इण्डियन एयरलाइन्स के व्यय को, जोकि उसकी परिचालन आय के एक प्रतिशत के लगभग एक चौथाई के बराबर है, अत्यधिक नहीं बताया जा सकता ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 10398, 10 मई, 1968 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to U. S. Q. N. 10398 Dated 10.5.68

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 10 मई, 1968 को लोक सभा में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिया गया था।

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में तिपटी पिपरिया गांव में सवर्ण हिन्दुओं ने पैंतीस हरिजनों के खलिहानों को दिन दहाड़े जला दिया था ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा पिछड़ी जातियों पर अमानवीय अत्याचारों की घटनाएं बढ़ रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भाग (क) का उत्तर राज्य सरकार से आवश्यक सामग्री एकत्रित करके, जिसने यह बताया था कि ऐसी घटना के बारे में न तो कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और न ही उसे उसके बारे में कोई जानकारी है। भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था। तदपश्चात राज्य सरकार ने बताया था कि आगे जांच करने पर इस बात का पता लगा है कि एक ब्राह्मण ने शत्रुता के कारण कुछ हरिजनों के खलिहान जला दिये थे।

राज्य सरकार द्वारा अब दी गई जानकारी के अनुसार इस अतारांकित प्रश्न के पहले दिये गये उत्तर में निम्नलिखित शुद्धि की जाये :-

(क) राज्य सरकार को ऐसी किसी घटना के बारे में पता नहीं है।'

के स्थान पर

"जी हां, एक खलिहान में, जिसमें 35 हरिजन परिवारों का अनाज रखा हुआ था, एक ब्राह्मण ने शत्रुता में कारण आग लगा दी थी।" पढ़िये

भाग (ख) और (ग) की जानकारी इस प्रकार है :-

(ख) क्या मध्य प्रदेश में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा पिछड़ी जातियों पर अमानवीय अत्याचारों की घटनाएं बढ़ रही हैं ;	राज्य सरकार के अनुसार इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है कि मध्य प्रदेश में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा पिछड़ी जातियों पर अमानवीय अत्याचारों की घटनाएं बढ़ रही हैं।
(ग) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?	प्रश्न ही नहीं उठता।

9 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3297 के उत्तर में शुद्धि

Correction of answer to Unstarrd Question No. 3297 dated 9th August, 1968

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 9 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3297 के भाग (ख) के उत्तर में उप-खण्ड 1, में लोक सभा में दिये गये शब्द और आंकड़े "फरवरी 1965" के स्थान पर "जनवरी-फरवरी, 1965" रखा जाना चाहिये।

23 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5466 के उत्तर में शुद्धि

Correction of answer to Unstarred Question No. 5456 dated 23rd August, 1968

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस प्रश्न के भाग (छ) के उत्तर "इस बारे में जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि निर्णय की प्रमाणित प्रति अभी तक त्रिपुरा सरकार को प्राप्त नहीं हुई है", के स्थान पर "न्यायिक आयुक्त के निर्णय की एक प्रमाणित प्रति त्रिपुरा सरकार को 22 अगस्त, 1668 को प्राप्त हुई थी। आवश्यक कार्यवाही के लिये इस निर्णय का अध्ययन किया जा रहा है।" पढ़िये।

2 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2460 के उत्तर में शुद्धि

Correction of answer to Unstarred Question No. 2460 dated 2nd August, 1968

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : अंदमान के बंगाली माध्यम के स्कूलों के बारे में लोक सभा में 2-8-68 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2460 को मेरे द्वारा दिये गये उत्तर को ठीक करते हुए, मैं संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं।

2. प्रश्न के उत्तर में मैंने, इस प्रकार कहा था :

(क) रवीन्द्र बंगला विद्यालय को, जो पोर्ट ब्लेयर में बंगाली माध्यम वाला एक प्राइवेट स्कूल था और जिसे प्रशासन द्वारा मिडिल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। 1-8-1967 से सरकार ने उसी रूप में अपने हाथ में ले लिया था। हस्तांतरण के समय प्रबन्धक मण्डल नवीं और दसवीं कक्षाएं चला रहा था जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 6 और 2 थी, जिसकी वजह से स्कूल का उच्च स्तर न्यायोचित नहीं था।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। वहां पहले से ही तीन बंगाली माध्यम वाले मिडिल स्कूल और दो उच्च माध्यमिक स्कूल हैं जिनमें मिडिल कक्षाओं में बंगाली भी एक माध्यम है, और इन स्कूलों में अंदमान के बंगाली भाषी विद्यार्थियों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं।

3. उपर्युक्त उत्तर, अंदमान तथा निकोबार प्रशासन से 29-7-1968 को वायरलेस संदेश प्राप्त होने पर दिया गया था। लोक सभा में इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद मेरे मन्त्रालय को प्रशासन से एक और संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि रवीन्द्र

बंगला विद्यालय, पोर्ट ब्लेयर का स्तर कला विषयों के लिए चालू शैक्षिक वर्ष से बढ़ाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

4. प्रशासन से प्राप्त सूचना को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होना चाहिए :

(क) रवीन्द्र बंगला विद्यालय को, जो पोर्ट ब्लेयर में बंगाली माध्यम वाला एक प्राइवेट स्कूल था और जिसे प्रशासन द्वारा मिडिल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, 1. 8. 1967 से सरकार ने उसी रूप में अपने हाथ में ले लिया था (हस्तांतरण के समय प्रबन्धक मण्डल नवीं और दसवीं कक्षाएं चला रहा था जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: 6 और 2 थी, जिसकी वजह से स्कूल का उच्च स्तर न्यायोचित नहीं था। तथापि, वर्तमान शिक्षा सत्र से इस स्कूल को कला विषयों के लिए उच्च माध्यमिक स्कूल के रूप में बदलने का अब निर्णय कर लिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। इसके अतिरिक्त बंगला माध्यम के तीन मिडिल स्कूल और मिडिल कक्षाओं सहित तीन हायर सेकेण्डरी स्कूल पहले ही से मौजूद हैं, जिनमें बंगला भी शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाई जाती है और वे ये अंदमान के बंगला भाषी विद्यार्थियों की वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करने में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कोठारी आयोग की सिफारिशों की अक्रियान्विति न किया जाना।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): श्रीमान्, मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा अन्य राज्यों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों इत्यादि के विषय में कोठारी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित न किया जाना।"

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : स्कूलों के अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग की सिफारिशें तीन भागों में बंटी हुई हैं :–

(1) देश के सभी भागों के स्कूल के अध्यापकों के लिए न्यूनतम वेतनमान होना चाहिए और यह प्रत्येक राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे स्थानीय

परिस्थितियों के अनुसार इन्हें अथवा इनसे अधिक वेतनमानों को स्वीकार करें।

(2) स्कूलों के जो अध्यापक मैट्रिक पास है और जिन्होंने दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनका न्यूनतम वेतनमान 150-250 रुपए होना चाहिए और काडर के 15 प्रतिशत के लिए 250-300 रुपए के एक सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रशिक्षित स्नातकों के लिए 220-400 रुपए का वेतन होना चाहिए और काडर के उसी प्रतिशत के लिए 400-500 रुपए का एक सेलेक्शन ग्रेड होना चाहिए। इन वेतनमानों में 31 मार्च, 1966 तक मंहगाई भत्ता शामिल है।

(3) स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान सुधारने के लिए, जैसा कि सिफारिश की गई है, राज्य सरकारों को उदार केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए।

2. पहली सिफारिश को स्वीकार करना भारत सरकार के लिए सम्भव नहीं हो सका है।

3. तीसरी सिफारिश को भी स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता या तो योजना कार्यक्रमों के लिए या गैर-योजना और पूर्व निश्चित खर्च के लिए दी जाती है। अब यह निर्णय किया गया है कि अध्यापकों अथवा किसी अन्य लोक सेवकों के वेतन मान सुधारने के प्रस्तावों को योजना कार्यक्रम नहीं समझा जाना चाहिए। गैर योजना या सम्बद्ध खर्च के लिए सहायता वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दी जाती है। इसमें सभी गैर–योजना या सम्बद्ध खर्च, राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार समेत, शामिल हैं। किन्तु यह आमतौर पर किसी विशेष योजना के लिए निश्चित नहीं है।

4. इसलिए, शिक्षा आयोग की सिफारिशों को, स्थानीय हालतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ भेज दिया गया था। इसका यह आशय था कि किसी राज्य सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर जिस हद तक वास्तव में अमल किया जाता है, किन्तु आयोग द्वारा भार की समेकित निधि से राज्य निधियों को सहायक अनुदान के अपने प्रस्ताव तैयार करते समय, इस विषय में उनकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जाएगा।

5. राज्य सरकारें, शिक्षा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार और इन्हें पूर्ण रूप से लागू करने में समर्थ नहीं हैं। किन्तु शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय से लेकर अब तक, स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में सुधार हेतु, सभी ने कदम उठाए हैं। कुछ राज्यों में मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है और केन्द्रीय महंगाई भत्ते के बराबर कर दिया गया है। अन्य राज्यों में सभी लोक-कर्मचारियों के वेतन संशोधित करने हेतु वेतन आयोगों की नियुक्ति कर दी गई है और उन पर अमल किया जा चुका है तथा किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में पिछले तीन वर्षों में; आम तौर से काफी हद तक सुधार हो गया है। यह ठीक है कि इस बढोतरी का कुछ अंश चीजों के मूल्य बढ़ने के कारण नाकारा

हो गया है। किन्तु यदि इसके लिए छूट रखली भी जाए तो भी कुछ राज्यों में अध्यापकों के वेतनों में पर्याप्त सुधार हुआ है।

6. भारत सरकार, अध्यापकों के वेतनों में सुधार को बहुत महत्व देती है और कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली हालतों के बारे में चिन्तित है। किन्तु, संविधान के उपबधों के अधीन प्राथमिक तथा अन्य अध्यापकों के लिए उपयुक्त वेतन-मानों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। फिर भी शिक्षा मन्त्रालय] सभी राज्यों में अध्यापकों के वेतन-मानों को यथासम्भव अधिकतम सुधार के लिए पूरी सहानुभूति-पूर्वक यथाशक्ति प्रयत्न करेगी।

श्री ज्योतिमय बसु : सरकार इस देश के लोगों को जिम्मेदार तथा उपयोगी नागरिक बनाने में अधिक रुचि नहीं रखती है। इस सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का सत्यानाश कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षा बहुत गड़बड़ झाले में है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1930 के अधिनियम द्वारा नियंत्रित की जाती है। 1919 के अधिनियम के स्थान पर बनाए गये पश्चिम बंगाल नगर प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1963 की अब तक 88 नगरपालिकाओं में से केवल 13 ने स्वीकार किया है। कलकत्ता नगर तथा चाय बागान क्षेत्र इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते। अपने 20 वर्ष के शासन में कांग्रेस सरकार ने सारे राज्य में नए अधिनियम को लागू करने की प्राथमिक अध्यापकों की मांग को स्वीकार नहीं किया है।

अध्यापकों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान मंत्री को अपना जो मांग पत्र पेश किया गया है उसके बारे में शिक्षा मंत्री क्या करने जा रहे हैं ? पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा विभाग अधिकारियों तथा अखिल बंगाल प्राथमिक अध्यापक संघ प्रतिनिधियों की बैठक में जिसकी अध्यक्षता डा० त्रिगुण सेन ने की थी आश्वासन दिया गया था कि एक व्यापक अधिनियम पास तथा लागू किया जायेगा। अब यह सिद्ध हो गया है कि वह केवल बहकावा था। 27 मार्च, 1968 को सभा में अपने आश्चर्यजनक भाषण के बाद शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में विशेषकर पश्चिम बंगाल में जो कुछ किया गया है उसके बारे में जानने के लिये मैं बहुत इच्छुक हूं।

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं इस बात से अवगत रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षा पुराने अधिनियम के अधीन चलाई जारही है। मैंने अपना पद संभालने के बाद इस मामले को राज्य के शिक्षा मंत्री श्री भट्टाचार्य के साथ उठाया था। मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि हमें आपस में बातचीत करके इस अधिनियम में परिवर्तन करना चाहिये। परन्तु उनके पास शायद इस पर विचार करने के लिये समय ही नहीं था। मैंने हाल में राज्य सरकार के साथ इस बारे में बातचीत की थी। हमने मिलकर विचार किया और राज्य सरकार द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया है कि वे अध्यापकों के परामर्श से अधिनियम का प्रारुप तैयार करेंगे और हमारे पास स्वीकृति के लिये भेजेंगे। चूंकि वह केवल एक कार्यवाहक सरकार है इसलिये वह मध्यावधि चुनाव के बाद इस प्रारूप को लोकप्रिय सरकार के सामने रखेगी।

कुछ कांग्रेस संसद्-सदस्यों के साथ प्राथमिक अध्यापक महासंघ के सदस्य प्रधान मंत्री से मिले थे । प्रधान मंत्री ने पूरी सहानुभूति के साथ विशेषकर उत्तर प्रदेश के बारे में जो कठिनाई थी उसके बारे में उन्हें बताया ।

चूंकि स्कूल स्तर तक की शिक्षा राज्यों का विषय है इसलिये हम कोई प्राथमिक शिक्षा अनुदान आयोग नियुक्त नहीं कर सकते हैं ।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : The primary teachers from various parts of India came to Delhi to present their demands to the Prime Minister. There are no two opinions that the teachers should be given a place of pride in society. Keeping this in view there should be no objection to the acceptance of their demand for conferment of voting rights for elections to legislative councils. Necessary amendment should be made in the Constitution to this effect.

How can the teachers get a place of pride in society if they are utilised for collecting funds for political parties In U.P. they are being compelled to contribute to congress election fund. I can show about 50 such receipts in support of this statement.

The Kothari Commission and the parliamentary committee both had recommended that the disparity in the pay scales of teachers throughout the country should be removed. Does the Centre want to escape from this responsibility ? Can't they amend the Constitution in order to make primary education a concurrent subject ?

When the Centre can appoint Commissions for secondary and University education why cannot they appoint one for primary education as well for prescribing uniform standards of education and uniform scales of pay for the whole country ?

Shri Bhagwat Jha Azad : There cannot be any two opinions that teachers should be given a place of pride in society.

So far as the elections to legislative councils are concerned, the primary teachers do vote at present. But whether they should be afforded an opportunity to vote in those elections and to stand as a candidate or not is a subject for consideration with all concerned.

If any political party-whether it is the Congress, Jana Sangh or any other party-makes forcible collection from teachers for its election funds, it is very objectionable act and we are opposed to it.

The hon. Member has said that a Primary teacher in U.P. gets Rs. 110 as pay. It is no doubt on a very low side. We fully support the fact that the salary of Rs. 150/- as recommended by the Education Commission should be piad to them.

The States of Punjab and Haryana have increased the pay-scales of their teachers without any assistance from the Centre. The Bihar Government has also accepted it in principle and started implementing it.

We hope that other States will also follow suit, Opinions are divided on the question of making primary education a concurrent subject. It can be done only when all the State Governments agree to it.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : Teachers are nation builders. They prepare children to be useful citizens of the country, The primary teachers get less salary than that of a constable or even a peon in the Reserve Bank of India. No action has so far been taken by the Government in regard to the long-standing demands of these teachers. Government has been evading this issue under the pretext of its being a state subjects. I want to know whether Government intend to amend the Constitution and make it a concurrent subject ?

A Parliamentary committee on the pattern of a statutory board of Members of Parliament for the welfare of backward classes should be set up to look after the welfare of these teachers.

In U. P. collections are being made from these teachers by Congressmen. This matter should be enquired into.

Shri Bhagwat Jha Azad : We have clearly stated that the primary teachers get less salary in comparision to the salary of a constable or even a peon. We have not tried to evade this issue, as the hon. Member has just now said. We have all sympathy for them. But we cannot act in violation of the constitution.

For making primary education a concurrent subject, we have to get the concurrence of all the State Governments. Without that we cannot do any thing.

It is not correct to say that no steps have been taken to redress the grievances of primary teachers. Punjab, Haryana and Bihar States have taken action. In Maharashtra also, the report of the commission appointed by the State Government has now been received. In the States where it has not been done so far we have full sympathy for the cause of the primary teachers.

It being a state subject, we cannot appoint any committee of Parliament for this purpose.

श्री समर गुह (कनटाई) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 20 वर्ष गुजर जाने के बाद भी प्राथमिक अध्यापकों की सबसे अधिक उपेक्षा की जा रही है । देश के विभिन्न राज्यों के 10,000 से अधिक प्राथमिक अध्यापकों को 150 रुपया वेतन की मांग को लेकर दिल्ली आना पड़ा है और इस पर उनका एक मास का वेतन खर्च हो गया है । यह सरकार के लिये ही नहीं अपितु हम सब के लिये यह एक शर्म की बात है । मैं जानता हूं कि शिक्षा मंत्रालय की कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं ।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा की सहायता के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार अच्छी रकम की व्यवस्था कर रही है । इसलिये शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के रास्ते में कोई बाधा नहीं है । इसे समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद केन्द्रीय तथा राज्य शिक्षा मंत्री बैठ कर कोई ठोस योजना तैयार कर सकते हैं ।

नेताजी ने 1944 में टोकियो में अपने ऐतिहासिक भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद द्वितीय प्राथमिकता शिक्षा को दी थी । इसे ध्यान में रखते हुये मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने शिक्षा आयोग की प्राथमिक अध्यापकों को कम से कम 150 रुपये वेतन देने की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों के सहयोग से क्या कार्यवाही की है ?

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उनके पुनर्वास के लिये प्राथमिक अध्यापकों को ऋण देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न प्राधिकारियों को समान शिक्षा पद्धति लागू करने के लिये एक साथ लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? योजना आयोग के सहयोग से प्राथमिक अध्यापकों की सेवाओं को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा, परिवार नियोजन प्रचार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि के लिये, जिससे उन्हें कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके, उपयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित करने जा रही है, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मामले में उन्होंने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है ।

श्री भागवत झा आजाद : जहां तक इसे समवर्ती विषय बनाने का प्रश्न है मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा कालेज अध्यापकों, उच्चतर शिक्षा और उसका समन्वय केन्द्रीय विषय होने के नाते हम 5 वर्ष के लिये इस आशा से कुछ प्रतिशतता देने के लिये राजी हो गये थे कि राज्य सरकारें प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के बारे में अपने संवैधानिक दायित्व को भी पूरा करेंगी । यह राज्यों का विषय होने के कारण हम कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं कर सकते । दूसरे राज्यों में अध्यापकों के वेतन राज्य सरकारों के अन्य कर्मचारियों के वेतन से जुड़े होने के कारण भी कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जहां तक ऋण तथा अन्य सुविधाएं देने का प्रश्न है, यह राज्य सरकारों के साथ साथ किया जा रहा है । विभिन्न प्राथमिक शिक्षा प्राधिकारियों को एक प्राधिकारी के अन्तर्गत लाना राज्य के शिक्षा अधिनियम पर निर्भर करता है । हमने पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में एक विधान लाने का अनुरोध किया था, परन्तु उसके पास इस चीज के लिये समय ही नहीं था। हमारा यह प्रयत्न होता है कि अध्यापकों की सेवाएं प्रयोग में लाई जायें । माननीय सदस्य का अन्तिम प्रश्न राष्ट्रीय बोर्ड बनाने के बारे में था । मैं इस बारे में पहले ही उत्तर दे चुका हूं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I may remind the Education Minister that in the National Integration Council meeting special emphasis was laid on the need to bring about uniformity in the pattern of primary education in the country.

So far as U. P. is concerned, I do not know whether the State Government has supplied correct information to the Education Minister or not. I have a copy of the order which the Deputy Secretary of U. P. Administration has sent to the Director of Education, U. P. on 2Ist August 1968. In that order the scales of pay of primary teachers in U. P. have been given as : Headmaster Rs. 75 pay and Rs. 40 D. A., Associate Teacher Rs. 70 pay and Rs. 40 DA. Untrained Teacher Rs. 50 pay and Rs. 40 DA. The Scale of teachers of Municipal schools is Rs. 50 pay and Rs. 30 DA. This is what the circular says.

U. P. is the only State in India where the primary teachers are paid so low a salary. The Kher Commission had recommended that the States should spend 10 percent of their income on primary education. But U. P. is the only State which spend only 6 percent on

primary education in the State. Thus the State spends about Rs. 14 crores less on primary education. If the centre's share is included in it, it will amount to Rs. 21 crores. If this amount of Rs. 21 crores more is spent on primary education in the State, the teachers can get their full share of pay. Government should comple the State Government to earmark 10 percent of its income for primary education so that the condition of primary teachers there may improve. Also the primary education should be taken over by the Government from the di t ict boards and municipal boards.

Shri Bhagwat Jha Azad : We have been pursuing the decisions taken in the meeting of the National Integration Council with the State Governments for their implementation.

The hon. Member is right when he says that the condition of primary teachers in U. P. i extremely miserable when compared to that of their counterparts in other parts of India. It is also correct that there a trained teacher gets Rs. 80 in the beginning. It rises to Rs. 100 and according to the decision recently taken it has been raised to Rs. 110. The salary of the headmaster has been raised to Rs. 115. The salary of a middle school teacher has also been raised to Rs. 115 and of his head to Rs. 120. However, many teachers there still get Rs. 80 only.

The States of Punjab and Haryana have introduced the pay scales for teachers without demanding any help from the Centre. For this additional resources are required. We hope that the Government which comes to power in U. P. after the mid-term elections will take some decision in this matter.

We cannot compel State Governments to earmark 10 percent of their income for primary education. But we shall make constant efforts to see that the State Governments spend more and more of their income on education.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पांचवें वित्त आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं संविधान के अनुच्छेद 281 के अन्तर्गत पांचवें वित्त आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उस पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2128/68]**

कांडला पत्तन न्यास और मरमागाओ पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित पत्र पुनः सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1966-67 के वार्षिक लेखे की

एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०–1837/68]

(2) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मरमागाओं पत्तन न्यास के वर्ष 1966–67 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2129/68]

भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, बम्बई आदि के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय प्रबन्ध संस्था अहमदाबाद के वर्ष 1967–68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय प्रौद्योगीकी संस्था, बम्बई के वर्ष 1967–68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2130/68]

(3) वर्ष 1967–68 के लिये भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण की एक-एक प्रति।

(4) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर के वर्ष 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(5) प्रौद्योगिकी संस्थायें अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर के वर्ष 1966–67 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०–2131/68]

(6) बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1198 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बिहार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (राष्ट्रपति का 1968 का अधिनियम, संख्या 24) जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–2132/68]

अत्यावश्यक सेवायें बनाये रखना अध्यादेश, विदेशी (रिहायश पर प्रतिबन्ध) आदेश आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(1) मैं अत्यावश्यक सेवायें बनाये रखना अध्यादेश, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) एस० ओ० 3286 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) एस० ओ० 3383 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2133/68]**

(2) विदेशी अधिनियम, 1966 की धारा 3क की उपधारा (2) के अन्तर्गत विदेशी (रिहायश पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1664 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2134/68]**

(3) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1768 में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2135/68]**

(4) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार) (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1568 में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2136/68]**

(5) शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1567 में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2137/68]**

(6) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1520 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1521 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) जी० एस० आर० 1522, जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में एक संशोधन किया गया।

(चार) जी० एस० आर० 1523, जो दिनांक 24 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया।

(पांच) जी० एस० आर० 1563, जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया।

(छः) जी० एस० आर० 1564, जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(सात) जी० एस० आर० 1565, जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(आठ) जी० एस० आर० 1566 जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया।

(नौ) जी० एस० आर० 1660, जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस के द्वारा भारतीय

प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दस) जी० एस० आर० 1661, जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया ।

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1962 में प्रकाशित हुये थे ।

(बारह) जी० एस० आर० 1703, जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया ।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1704 में प्रकाशित हुये थे ।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1705 में प्रकाशित हुये थे ।

(पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1767 में प्रकाशित हुये थे ।

(सोलह) जी० एस० आर० 1827, जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया ।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) छठा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1828 में प्रकाशित हुये थे ।

(अठारह) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) पांचवां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1829 में प्रकाशित हुये थे ।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 1830, जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968, की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(बीस) जी० एस० आर० 1831, जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम 1968 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(इक्कीस) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) तीसरा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1882 में प्रकाशित हुये थे ।

(बाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) तीसरा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1883 में प्रकाशित हुये थे ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी.-2138/68]

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचनायें

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : I beg to re-lay on the Table :

(1) A copy each of the following Uttar Pradesh Government Notifications under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 25th February 1968, as varied by Proclamation dated the 15th April, 1968, issued by the President in relation to the State of Uttar Pradesh :—

(i) The U P. Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 1967, published in Notificatian No. 2384 T/XXX-V-70P/61 in Uttar Pradesh Gazette dated the 16th September, 1967.

(ii) The U. P. Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. 2841 T/XXX-B-7P/66 in Uttar Pradesh Gazette dated the 16th December, 1967

(iii) The U. P. Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules 1967 (Hindi and English versions) published in Notification No. 496 T/XXX-B-2-P-61 in Uttar Pradesh Gazette dated the 16th December, 1967.

(iv) The U. P. Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 1 67, published in Notification No. 7110-T/XXX-B-85P-63 in Uttar Pradesh Gazette dated the 6th January, 1968. **[Placed in Library. See No. L. T.-1842/68]**

(2) (i) A copy of the U. P. Motor Vehicles (First Amendment) Rules. 1968, (Hindi and English versions) published in Notification No. 3049-T/XXX-B-88-P-68 in Uttar Pradesh Gazette dated the 10th August, 1968, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 25th February, 1968, as varied by Proclamation dated the 15th April, 1968, issued by the President in relation to the State of Uttar Pradesh.

(ii) A statement showing reasons for delay in laying the above Notification. **[Placed in Library. See. No. LT 2139/68]**

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEG

अध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र शर्मा ने सभा में 22 अगस्त, 1968 को दिये आपने भाषण को गलत रूप में प्रकाशित करने के कारण पटना के एक हिन्दी दैनिक 'आर्यवर्त' के विरुद्ध 26 अगस्त 1968 को विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठाना चाहा था। मैंने तब कहा था कि मैं इस मामले की जांच करूंगा। उस दैनिक पत्र के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक ने दिनांक 4 सितम्बर 1968 के अपने अलग अलग पत्रों में माननीय सदस्य के भाषण को गलत रूप में प्रकाशित करने के लिये सच्चे दिल से खेद व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि उन्होंने उक्त भाषण का वृत्तान्त हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित किया था।

इसके बाद मैंने सम्बन्धित समाचार एजेन्सी 'हिन्दुस्तान समाचार' से पूछा कि इस मामले में उन्हें क्या कहना है। हिन्दुस्तान समाचार के मुख्य समाचार सम्पादक ने 19 सितम्बर, 1968 के अपने पत्र में अन्य बातों के अतिरिक्त यह कहा, "किसी की निन्दा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। आप देखेंगे कि 23 अगस्त, 1968 के "आर्यावर्त" में माननीय सदस्यों के भाषणों का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया गया है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमें उपलब्ध इतने कम समय के तथ्य की ओर ध्यान दें। इस जल्दी में कभी-कभी कोई गलती हो जाती है, जबकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं होता है। 23 अगस्त, 1968 के "आर्यावर्त" में प्रकाशित उक्त समाचार में अनजाने में हुई गलती के कारण होने वाली भ्रांति का हमें बहुत खेद है। आपके निदेश देने पर हम आवश्यक स्पष्टीकरण दे देंगे जिससे पहले प्रकाशित हुये संक्षिप्त समाचार से उत्पन्न हुई भ्रांति दूर हो जाये।"

बाद में मेरे निदेश देने पर इस समाचार एजेन्सी ने 28 सितम्बर, 1968 को सभी गाहकों को आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर दिया और आर्यावर्त पटना ने 6 अक्टूबर, 1968 के अपने अंक में गलती के लिये खेद सहित श्री योगेन्द्र शर्मा के भाषण का सही रूप प्रकाशित कर दिया था। इसके बाद मैंने सभी सम्बन्धित कागजात विशेषाधिकार समिति को दिखा दिये थे, जिसने सिफारिश की कि अब इस मामले को समाप्त समझा जाये।

क्या मैं यह समझूं कि सभा इससे सहमत है।

माननीय सदस्य : जी, हां।

संसद-कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान्, 18 नवम्बर, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(आगे विचार तथा पास करना)

(2) जमा बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1968

(विचार तथा पास करना)

(3) दिल्ली तथा अजमेर किराया नियन्त्रण (नसीराबाद छावनी निरसन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(विचार तथा पास करना)

(4) मद्रास राज्य (नाम बदलना) विधेयक, 1968

(विचार तथा पास करना)

(5) भारतीय रेल (संशोधन) अध्यादेश, 1968 के निरनुमोदन के लिये श्री जार्ज फरनेन्डीज तथा अन्य सदस्यों द्वारा पेश किये गये संकल्प पर चर्चा ।

(6) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1968

(विचार तथा पास करना)

(7) रेलवे अभिसमय समिति, 1968 के गठन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा ।

(8) राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक, 1968

(विचार तथा पास करना)

(9) सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा ।

(10) **सोमवार, 18 नवम्बर, 1968 को 4 बजे म० प० पर** सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने पर देश में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी विवरण पर चर्चा ।

(11) नागरिक प्रतिरक्षा नियम, 1968 में रूपभेद करने के बारे में प्रस्ताव पर, जिसकी सूचना श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा दी गई, **बुधवार, 20 नवम्बर, 1968 को 4.30 बजे म० प० पर चर्चा** ।

अध्यक्ष महोदय : बाढ़ के बारे में एक वक्तव्य दिया जा चुका है और इसलिये हमने इस पर चर्चा के लिये सोमवार, 18 नवम्बर का दिन नियत किया था । लगभग सभी दलों के

नेताओं ने इस पर चर्चा को स्थगित किये जाने के लिये लिखा है । वे चाहते हैं कि इस सोमवार के स्थान पर अगले सोमवार को यह चर्चा हो, ताकि वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर सकें । चूंकि सभी दलों के नेताओं ने कहा है, इसलिये इसका निर्णय मैं सभा पर छोड़ता हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : माननीय मंत्री का वक्तव्य केवल उत्तरी बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के बारे में है । कुछ संसद सदस्य उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं । यदि उनके आने के बाद कोई विशेष बात हो, तो इस पर अग्रेतर चर्चा हो सकती है । पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है । उत्तरी बंगाल के बारे में सरकारी रिपोर्ट आ चुकी है । मेरे विचार में चर्चा स्थगित नहीं की जानी चाहिए ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : यदि साथी सदस्यों के आने तक अर्थात् 21 तारीख तक चर्चा स्थगित कर दी जाये, तो विशेष हानि नहीं होगी । यदि 22 नवम्बर को चर्चा हो, तो अच्छा रहेगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : लाखों लोग बेघर हो गये हैं । यह एक अविलम्बनीय महत्व का विषय है । वास्तव में 11 तारीख को ही इस पर चर्चा होनी चाहिये थी । हमें 18 तारीख को नियत चर्चा को स्थगित नहीं करना चाहिए ।

Shri Sheo Narain (Basti) : This issue was raised on 11th November when the House reassembled. What will people think of us, if you extend it further, In view of the miserise of the people we do not want to delay it any further.

श्री बलराज मधोक (दिल्ली–दक्षिण) : यह लाखों लोगों का प्रश्न है । सभी को इस पर चर्चा करके ठोस सुझाव देने चाहिये । जिनको क्रियान्वित किया जा सके । यदि हम बाढ़ के बारे में चर्चा नहीं चाहते, तो राजस्थान में अकाल के बारे में चर्चा होनी चाहिये । इन दोनों विषयों पर चर्चा स्थगित नहीं की जानी चाहिये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : उत्तरी बंगाल में भयंकर बाढ़ आई है । 40 दिन गुजर जाने के बाद भी हम इस गम्भीर संकट की ओर अपने राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके हैं । यदि सदस्य गण वहां जाने के इच्छुक थे, तो पिछले 40 दिनों में वे वहां जा सकते थे । मुझे तार और पत्र मिल रहे हैं कि भारत को क्या हो गया है कि उस क्षेत्र में इतना बड़ा संकट आया है, लेकिन तुम सरकार अथवा गृह मन्त्री का इस बारे में ध्यान आकर्षित नहीं कर सके हो । गृह मन्त्री ने न तो पश्चिम बंगाल के संसद् सदस्यों की और न ही परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई है । यह अविलम्बनीय महत्व का विषय है । इसे स्थगित नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री स० कुन्दू (बालसौर) : यह अविलम्बनीय महत्व का विषय है । इस पर तुरन्त चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं, इसीलिये मैंने इसे कार्य-सूची में रखा है । श्री द्विवेदी, श्री समर गुह और कुछ कांग्रेसी सदस्यों, सभी ने तुरन्त चर्चा की जाने की मांग की है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I had raised the issue of allotment of some time for discussion on the increasing military activities of China and Pakistan on our borders, in the committee on No-Day Yet-Named Motion and my suggestion approved as well. But there is no mentic n in the agenda declared for the next week. It may please be included in the next but one week if not in the forthcoming week. Secondly, I would be submit that that the clarification of Government's policy in respect Khan Abdul Ghaffar Khan to be laid on the Table as directed by the hon. Deputy Speaker, may please be expedited.

डा. राम सुभग सिंह : मेरे इस बात की ओर ध्यान दिया था कि माननीय सदस्य बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में यथाशीघ्र चर्चा चाहते है। उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए आपकी अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति ने ऐसा निर्णय किया। सभा जो निर्णय करेगी वह मुझे मान्य होगा।

I would request the hon. Deputy Minister of External Affairs to fulfil his assurance regarding Khan Abdul Ghaffar Khan. I can say about it only after discussing the matter with the Prime Minister.

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : संसद सदस्यों का एक दल उत्तर बंगाल जा रहा है, जिसमें सभी विरोधी दलों के सदस्य हैं, हम वास्तविक जानकारी चाहते हैं। नौकरशाही द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं करना चाहते हैं। यदि हम 22 तारीख तक चर्चा स्थगित कर दें तो क्या हो जायेगा ?

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : उत्तर बंगाल में हुई भयंकर हानि को ध्यान में रखते हुए इस पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए ताकि उसका कोई लाभ हो और उपयोगी सुझाव दिये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह मान लेता हूं कि यही कार्यक्रम रहेगा।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

दिल्ली विश्वविद्यालय को कोर्ट

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमो 2 के खण्ड (1) (XVI) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दे, उक्त परिनियम के खण्ड 1 के परन्तुक के अनुसार श्री बलराज मधोक के स्थान पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 के खण्ड (1) (xvi) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दे, उक्त परिनियम के खण्ड 1 के परन्तुक के अनुसार श्री बलराज मधोक के स्थान पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पुरःस्थापित किए गए विधेयक
BILLS INTRODUCED

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक
Indian Railways (Amendment) Bill

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker *in the Chair*** }

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Mr. Deputy Speaker, Sir, before I oppose the introduction of this Bill, I have a point of order, I would invite your attention to Rule 71(1) which reads as follows :—

"Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, these shall be placed before the House alongwith the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by ordinance."

It has been stated at S.No. 10 of the Order paper that such an explanatory statement has been laid on the Table on 11th November, 1968.

It would be noted that the hon. Minister has laid the statement under Rule 71(2) whereas an explanatory statement should have been laid alongwith the statement as required under Rule 71(1) as has been done in the case of item number 3 of to-day's order paper. In the present case the explanatory statement is to be laid on the Table alongwith the Bill. It has not been done. I want your ruling on this point.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म०प० के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः सममेत हुई।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at five minutes past fourteen of the Clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैंने नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल एक विधिक प्रश्न है । उन्होंने केवल तकनीकी गलती की है । वे विवरण सभा पटल पर रख चुके हैं । इसलिये यह आवश्यक नहीं है ।

Shri George Fernandes : I oppose the introduction of this Bill here. A number of cases filed by employees' unions of the Railways and railway employees challenging the validity of the ordinance being ultra vires of the constiiution are pending in the various High Courts of the country. My first submission is that during the pendency of these petitions no legislation replacing the said ordinance can be introduced in the House.

Next I will draw your attention to Articles 14, 19(b) and 21 of the Constitution. Article 14 reads as follows ;

"State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

The Bill being introduced by the hon. Minister violates Article 14 since the railway employees have been treated on a separate footing than the ordinary citizen of the country.

This Bill provides the following under clause 2, section 10(a) :

"If a railway servant when on duty is entrusted with any responsibility connected with the running of a train, rail-car or any other rolling stock from one station or place to another station or place and he abandons the duty before reaching such station or place, without properly handing over such train, rail-car or rolling stock to another authorised railway servant, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five hundred rupees or with both."

Suppose a railway employee is deputed to drive a train from Delhi and his normal duty expires at Agra and in case the driver who is to take over the train from him does not turn up at Agra, the former railway employee can be compelled to continue to run the train further till another drive takes over from him. Thus there is no equality before law in the present case as contemplated in Article 14 since no worker can be compelled to work for more than 8 hours under the labour laws and in case he has to work beyond the normal hours, he is required to be paid overtime.

There are sufficient provisions in the existing laws of the land such as Criminal Procedure Code, Indian Penal Code etc. to arrest, prosecute and punish any guilty employee. In view of these provisions relating to any amendment of the Railway Act to impose new restrictions on railway employees will be violation of Article 14.

Now we should see this amending Bill in the light of Article 19(1) (b) which gives to all citizens the right "to assemble peaceably and without arms." Every body has the right of "protection of life and personal liberty." No Government has authority to deprive people of this right. But this Bill is going to deprive the Railway employees of this right. Moreover, picketing cannot be banned under article 19(1)(b). Rule 72 is also in contravention of the Constitutional provisions.

Section 13 of the Indian Railways Act provides that any person, who commits any offence mentioned in sections 101, 108 etc., may be arrested without warrant or other written authority by any railway servant or police officer. It contravens the article 21 of the Constitution, which says that "no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law."

The third ground on which I would like to oppose the introduction of this Bill is the question of legislative competence. Under article 246 the Government is not competent to introduce this Bill. To sum up I can say that this Bill can be opposed on three grounds: namely, this ordinance had been challenged in the court: it is in contravention of articles 14, 19 and 21; and under article 246 the Government is not competent to introduce such a bill in the House. Hence, I oppose the Bill.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब भी सभा में यात्रियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार द्वारा यह उत्तर दिया जाता है कि यह शान्ति और व्यवस्था का मामला है, जो राज्य सरकार के अधीन होता है। शायद 19 सितम्बर की हड़ताल से उन्हें इस बारे में कुछ ज्ञान हुआ है और वह भी इसलिये कि उन्हें वास्तविक श्रमिक संघों की गतिविधियों पर रोक लगानी थी। जो बातें श्री फरनेन्डीज ने कही है मैं उन सभी का समर्थन करता हूं। केन्द्र कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन का अनुचित लाभ उठाना चाहता है और अपने बहुमत के आधार पर इस विधेयक को पारित करना चाहती है, यद्यपि केरल जैसे कई राज्य इसका विरोध करने वाले हैं।

मेरा यह निवेदन है कि यह विधेयक उस समय तक सभा के सामने न लाया जाये तब तक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उपरोक्त अध्यादेश पर अपना निर्णय न दे दें, और तब तक इस पर राज्य सरकारों का परामर्श प्राप्त नहीं हो जाता। दूसरा निवेदन यह है कि शान्तिपूर्ण पिकेटिंग पर प्रतिबन्ध न लगाया जाये। मेरा यह सुझाव है कि इस सभा के संतोष के लिए विधेयक को राय जानने के लिये उच्चतम न्यायालय या महान्यायवादी को निर्देश दिया जाये।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : इस विधेयक के माध्यम से जो कुछ किया जा रहा है, वह बहुत ही मामूली बात है। मानलो कि एक ड्राइवर दिल्ली से कलकत्ते के लिये गाड़ी लेकर चलता है और लखनऊ के पास जाकर किसी छोटे स्टेशन पर गाड़ी रोक कर स्वयं कहीं इधर-उधर चला जाता है। इस विधेयक के अनुसार ऐसे ड्राइवर को दंडित किया जायेगा। माननीय सदस्यों का यह कहना है कि ड्राइवर को इस प्रकार के कार्य के लिये दंडित नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु क्या ड्राइवर को यह हक कि वह गाड़ी में बैठे हुए एक हजार यात्रियों को किसी छोटे स्टेशन पर गाड़ी रोक कर दंडित करें। उन्हें उनके गन्तव्य स्थान पर न पहुंचाये। जहां तक संवैधानिक तथ्य की बात है, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 19

और 21 को उद्धृत किया है। यदि अनुच्छेद 19 को ही पूरा पढ़ें तो ज्ञात हो जायेगा कि उसी अनुच्छेद के खण्ड 3 और 4 में सरकार को वह शक्ति दी गई है जिसके अनुसार वह सार्वजनिक हित की रक्षा के लिये ऐसा कानून बना सकती है, जैसा कि यह विधेयक है अर्थात् अधिकारों पर भी सरकार उचित प्रतिबन्ध लगा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ड्राइवर पर ऐसी पाबन्दी लगाना कि वह किसी छोटे स्टेशन पर गाड़ी छोड़कर न चला जाये, सार्वजनिक हित में नहीं है। मेरे विचार से ड्राइवर पर ऐसी पाबन्दी लगाना उचित ही है। अतः मेरा यह निवेदन है कि यह विधेयक पूर्णतः संवैधानिक है।

श्री रा० द्वो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें महत्वपूर्ण हैं, जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। पहली बात यह है कि अध्यादेश को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। और ऐसी स्थिति में क्या सरकार भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन कर सकती है। दूसरी बात यह है कि इस अधिनियम में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। तीसरी बात यह कही गई है कि क्या अपराधियों से निपटने की शक्ति सरकार को दी जा सकती है अथवा नहीं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस सम्बन्ध में जितनी बातें कही गई हैं, उन सबका उत्तर श्री महाजन और श्री भण्डारे दे चुके हैं। मुझे एक दो बातें और कहनी हैं। वर्तमान रेलवे अधिनियम की धारा 131 के अनुसार सरकार को ऐसा विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस विधेयक द्वारा वर्तमान अधिनियम में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी जा रही हैं। यह बिल्कुल नया विधान नहीं है। जहां तक पिकेटिंग या सत्याग्रह करने का सम्बन्ध है, वह सार्वजनिक स्थान पर किया जा सकता है। रेलवे की पटरियों या रेलवे की सम्पत्ति पर सत्याग्रह करना कहां तक उचित है। यात्रियों की सुविधाओं या उनकी रक्षा की दृष्टि से भी यह वांछनीय है कि रेलगाड़ियां ठीक प्रकार से चलें। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह विधेयक लाया गया है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आप सभा में उपस्थित नहीं थे और आपने तर्क क्रम नहीं सुना है, अतः आपको अवसर नहीं दिया जायेगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : यह राज्य सूची का विषय है। पुलिस राज्यों का विषय है, जिसमें रेलवे पुलिस भी सम्मिलित होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधान बनाने सम्बन्धी योग्यता के बारे में जो आपत्तियां उठाई गई हैं, उन सबको मैं रद्द करता हूं। अब इस प्रश्न पर मत होगा।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 86		विपक्ष में 32
Ayes 86	:	Noes 32

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक
Delhi High Court (Amendment) Bill

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं इसका विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने इस सम्बन्ध में मुझे पहले से सूचित किया होता तो आपको अब अवसर दिया जा सकता था, अन्यथा नहीं । मुझे खेद है .....

प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE BILL-Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करेंगे । कल महान्यायवादी का प्रश्न सामने आया था । मैं पहले श्री दनर्जी का पहला प्रस्ताव पढ़ूंगा और फिर दूसरा । उन पर मतदान पृथक-पृथक होगा । पहले प्रस्ताव का पाठ निम्न प्रकार है :

"कि लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली का नियम संख्या 338 के कार्यान्वयन को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968, राज्य सभा

द्वारा पारित रूप में, पर वाद विवाद समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव के सन्दर्भ में निलम्बित कर दिया जाये ।"

यदि उपरोक्त प्रस्ताव सभा में पारित हो जाता है तो फिर सभा के सामने दूसरा प्रस्ताव रखा जायेगा । दूसरे प्रस्ताव का पाठ निम्न प्रकार है ।

"केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पर वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाये, जिससे भारत के महान्यायवादी से तत्सम्बन्धी संवैधानिक पहलुओं पर सभा में भाषण देने के लिये अनुरोध किया जा सके ।"

Shri George Fernandes : I have a point of order in this connection. In accordance with the Rule No. 338 there is no need of putting the first Motion to vote. As a matter of fact it is the Motion No. 2 which needs to be brought before the House for discussing any voting. I think, you read the Motion No, 2 is hurry and understood it is a request and sent it to the Government. I would like that it should be brought before the House. Shri Shakdher is the Secretary of the House. I have a book written by him. He has written in his book that Members may give notice of motion asking the Attorney-General to be present in the House in connection with a certain Bill or Business before the House. Such notices are admitted and it is for the House to take a decision thereon. In that regard, Shri Shakdher has given anintation i. e. "Lok Sabha Debates, 12.3.54 and 1.5.1954."

During the last Lok Sabha the Attorney General was called to address the House on two or three occasions. He addressed the House when the Compulsory Deposits Scheme was introduced in 1963. He was also called [when Preventive Detention Bill was discussed to address the House. I, therefore, submit that the House has the right to call the Attorney General to address the House.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सभा की कल की कार्यवाही देखने की कृपा करें । माननीय सदस्य श्री देवन सेन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968 पर चर्चा स्थगित की जाये । माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव की सूचना बहुत पहले दी थी । इस सम्बन्ध में नियम 336 बहुत स्पष्ट है । सभा ने कल निर्णय कर लिया था अतः यह ग्राह्य नहीं है ।

इस अवस्थान पर यदि मैं नियम को निलम्बित किये बिना भी माननीय सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे दूं तो आगे की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

Shri George Fernandes : Had this motion been brought with the motion of hon. Member Shri Deven Sen or one hour after it and had both the motion been brought in the form of amendments, the discussion could have been adjourned. Sir, the motion of Shri S. M. Banerjee could have been taken after the motion of Shri Deven Sen is defeated. Rule 388 says : A motion shall not arise a question substantially identical with one or which the House has taken a decision in the same session." The House has not given its verdict on the question of calling the Attorney General to address the House, Had the House given its verdict and the motion to call the Attorney General been rejected and had the motion been brought again only then the question of suspending of rule would have arised. But this is not the case here.

श्री दत्तात्रय कुण्टे (कोलाबा) : प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि महान्यायवादी को किसी अवस्थान पर इस सभा में अपनी राय व्यक्त करने के लिये बुलाया जा सकता है अथवा नहीं। हो सकता है कि कल हमने इसकी आवश्यकता नहीं समझी थी। किन्तु आज सभा समझती है कि महान्यायवादी को सभा में आने को कहा जाये तो भी यह ठीक है और महान्यायवादी यहां आ सकते हैं। इसके लिये इस नियम को निलम्बित करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कल कोई भी निर्णय किया गया हो अथवा नहीं। यह प्रस्ताव बड़ा स्पष्ट है। इसे किसी भी अवस्थान पर उठाया जा सकता है। यदि सभा चाहे तो वह महान्यायवादी को विधेयक के तीसरे वाचन के समय बुला सकती है।

मैं समझता हूं कि दोनों नियमों को एक साथ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कहा है कि यह एक सुझाव है और आपने उसे सरकार के पास भेज दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि सभा ने इस पर विचार नहीं किया। अतः यह बात पहली बार सभा के सामने आई है। मैं इस बात को दोहराता हूं यह किसी भी अवस्थान में लाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक चर्चा स्थगित न की जाये तब तक इतने कम समय में महान्यायवादी को सभा में आकर इस प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए कैसे कहा जा सकता है ?

श्री दत्तात्रय कुण्टे : दोनों सभाओं के कार्यवाही वृतांत को देखकर यह स्पष्ट हो जायेगा कि जब कभी भी महान्यायवादी को सभा में आकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया, उन्होंने यहां आकर अपने विचार व्यक्त किये। यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि जब तक महान्यायवादी अपने विचार व्यक्त न करलें तब तक के लिये कार्यवाही स्थगित की जाये। महान्यायवादी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या इस अवधि में चर्चा जारी रखी जाये।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि भारत के महान्यायवादी को इस विधेयक के कुछ संवैधानिक पहलुओं पर सभा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के महान्यायवादी को इस विधेयक के कुछ संवैधानिक पहलुओं पर सभा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 50		विपक्ष में 79
Ayes 50	-	Noes 79

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion negatived

15.00 बजे जब विभाजन की घण्टी बज रही थी, एक दर्शक ने दर्शक दीर्घा से सभा के फ़र्श पर कुछ कागज फेंके

At 15.00 hours when the Division Bell was ringing one visitor threw some papers from the Visitors Gallery on the floor of the House

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. THIRTY EIGHTH REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से, जो 13 नवम्बर, 1968 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से, जो 13 नवम्बर, 1968 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

पुरःस्थापित किए गए विधेयक

BILLS INTRODUCED

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

गन्दी बस्ती (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक

Slum Areas (Improvement and Clearance) Amendment Bill

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
(प्रथम अनुसूची का संशोधन)
Constitution (Amendment) Bill
(Amendment of the First Schedule)

श्री भोलानाथ मास्टर : (अलवर) मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री भोलानाथ मास्टर : मै विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 421 का संशोधन)
Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill
(Amendment of Section 421)

श्री आ०ना० मुल्ला (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री आ० ना० मुल्ला : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संसद् पुस्तकालय विधेयक
Parliament Library Bill

श्री दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद् के लिए एक आधुनिक तथा बड़ा पुस्तकालय बनाने के लिये उपबन्ध करने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद के लिये एक आधुनिक तथा बड़ा पुस्तकालय बनाने के लिये उपबन्ध करने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

नगर विमानन (लाइसेन्स देना) विधेयक
Civil Aviation (Licensing) Bill

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय उड़ानों के लिये लाइसेंन्स की व्यवस्था करने तथा वायु निगम अधिनियम, 1953 की संगत धाराओं के निरसन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय उड़ानों के लिये लाइसेन्स की व्यवस्था करने तथा वायु निगम अधिनियम 1953 की संगत धाराओं के निरसन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विदेशी (संशोधन) विधेयक
(धारा 3 का संशोधन)
Foreigners (Amendment) Bill
(Amendment of Section 3)

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the foreigners, Act, 1946.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी अधिनियम, 1946 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Jagannath Joshi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 75, 164 आदि का संशोधन)
Constitution (Amendment) Bill
(Amendment of Articles 75, 164 etc.)

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Kameshwar Singh : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
(प्रथम अनुसूची का संशोधन)
Constitution (Amendment) Bill
(Amendment of First Schedule)

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Maharaj Singh Bharati : I introduce the Bill.

राजनीतिक दल लेखा प्रकाशन विधेयक
Publication of Political Party Accounts Bill

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा वार्षिक लेखे के अनिवार्यता प्रकाशन के लिये अनुबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा वार्षिक लेखे के अनिवार्यतः प्रकाशन के लिए अनुबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भैंस विकास बोर्ड विधेयक
Buffaloes Development Bill

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : I beg to move for leave to introduce a Bill to set up a Board for development of buffaloes.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : यद्यपि यह इस सभा की परम्परा नहीं है तथापि मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय - मैंने अभी निर्णय दिया है कि बिना पूर्व सूचना के सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी । मैं इस नियम में परिवर्तन नही कर सकता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि भैंसों के विकास के लिये एक बोर्ड स्थापित नरने सन्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Maharaj Singh Bharati : I introduce the Bill.

भारत का विद्युत प्रजनन निगम विधेयक
Power Generating Corporation of India

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : I beg to move for leave to introduce a Bill to establish a Corporation for generating electricity.

उपाध्यक्ष महोयय : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत प्रजनन के लिए एक निगम स्थापित करने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Maharaj Singh Bharati : I introduce the Bill.

उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक
Enlargement of the appeliate (Criminal) Jurisdiction the Supreme Court

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार सम्बन्धी विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार सम्बन्धी विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री आ० ना० मुल्ला : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
Gorakhpur University (Amendment) Bill

श्री राजदेव सिंह (जोनपुर) : मै प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री राजदेव सिंह : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी कर्मचारी (फीस प्राप्ति) विधेयक
GOVERNMENT SERVANTS (RECEIPT OF FEE) BILL

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provided for the receipt of fee by Government servants for work not connected with their duty as Government servants.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों से असम्बद्ध कार्य के लिये उनके द्वारा फीस की प्राप्ति के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

Shri George Fernandes : I Introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 130 का संशोधन)
Constitution (Amendment) Bill
(Amendment of artice 130)

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करनेवाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Yashpal Singh: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
(सातवीं अनुसूची का संशोधन)
Constitution (Amendment) Bill
(Amendment of Seventh Scheduled)

Shri Yashpal singh (Dehra Dun) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Yashpal singh : I introduce the Bill.

राजद्रोह विधेयक—जारी
TREASON BILL-Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रीयशपाल सिंह द्वारा 9 अगस्त, 1968 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर विचार करेगी :

"कि राजद्रोह के दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दण्ड तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को इस पर 31 दिसम्बर, 1968 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

श्री शिवनारायण अपना भाषण जारी रखें । हमारे पास 1 घंटे और 46 मिनट का समय है । मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय कितना समय लेंगे ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : लगभग 10 मिनट ।

Shri Sheo Narain (Basti) ; Mr. Deputy Speaker, I agree with this view of the mover of this Bill that stringent action should be taken against the persons who are guilty of treason. It is a very timely measure. Today the country is faced with danger of attack on our borders and we have to defend ourselves. Treason is the greatest crime throughout the world. The Government should not show any leniency to them otherwise the country will go to dogs.

[**श्री रा० दो० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare *in the Chair.*]

Infiltrators are active in various parts of the country. Government should take note of these elements. I appeal to the University students and the youths of this country to unite and deal with these elements.

Today the agents of unfriendly countries are operating in various parts of the country for our enemy. They get huge amounts of money from those countries. The Government should curb their anti-national activities with a strong hand otherwise the unity of the county will be endangered.

I appeal to the capitalists to give money for the defence of the country in the time of need.

With these words I support the Bill.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Mr. Chairman, I congratulate the mover of this Bill, Shri Yashpal Singh for having brought forward this Bill. Today the country is faced with a danger from outside as well as from certain elements within the country. China and Pakistan are the permanent enemies of India. So far as the danger from outside is concerned India can face it effectively. But our main concern is about the internal danger which is from people who indulge in anti-national activities. Our history is the evidence of this fact that only one Jai Chand had completely changed the history of India. But today huudreds of Jai Chands are in our country whose loyalty to India is very much doubtful and who have been working as agents of other countries. They have been trying to create troubles in the country under the pretext of language, religion or regional interests. These people have been able to have an entry into the Government circles with the results that many of our secrets have been systematically passed to Pakistan and China. We had seen several examples of this kind during the Chinese attack, 1962 and Indo-Pak conflict in 1965. These are the real enemies of the country and they should be dealt with a strong band.

With these words I fully support this Bill.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य इस विधेयक को लाने के लिये बधाई के पात्र हैं । यह विधेयक अपने आप में पूर्ण है । माननीय प्रस्तावक ने इस में अनेक बातों की स्पष्ट परिभाषा दी है, उदाहरणार्थ शत्रु शब्द की स्पष्ट और उपयुक्त परिभाषा दी गई है । देश का रहस्य शत्रु को पहुँचाने वाले देश के सबसे बडे शत्रु हैं । इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई है ।

यहां पर यह स्पष्ट कर देना भी उचित है कि शत्रु का एजेन्ट कौन है । सरकार ने चीनी दूतावास को कहा है कि किसी भारतीय को सीधा निमंत्रण न भेजा जाये । किन्तु हमारी इस प्रार्थना के बावजूद भी चीनी दूतावास कुछ लोगों को सीधा निमंत्रण देकर अपने यहां बुलाता है और आमंत्रित लोग चीनी दूतावास में जाते हैं । मैं नहीं कहता कि वे शत्रु के एजेन्ट हैं, किन्तु वे ऐसा कार्य करते हैं जो कि देश के हित में नहीं है ।

हम प्रतिदिन समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि भारत और चीन के बीच बात चीत होने वाली है । किन्तु मैं नहीं समझता कि बातचीत कैसे हो सकती है जब कि कोलम्बो प्रस्तावों को एक तरफ रख दिया गया है । जो लोग हमारे शत्रु देशों के सम्पर्क में हैं, उन्हें देश की गोपनीय बातें शत्रु तक पहुंचाने के लिये उत्तरदायी समझा जाना चाहिए ।

कार्यालयों में अनेक गोपनीय फाइलें गुम पाई जाती हैं, किन्तु पता नहीं लगता है कि इस के लिये उत्तरदायी व्यक्ति कौन हैं ? इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं । अभी हाल में एक माननीय सदस्य के हाथ में प्रधान मंत्री द्वारा अपने सचिव को लिखा गया एक गोपनीय पत्र आया था । उन माननीय सदस्य का कहना है कि वह कोई भी पत्र प्राप्त कर सकते हैं । मंत्रिमंडल में जो कुछ भी निर्णय किये जाते हैं उनके बारे में जनता को समय से पूर्व ही पता चल जाता है ।

हम तोड़-फोड़ करने वाले लोगों के बीच में रह रहे हैं। यही लोग देश के बड़े शत्रु हैं। जो लोग देश की गोपनीय बातें शत्रु तक पहुँचाते हैं और जो लोग देश में तोड़-फोड़ करके देश की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं समझता हूं कि अभी तक देशद्रोह के बहुत कम मामलों में कार्यवाही की गई है, क्योंकि हमारे कानून सम्बन्धी प्रक्रिया में बहुत कमी है। इस कमी को दूर करने के लिये माननीय सदस्य ने इस विधेयक में जो व्यवस्था की है वह बहुत अच्छी है। हमें एक न्यायाधिकरण की व्यवस्था करनी चाहिए जो कि इन मामलों का निर्णय करे।

तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के बारे में निर्णय करने के लिये विधेयक में उच्चत्तम न्यायालय के स्तर के न्यायाधीशों की एक तालिका की व्यवस्था की गई है। हमारे समाज में हमारी राजनीति में जो अनेक बुराइयां आई हैं वे इस विधेयक के पारित हो जाने पर काफी सीमा तक दूर हो जायेंगी। अत : मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और इसे सभी ओर से समर्थन मिलना चाहिए।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : इस समय इस प्रकार के विधान की कतई आवश्यकता नहीं है। मेरा तो इस विषय पर बोलने का विचार भी नहीं था परन्तु श्री त्यागी के भाषण ने मुझे बोलने के लिये मजबूर कर दिया है। उन्होंने इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं जो कई सौ वर्ष पुराने हैं। इस प्रकार के विधेयक के समर्थन के नाम पर यदि कोई सदस्य कह सकता कि इस देश के करोड़ों लोग इस देश के प्रति निष्ठावान नहीं है, उनकी निष्ठा किसी अन्य में है और वे देश द्रोही समझे जाने चाहिये।

Shri Om Prakash Tyagi : No, no; I did not say so, I only said that I am against that person who lives in this country, eats here but conspires against the country, whether that communist is a Hindu, Mohammedan or a Christian or anybody else he is a traitor.

श्री वासुदेवन नायर (विरमाडे) : मुझे तो अनुवाद पर निर्भर करना पड़ता है। हममें इतनी अक्ल है कि हम लोगों की बात समझ सकते हैं। खैर, यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो मुझे खुशी है।

इस समय ऐसे विधान की कतई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों से जो राज्य विरोधी कार्य करते हैं निपटने के लिये हमारे पास पर्याप्त विधियां है। यदि किसी दल विशेष से संबंध रखने वाले, किसी विशेष विचारधारा में आस्था रखने वाले या किसी विशेष क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति को शत्रु या शत्रु का एजेन्ट करार दिया जाता है तो यह बहुत ही अनुचित और आपत्तिजनक है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से देश को तथा देश के एकीकरण के सिद्धान्त को बहुत आघात पहुँचता है। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारा देश बहुभाषी तथा बहुधर्मी है।

Shri Rabi Ray (Puri) : The Bill as it is, cannot be supported. The statement of Objects and Reasons says :

"The Bill seeks to provide for penalties for activities like treason, sabotage etc., aimed at overthrowing the lawful Government through means other than constitutional,

thereby weakening the Indian nation in its efforts to thwart the evil intentions of the enemy."

The Bill also seeks to penalise those who indulge in activities prejudicial to the defence and interest of the country. To act against the nation and against the Government are two different things. We must draw a line between the two. Our party has all the love for the Nation and the country but is opposed to the present Government. This Bill, if passed as it is, will give a handle to the Government to act against those who oppose it. Such a power must not be given to the Government.

So far as the security of our borders is concerned, we are one with the mover that a person, who works in a manner prejudicial to the defence of the country, must be dealt with effectively.

The Central Government termed the strike by the Central Government employees as an act of sabotage. This word 'sabotage' has been used in this Bill also. We have no faith in this Government. So, I cannot lend any support to a measure which is wholly unnecessary, particularly when there are already enough laws to deal with persons indulging in anti State activities.

श्री समर गुह (कनटाई) : आज देश को बाहर से ही नहीं, अपितु अन्दर से भी खतरे की आशंका है ; देश के भीतर पंचमांगियों से अधिक गम्भीर खतरा है, विशेषकर जबकि हम दो शत्रु देशों से घिरे हुए हैं ।

देश के उत्तरी भाग में भीतरी खतरा इतना गम्भीर हो गया है कि उसका सामना करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है । जब चीन ने हम पर आक्रमण किया तो एक अखिल भारतीय दल ऐसा था जिसने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा करने से इन्कार कर दिया था कि चीन ने भारत की सीमा पर आक्रमण किया है । हाल ही में पश्चिम बंगाल साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के मन्त्री ने गोहाटी में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे कुछ स्थान प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान या चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के लिये तैयार नहीं है यह भी कहा गया है कि मिजों तथा नागाओं का संघर्ष हमारा संघर्ष है। नक्सलबाड़ी गुट के एक नेता ने सार्वजनिक तौर पर यह वक्तव्य दिया है कि यदि पश्चिम बंगाल में उनके साथियों को चीन से हथियार सप्लाई किये जाते हैं तो देश में अपने ढंग से क्रान्ति लाने के लिये वे उन्हें स्वीकार करने में संकोच नहीं करेंगे । इन सब बातों से स्थिति की गम्भीरता सिद्ध हो जाती है । ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि हम ऐसा विधान बनायें जिसके अन्तर्गत राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध कारगर कार्यवाही की जा सके ।

हालांकि इस विधेयक की शब्दावली में थोडे बहुत परिवर्तन की गुंजाइश है, फिर भी मैं इसकी भावना से सहमत हूं और इसके परिचालित किये जाने का समर्थन कर रहा हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The country today is really in danger not only from external aggression but internal aggression as well. Unfortunately, the Government have never tried to realise the gravity of the situation with the result that the danger has now increased manifold. The Bill seeks to penalise persons who indulge in activities prejudicial to the defence and interest of the country and as such it desaerves generous support of the House.

In certain parts of the country activities of certain sections of the people are anti-national. In Srinagar, photographs of President Ayub Khan have been put up in public places. Slogans like 'Pakistan Zindabad' are also heard in Kashmir. Activities of Sheikh Abdullah are also objectionable. He recently organised a conference and a great leader of our country presided over that . Great publicity was given to the utterances made at that conference. Sheikh Abdullah is not even prepared to accept that he is a citizen of India. But the Central Government is sleeping over these activities and is not taking any action against the anti national elements.

Let us take Nagaland. A parallel Government is being run by the hostile Nagas. But our Government is sitting silent over the activities of Naga hostiles and is doing nothing to curb them.

In Kerala, there are some people who have extra territorial loyalties. Government has been a silent spectator of the activities of these people. Stern action should be taken against these people who have no faith in parliamentary system of Government.

Government should take steps to ensure the safety of loyal citizens and deal sternly with elements not loyal to this country.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम) : देश-द्रोह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में कोई धारा नहीं है । यह एक बड़ी भारी खामी है और इसे पूरा किया जाना चाहिये ।

हम जो शपथ लेते हैं उसमें भी हम संविधान के प्रति ही अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं, देश के प्रति नहीं । उसमें 'देश' शब्द जोडा जाना चाहिये । हमें संविधान तथा देश दोनों के प्रति निष्ठा होनी चाहिये ।

विधेयक में बताया गया है कि 'देश-द्रोह' का अर्थ असंवैधानिक तरीकों से वैध सरकार को गिराने का दुस्साहस है । परन्तु मैं नहीं जानता कि संवैधानिक तरीके क्या हैं तथा असंवैधानिक तरीके क्या हैं ? क्योंकि जो हड़ताल 13 सितम्बर तक वैध थी वह एक ही रात में अध्यादेश जारी करके अवैध करार दे दी गई । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाये ।

विधेयक के पीछे जो भावना है वह बड़ी सराहनीय है । परन्तु इसकी शब्दावली पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिये । 'शत्रु', 'प्रभुसत्ता', 'अखण्डता' और 'देश की सुरक्षा' आदि शब्दों की सही-सही परिभाषा की जानी चाहिये । यदि सरकार स्वयं इस विषय पर कोई व्यापक विधान प्रस्तुत करे तो बेहतर होगा ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) ; Sir, I welcome the hon. Member who has introduced this Bill. In case there is any lacuna in the law to punish the traitor then that lacuna must be removed. The traitor must get punishment. But at the same time I would like to say that we should not dub any person a traitor if he believes in a particular ideaology. We should not dub communists as traitors simply because they believe in a particular ideaology. We should not call persons as traitors simply by imagination.

During the speeches of some Members a reference was made to Jammu and Kashmir They also made a reference to the activities of Sheikh Abdullah. It is not good on our

part to call Sheikh Abdullah a traitor. They should not forget this thing that when they were not even born he was the hero of struggle for independence. When none of them was in jail he was rotiuing in jails. Even now eighty per cent population of Jammu and Kashmir is behind him. They are not behind any body else Therefore it is my humble submission that we all should see what is the reality.

At the end I would like to say that we should try to make Jammu and Kashmir convention a success. We should understand the spirit of the convention and see that the relations of India and Kashmir are not united. We should also try to understand properly the resolution passed by that convention. We should also try to win over Sheikh Abdullah and the hearts of the poeple of Jammu and Kashmir

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : No body can deny the fact that there are anti-national elements in our country. This thing can be seen by going through the newspapers. You must have read in the newspapers that Pak. made arms were found from the decoits in Madhya Pradesh. You must have also read in the newspapers that Chinese Embassy is distributing money in Kerala to some persons on the pretext of sale of books and you must have also seen that Chinese embassy is distributing Chinese literature in our country. This thing also might have been heard by you that when there was no success in Naxalbari case then it was said that they had no arms. Not only that, China made arms have also been found from Nagas. It is also true that some persons are taking training in China on behalf of Nagas. Therefore in order to apprehend such persons or to punish them or to check this sort of tendency the world treason should find a place in our legislation I would urge the Government to give a proper place to this word of Shri Yashpal Singh and assure him that an amending Bill will be brought in the Parliament in this connection

There must be such wording in the legislation that such persons who try to encourage revolt in the country will be punished heavily. There is no doubt in it that Sheikh Abdullah was our great leader once but now he is indulging in such activities which are prejudicial to the interests of our country. Hence he must be punished.

At the end I would again request the hon. Minister to give an assurance to Shri Yash pal Singh that he would bring forth a suitable amending Bill to deal with treason.

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मैं इस विधेयक पर बहुत कम बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जिन वक्ताओं को सुना है उससे मुझे गलत फहमी अधिक से अधिक हुई है तथा जानकारी कम मेरी सब से पहली बात तो यह है कि किसी ने भी इस विधेयक की आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं कहा है । भारतीय दण्ड संहिता में एक से अधिक धाराओं में राजद्रोह का उपबन्ध है । इस में अधिक से अधिक दन्ड देने का भी उपबन्ध है जहां पर वह देना जरूरी हो ।

इस विधेयक के बारे में मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि इसमें दण्ड की व्यवस्था बहुत अधिक है । मृत्यु दण्ड की बात करना बहुत आसान होता है परन्तु मृत्यु दण्ड का कानून इतना आसान नहीं होता है जितना यह सभा समझती है । मृत्यु दण्ड बहुत गम्भीर परिस्थितियों में दिया जाता है न कि इस सन्देह पर कि कोई व्यक्ति शत्रु का एजेन्ट है अथवा उसने देश के विरोध में षड़यन्त्र किया है । सभा को यह बात याद रखनी चाहिए कि जितना दण्ड अधिक होगा उतना ही वह कम दिया जा सकेगा । कानून को असफल बनाने का केवल यही तरीका है कि उसमें इतना अधिक दण्ड रखा जाए कि कोई भी व्यक्ति दोषी व्यक्ति की सहायता करना चाहे । इस विधयक में यही बड़ी त्रुटि है ।

तीसरी बात मैं उच्चतम या उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के बारे में कहना चाहता हूँ। यह बात मेरी समझ के बाहर है कि सरकारी कार्यालय में काम करने वाले यक्ति पर मुकद्दमा चलाने के लिए तीन न्यायाधीश सिफारिश करने के लिए होने चाहिए। दूसरे, यदि सिफारिश करने के लिए तीन न्यायधीश होने चाहिये तो मामलों की सुनवाई करने के लिए कितने न्यायाधीश होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री का विचार ऐसी व्यवस्था से था।

एक बात कुछ समुदायों तथा अल्प सख्यकों की देश भक्ति के बारे में भी कही गई थी। अतः मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य को बताना चाहता हूं कि देश भक्ति पर किसी समुदाय का एकाधिपत्य नहीं है। मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष में जिन व्यक्तियों ने अपना जीवन निछावर कर दिया था वे मुस्लिम, ईसाई और आंग्ल भारतीय थे। हम उतने ही देशभक्त हैं जितना आप में से कोई हो सकता है।

डा० रानेन सेन (बारहमाट) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इस विधेयक की ऐसी भाषा है जिसे निरर्थक कहा जा सकता है। "शत्रु एजेन्ट' शब्दों की बड़ी व्याख्या की गई है। हम ने इसी सभा में देखा है कि एक दल दूसरे व्यक्ति को चीन के एजेन्ट तथा दूसरे को रूस के एजेन्ट तथा किसी ओर को अमरीका के एजेन्ट से पुकारते हैं। अतः यदि वह विधेयक पारित हो गया तो सरकार अपने प्रतिद्वन्दियों को हर प्रकार से समाप्त करने का प्रयत्न करेगी। यह एक गलत तरीका होगा।

इसके बाद (सेबोटेज) का प्रश्न आता है। इस विधेयक में दी गई परिभाषा के अनुसार 'सेबोटेज' का अर्थ है तोड़फोड़ की कार्याबाही अथवा सरकारी सम्पत्ति या भारत के किसी नागरिक की ऐसी सम्पति, जिने महत्वपूर्ण समझा जाए, को नष्ट करने का प्रयत्नआदि'। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किन्ही भी विचार से किसी भारतीय की सम्पति पर हाथ रखता है तो वह राजद्रोह अधिनियम के अन्तर्गत आ जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि इस विधेयक में हल्के शब्दों का प्रयोग किया गया है।

हम सब इस सदन में लोकतन्त्र की बात करते हैं, परन्तु विधेयक में बिना वारंट के ही गिरफ्तारी करने की व्यवस्था की गई है। अतः यह बहुत खराब विधेयक है और मैं इसका विरोध करता हूँ।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I think Shri Yashpal Singh for having introduced this Bill in the House. The objects of this Bill are very good though there may be shortcomings in its clauses.

The object of this Bill is to punish only such persons who are enemies of the country, who are not loyal to the country and who are indulging in activities which are prejudicial to the interests of the nation. Immaterial of the fact to whatever community they may belong to. Just now our friend Shri Vasudev. n Nair has expressed his suspicion that this Bil has been brought against the communists. Sir, through you I want to say them that no body will be penalised simply because he believes in a particular ideology. As for as the ideology of the communists, who are loyal to the country, who are hand-spun and hand wovers communists, is concerned we have full respect for that and we are not opposed to

it. But those communists who have extra territorial loyalties they must be dealt with very severely.

As I have already said our Jawans are very brave, very courageous and they can face the enemies on the borders in a benefitting manner. But we have fear of internal disturbances. It is just possible that at the time of foreign invasion such people may create internal disturbances. Thus we have to safeguard ourselves from such anti - national elements who are inside our country. That is why this Bill has been brought so that such anti-national elements must be punished.

श्री हुमायून कबिर : मैं इस विधेयक का इसलिये समर्थन करता हूँ क्योंकि यह प्रस्ताव केवल उसे परिचालित करने के लिये है। वास्तव में यह विधेयक इस सभा में तो परिचालित हो ही गया है क्योंकि इसकी एक प्रति सब को बांट दी गई है। इसलिये इसको अन्य स्थानों पर परिचालित करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

इस विधेयक के बारे में मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि देश-द्रोह करने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये परन्तु कानून की विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद। हमारे संविधान ने सब को मूलभूत अधिकार दिये गये हैं इसलिये उन अधिकारों के प्रति हस्तक्षेप करने से पहले हमें हर बात पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिये। किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का आरोप लगाने से पहले हमें हर चीज की अच्छी तरह से परीक्षा कर लेनी चाहिये। हमने विगत काल में देखा है कि देशभक्तों पर भी कई बार देशद्रोह का शक किया गया है। आप शेख अब्दुल्ला का ही उदाहरण ले लीजिये। मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति उनकी देशभक्ति, उनकी मानवता तथा भारत की स्वतन्त्रता के लिये जो यातनायें उन्होंने सहन की उनके बारे में प्रश्न करता है। मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति इतिहास को गलत साबित करने का प्रयत्न करता है। इसलिये किसी को देशद्रोही कहने से पहले हमें बहुत सावधान रहना चाहिये। यदि आरोप लगाया भी जाये तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी कानूनी प्रक्रियायें पूरी हो गई हैं तथा सम्बन्धित व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूरा मौका दिया गया है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : 16 वर्ष की स्वतन्त्रता की अवधि में हमारे देश को दो विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। विदेशी आक्रमण से रक्षा के अतिरिक्त हमें देश में विद्यमान राष्ट्र-विरोधी तत्वों से भी देश की रक्षा करनी है। यह विधेयक प्रस्तुत करने में श्री यशपाल सिंह की भावना का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन हमें यह विचार करना है कि क्या हमें ऐसी बातों के लिये पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं अथवा नहीं। इनके लिये भारतीय दण्ड संहिता और राजकीय रहस्य अधिनियम हैं तथा गैर-कानूनी गतिविधि निरोध विधेयक पारित करना विचाराधीन है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी भारत सरकार के विरुद्ध आक्रमण करता है अथवा ऐसा प्रयास करता है अथवा इसमें सहायता करता है, उसे मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है और अर्थदण्ड भी दिया जा सकता है। हमने नये विधेयक में भी मृत्यु दण्ड का प्रस्ताव रखा है। 1967 में राजकीय रहस्य अधिनियम का संशोधन किया गया था और उसके अन्तर्गत जासूसी आदि के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था है। गैर-कानूनी गतिविधि निरोध विधेयक,

जिसके बारे में प्रवर समिति का प्रतिवेदन आने वाला है, के अन्तर्गत पृथकवाद और पृथकवादी गतिविधियों के लिये भी दण्ड की व्यवस्था होगी ।

जैसा श्री तेन्नेटि विश्वनाथन ने कहा, 'शत्रु' की परिभाषा तो नहीं दी गई है परन्तु वर्तमान अधिनियमों के अन्तर्गत ऐसे लोगों को दण्ड देने के लिये, जो राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भाग लेते है, हमें पर्याप्त शक्तियां प्राप्त है । किसी भी अधिनियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि भारतीय दण्ड संहिता में भविष्य में संशोधन की आवश्यकता हुई, तो हम उसमें अवश्य संशोधन करेंगे । किसी व्यापक विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : I thank both the critics and the supporters of the Bill. I will request the hon. Minister to withdraw his remarks and accept the Bill moved by me. At present there is no law to deal with treason. It is directed against no group or block but against the traitors, spies and anti-national elements. It will not be prodent to take again the valuable time of the House to consider any amendment in the existing laws. It is an innocent Bill.

There have been cases of mis-appropriation of funds and gold donated to the National Defence Fund. What to talk of capital punishment, not even a singal person was put behind the bars even for five minutes. I have brought forward this Bill to remove this lacuna.

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य विधेयक वापस ले रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह : जी, नहीं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि राजद्रोह के दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दण्ड तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को इस पर 31 दिसम्बर, 1968 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 17 विपक्ष में 48
AYES : 17; NOES : 48

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव
MOTION : CONTEMPT OE THE HOUSE

संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि उस व्यक्ति ने जिसने अपना नाम श्री गोपाल त्रिपाठी बताया है और जिसने आज 3 बजे म० प० पर दर्शक दीर्घा से सभा भवन के अन्दर कुछ पत्र फैंके थे और जिसे वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त अभिरक्षा में ले लिया था, एक गम्भीर अपराध किया है और इस सभा के अवमान करने का दोषी है ।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उसे 18 नवम्बर, 1968 के 6 बजे म० प० तक के लिये साधारण कारावास का दण्ड दिया जाये और तिहाड़ जेल, दिल्ली में भेजा जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि उस व्यक्ति ने जिसने अपना नाम श्री गोपाल त्रिपाठी बताया है और जिसने आज 3 बजे म० प० पर दर्शक दीर्घा से सभा भवन के अन्दर कुछ पत्र फैंके थे और जिसे वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त अभिरक्षा में ले लिया था, एक गम्भीर अपराध किया है और इस सभा के अवमान करने का दोषी है ।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उसे 18 नवम्बर, 1968 के 6 बजे म० प० तक के लिये साधारण कारावास का दण्ड दिया जाये और तिहाड़ जेल, दिल्ली में भेजा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 368 का संशोधन)
(Amendment of Article 368)

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मेरी संवैधानिक आपत्ति है । मैंने नोटिस दिया है कि इसे एटार्नी जनरल को भेजा जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रस्ताव तो प्रस्तुत करने दीजिये ।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार को व्यापक अधिकार दिये जा रहे हैं । इसके लिये 2½ घण्टा पर्याप्त नहीं है । इसके लिये अधिक समय देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव के समय इस विधेयक पर कई दिन तक काफी चर्चा हो चुकी है । उसके बाद ही यह संयुक्त समिति को सौंपा गया था । आपको अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा ।

श्री लोबो प्रभु : समिति ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। इसके लिये कम से कम 5 घण्टे दिये जाने चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मेरी आपसे अपील है कि इसके लिये कम से कम 7–8 घण्टे नियत किये जाने चाहिये।

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कडुलूर) : यह एक सामान्य विधेयक नहीं है। इसके द्वारा संविधान के मूलभूत अधिकारों में संशोधन किया जा रहा है। सरकार वास्तव में इसका समर्थन कर रही है। इसलिये इस विधेयक को सरकार कार्य में सम्मिलित करना चाहिये। एक या दो घण्टे में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। इसके लिये एक या दो दिन नियत किये जाने चाहिए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस पर एक अथवा दो दिन तक चर्चा होनी चाहिये।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : इस विधेयक के महत्व को देखते हुए मैं श्री एंथनी तथा अन्य सदस्यों का समर्थन करता हूं कि इस पर चर्चा के लिये 2½ घण्टे का समय बहुत कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति इस विषय पर विचार किया था। समय बढ़ाने की बात पर समिति में विचार किया जायेगा।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा की गई प्रार्थना से यह संकेत मिलता है कि समिति इन सब पहलुओं पर विचार नहीं करती। कल भी इसी प्रकार की कठिनाई हुई थी। आप समिति के अध्यक्ष के नाते समिति का ध्यान इस ओर दिलायें।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बैठक में समिति अधिकतम समय 2 घण्टे दे सकती है, और यह समय दिया गया है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मुझे प्रसन्नता है कि कुछ देर में ही सही परन्तु इस विधेयक के महत्व को समझा गया है। गैर-सरकारी सदस्य के किसी भी विधेयक पर इतने अधिक समय तक चर्चा नहीं हुई है। संसद् की किसी भी समिति ने इससे पहले विभिन्न मतों के लोगों को सुना है।

श्री जी० भा० कृपालानी (गोंडा) : हमें नहीं बुलाया गया।

श्री रा० धो० भन्डारे (बम्बई–मध्य) : हमें क्यों नहीं बुलाया गया ?

श्री नाथ पाई : प्रक्रिया नियम संख्या 27 (1), 29, 77, 78, 157 और 305 के अनुसार जब कोई विधेयक प्रवर अथवा संयुक्त समिति को सौंपा जाता है, तो सभा के सदस्यों को अधिकार होता है कि वे आमंत्रित किये गये बिना समिति के समक्ष अपने विचार रख सकते है। समय बढ़ाये जाने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इस पर समिति विचार करेगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : वे अगली बार अपना भाषण जारी रखेंगे ।

* नेपाल के साथ लगी पश्चिमी बंगाल और बिहार की सीमाओं पर माल की तस्करी

SMUGGLING OF GOODS ON WEST BENGAL AND BIHAR BORDERS WITH NEPAL

Shri Beni Shanker Sharma (Banka): Mr. Deputy Speaker, Sir, I wish to draw yours as well as Government's attention to an important issue which is responsible for majority of evils in the country today. Now-a-days illegal trade, black-marketing and corruption are rampant in the country. On the other hand the unemployment and dearness are touching a new high level. Only corruption, unemployment, black-marketing and dearness have been fostered and promoted during the five year plans and the policies pursued so far by our Government are responsible for this state of affairs. You can get all sorts of smuggled goods in any numbers and quantities in any small or big city in the country without any check. What name should I give to the Government of a country where trucks loaded with bulky goods such as cloth, sugar, jute etc. move across the borders without any check and where ships loaded with foreign cigarettes and liquor call regularly on the ports of the country. Only the other day during the debate on no confidence motion Government expressed its inability to pay to its employees adequate salaries for want of funds. Government should feel ashamed for its policies which has lead the country to this state of bankruptcy.

I will cite only two examples of smuggling. The Free Press Journal of Bombay carried the following report in its issue dated 15th September:

> "The Bombay Customs seized contraband gold valued at Rs. 50 lakhs from different places in the city. The total quantity of the yellow metal is stated to be 34,000 tolas and was found to be concealed in special jackets."

Then there was the following news item in the Hindustan Times dated 19th September :

> "The Bombay Customs Intelligence seized 36,000 tolas of gold valued at Rs. 60 lakhs in a surprise raid on a locked flat in central Bombay."

You will see that within a short period of 3-4 days gold was seized in such a large quantity. Our dailies are filed with such reports every day.

This smuggling is a two way deal, Pens, watches etc. are smuggled into the country through Nepal and valuable articles such as Jaipur diamonds and Jewels are smuggled out of the country. Government should consider measures to legalise this illegal trade because Government is losing income-tax, sales tax, customs duty on such trade and at the same time, is deprived of the valuable foreign exchange

* आधे घण्टे की चर्चा
* Half-an-Hour Discussion.

In reply to my question on checking of smuggling, the hon.Minister of State said that the check on our borders would be strengthened. But I feel that perhaps it is not going to help since the officers and staff fall prey to temptation. Swami Vivekanand once said, "you cannot legislate for virtue." In fact social and economic conditions congenial to good order should be created in the country so that people take to good deeds of their own sweet will. If we can produce fountain pens, watches, transisters, terylene etc. in our country in sufficient quantity, there will be no need of smuggling them from Nepal. Only a day or two back the hon. Finance Minister had stated that sugar is smuggled into the country from Russia, Czechoslovakia and other countries through Nepal. But if internal production of sugar is increased, you will not find here any foreign sugar. The main reason for smuggling is shortfall in production We have not properly utilised the money received as aid and loan from foreign countries for increasing the production of various consumer goods in the country.

During my visit to Nepal last month I came to know from the local traders that goods worth Rs. 5 crores were bought by foreigners just in a week. This movement of goods goes on inspite of checking on Indo-Nepal border. We should seek the cooperation and assistance of Nepalese Government. No account is maintained in respect of third party goods entering into India through Nepal. They should be pursuaded to restrict import goods from third country to the consumption in their country. Then, we should take steps to check open sale of smuggled goods. A legislation should be brought forward to ban such sales. Here people have got sufficient money. Either their money should be taken by Government through taxation or if it is not possible they should be compelled to invest their money in producing consumer.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ।

प्रश्न विशिष्ट रूप से नेपाल-सीमा से सम्बन्धित है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मेरे माननीय मित्र ने कुछ अन्य मामले भी उठाये हैं । आप चाहते हैं तो मैं उनके बारे में भी कुछ कहूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : बस थोड़ा बहुत चलते चलते ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री शर्मा द्वारा उठाया गया यह प्रश्न पिछले सत्र के दौरान भी आ चुका है तथा कल ही उप-प्रधान मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में सरकारी दृष्टि कोण स्पष्ट किया है । इस स्थिति का मूल कारण यह है कि हम नेपाल से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं । बल्कि उन्हें और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं । वर्ष 1960 का व्यापार-समझौता भी इसका एक भाग है तथा इस समझौते के अनुच्छेद 2 के अनुसार एक दूसरे देश के माल के आने जाने पर सीमा-शुल्क अथवा मात्रा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अतः सीमाओं के आर-पार दोनों देशों का खूब माल आता जाता है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि दोनों देशों के मध्य 900 मील लम्बी सीमा है जिसके साथ साथ तीन राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल हैं । इन सीमाओं के साथ साथ काफी पारस्परिक व्यापार होता है तथा वहां के लोगों के मध्य धार्मिक, वैवाहिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी पारस्परिक रिश्ते भी हैं । ऐसा भारत तथा किसी अन्य देश की सीमाओं के बारे में नहीं है । यह बात विशेष रूप से विचारणीय है ।

एक माननीय सदस्य ने वहां की सुरक्षा चौकियों के बारे में कुछ पूछा था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये चौकियों का उद्देश्य तो यह है कि नेपाल में प्रवेश करने वाले उत्पाद-शुल्क वाले माल का ब्यौरा रखें तथा उस उत्पाद शुल्क प्राप्त करने में नेपाल की सहायता करें, किसी अन्य तीसरे देश से नेपाल में तथा नेपाल से भारत के रास्ते भारत से अन्य तीसरे देश को जाने वाले माल के बारे में जांच करें। इसी वास्ते हमने इन चौकियों को स्थापित किया है।

अब ये चौकियां तस्करी को रोकने के बारे में भी कार्य कर रही हैं। किसी तीसरे देश में निर्मित माल का भारत में आयात किया जाना मना है तथा वह माल पकड़ा और जब्त किया जा सकता है।

कहा गया है कि यहां बहुत बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है। मैं सभा को कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। वर्ष 1966 में इन तीनों राज्यों में 486 मामलों 3,21,000 रुपये तथा वर्ष 1967 के दौरान 587 मामलों में 5,87,000 रुपये का माल पकड़ा गया। वर्ष 1968 के प्रथम 6 मास में 1776 मामलों में 13,57,000 रु० का जबकि सितम्बर, 1968 में 500 मामलों में 3,56,000 का माल पकड़ा गया। ये आंकड़े अपनी कहानी आप कहते हैं।

पिछले सत्र में जब यह प्रश्न उठा तो मैंने सभी मंत्रालयों की एक बैठक बुलाकर इस समस्या पर ध्यान दिया तथा सुरक्षा-प्रबन्धों को दृढ़ करने का निर्णय लिया जिसके परिणाम स्वरूप हमने इलाहाबाद, पटना तथा पश्चिम बंगाल की कलक्टरियों के कर्मचारियों को सावधान कर दिया है। कुछ अतिरिक्त चलते-फिरते दल भी इस कार्य पर तैनात कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त हमने कुछ वस्तुओं के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये। पटसन और तम्बू के वस्त्र के बारे में भी ऐसा किया गया। विशेष रूप से तम्बू के कपड़े के बारे में क्योंकि वह प्रतिरक्षा के लिये काम आ सकता है। हम पहले से कहीं अधिक सावधान हो गये हैं पेट्रोलियम का कोटा भी निश्चित कर दिया गया है।

इस बारे में हमने नेपाल सरकार से भी बातचीत की है तथा आज प्रातः ही एक अन्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल जिसके अध्यक्ष श्री बलीराम भगत हैं, वहां गया है। इस प्रतिनिधि मण्डल में हमारे वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी भी हैं। यह प्रतिनिधि मण्डल तस्करी को रोकने के बारे में नेपाल सरकार से सहयोग के लिये भी बातचीत करेगा। नेपाल सरकार ने कुछ बातों पर मतभेद रखते हुये भी हमें अपने सहयोग का आश्वासन दिया है।

श्री शर्मा ने कुछ संश्लिष्ट वस्त्रों के बारे में जिक्र किया था। सो, इसके बारे में मैं कहूंगा कि यद्यपि दोनों देशों में उत्पन्न होने वाले माल के एक दूसरे देश में जाने पर प्रतिबन्ध नहीं है तथा हम नेपाल द्वारा किये जा रहे औद्योगीकरण में कठिनाइयां भी उत्पन्न नहीं होने देते; परन्तु फिर भी हम तस्करी को बढ़ने देना नहीं चाहते तथा यह भी नहीं चाहते कि जो माल हमारे देश के उत्पादक बनाते हैं वही माल सस्ते भाव हमारे देश में आये तथा हमारे लिये कठिनाई पैदा करे। इन सब बातों पर नेपाल सरकार से पुनः बातचीत होगी तथा हमें आशा है कि संश्लिष्ट वस्त्रों तथा स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के बारे में दोनों देश परस्पर मिलकर कोई हल निकाल लेंगे।

मैं श्री शर्मा की इस बात से सहमत हूं कि हमें अपनी दुकानों पर तस्करी के माल की खुल्लम-खुल्ला बिक्री पर रोक लगानी चाहिये । इस बारे में हम एक कानून बनाने की सोच रहे हैं ताकि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा सके ।

Shri Om Prakash Tyagi : I want to make the hon. Minister aware that a number of Indian capitalists have gone to Nepal with their black money and they are importing there those goods which India has banned for import in India The Nepal Govt. is therefore getting, about Rs. 1.50 lakh as duty on those goods. They then bring those goods here in India. In this way they are bringing here sugar cubes, stainless steel utensils, rayon, nylon etc. This all is going on under the cover of Indo-Nepal Trade Treaty. Nepal Govt. is well aware of it and they should not allow these black marketers and capitalists to harm our trade. I want to know whether in view of this the Govt. are thinking of revising this Trade Treaty in such a form that goods manufactured in Nepal only, and no where else, are permitted to reach India ?

Secondly, whether Govt. are aware that a lot of our goods are going to Tibbet and China via Nepal in open trucks ! It is there. This should not be allowed. Similarly, banned goods are also selling on the streets in India in the States of Bengal and Bihar. I want to know why this all is not being checked by our police ? May I know whether any arrests have been made in this connection. Goods manufactured by our enemy countries are being openly sold in Shillong, Gauhati, Calcutta and Patna. Have you arrested any body, if not, why not ?

Shri K. C. Pant : My difficulty is that our traders do not let us know how they carry on this sort of smuggling but if the hon. Member provides me with some information in this behalf I shall surely look into that.

As regards stainless steel utensils, we can permit only the raw material which may be neded in our own industries. We do not allow the import of those goods which are meant only to be sold here in our country.

The Treaty is effective only up to October, 1970. After that it will be thought upon whether it should be revised or framed in some other way. At present we are in the state of discussions and should enlist the co-operation as long as it is assured.

As regards the smuggling of our goods to Tibbet and China via Nepal, I do not think that it is at a large scale. Wherever we develop a suspicion, we ban the things as we have done in case of tent cloth. We inquire from our embassy in Nepal also.

So far as the import of banned goods is concerned, I have stated that we are contemplating to bring certain legislation in this behalf. However we are ceizing such goods whenever we come across them but we propose to bring in certain strong legislation.

श्री श्रद्धाकर सुपकार (सम्बलपुर) : सर्व प्रथम तो मैं यह मानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पकड़े जाने वालों के लिये क्या कोई कठोर दण्ड नियत है । हम केवल आंकड़ों से सन्तुष्ट नहीं है ।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कई बार चोर तो नहीं पकड़ा जाता लेकिन चोरी का माल बेचने वाला पकड़ा जाता है तो क्या उसको भी कड़ा दण्ड देने हेतु कोई कानून बनाने की आप सोच रहे हैं ?

मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि क्या इन चीजों को रोकने हेतु उन्होंने कुछ उपाय किये हैं। परन्तु यह देखा गया है कि प्रायः फेशन की वस्तुओं, जैसे कलाई की घड़ियां, फाउन्टेन पेन, शृंगार प्रसाधन केमरा, आदि आदि की ही तस्करी होती है। इसको रोकने के साथ साथ हमने अभी तक ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं किया भारत में बनी ही ऐसी चीजों का यहां प्रयोग हो। कारण यह नहीं है कि वे चीजें सस्ती मिलती हैं बल्कि इसलिये कि उन्हें अधिक फेशनेबुल माना जाता है। हम जब विदेशी माल को ही उत्तम श्रेणी का समझते हैं। हम विदेशों में बनी कारों, ब्लेड़ों आदि को ही प्राथमिकता देते हैं। केवल मन्त्रियों को ही मैं दोष नहीं देता सभी इसके इच्छुक हैं। अतः हमें महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा। केवल कानून बनाने से तस्करी नहीं रुकेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कठिनाई यह नहीं है कि हम ऐसा माल पकड़ नहीं सकते। मुश्किल तो यह है कि ऐसा कुछ माल तो सफर के सामान के रूप में आता है, तथा कुछ पकड़ा हुआ माल नीलाम किया जाता है। दुकानदार से यह नहीं पूछा जाता कि वह माल उसे कहां से मिला और वह भी किसी न किसी का नाम ले लेता है। इसी कमी को दूर करने के हेतु हम कानून बनाने की सोच रहे हैं।

Shri Shinkre (Panjim): There is no doubt about it that Nepal is our friendly country. But she is now friendly to China also. In this context, we will have to change our policy in regard to trade with Nepal.

Our borders are open with Nepal and many things, manufactured in China are coming to India, Similarly arms and ammunations and also the communists literatures comes here. So, should we not strengthens our check posts along Nepa brorders ? Further, Goa has been known as a penalise for smugglers, and even now many things can be smuggled there. I want to know whether this thing will be kept in view while revising or renewing the Indo-Nepal Trade Treaty after Oct. 1970 ?

Shri K. C. Pant : It will certainly be kept in mind. But I do not agree with the suggestion that since Nepal has now become China's friend also, we should also change our attitude twoards Nepal. Instead we want to strengthen our relation with Nepal further.

Shri Shrichand Goel (Chandigarh) : The hon. Minister has stated that it is very difficult to fully check smuggling since it is a vast hilly area. But the fatct is that Rexol in Bihar and Veerganj in Nepal are the principal Centres of smuggling and the watchmen of the check posts on both sides openly accept bribes and allow the goods to go without any check. I therefore, think that we should strengthen our check posts on these two important points.

As regards synthetic cloth and Terelene, there is o ly one mill in Nepal from where goods come to India. But I want to know whether such goods do not come to India from China, Japan, America, Britain etc. via Nepal ? Hove you collected any information in this regard ?

The same is the situation in Amritsar also along Pakistan border Goods are smuggled from that point also. Many people who were pampers have now become millionaire owing to this trade. If we are unable to check smuggling, it will surely affect our economy.

Shri K. C. Pant : Borders along Bihar are not hilly but plain and it is very easy to cross them alongwith some goods. That is why, we have established mobile check posts. The rest part of the question I have already answered.

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार दिनांक 18 नवम्बर, 1968/27 कार्तिक, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, November 18, 1968/Kartika 27, 1890 (Saka).